लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

[खंड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 6, बुधवार, 20 नवम्बर, 1974/29 कार्तिक, 1896(शक)

No. 6, Wednesday, November 20, 1974/Kartika 29, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
निधन संबंधी उल्लेख	Obituary Reference	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S.Q.No.		
122 विद्रोही नागाओं और सुरक्षा बल के बीच झड़प	Encounter between Hostile Nagas and Security Forces	2
123 भारतीय वैज्ञानिकों को विदेशों से आकर्षित करने की योजना	Scheme to attract Indian Scientists from abroad	4
124 रेल माल डिब्बों का उत्पादन	Production of Railway wagons .	9
140 वैगन उद्योग की अप्रयुक्त क्षमता	Unutilized capacity of Wagon Industry	10
125 औद्योगिक उत्पादन में मन्दी	Recession in Industrial production .	14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
121 भारी औद्योगिक उपक्रमों द्वारा उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति	Achievement of production Targets by Heavy Industrial Units . .	18
126 ईंधन नीति समिति का प्रतिवेदन	Report of Fuel policy committee	18
127 यूरेनियम की तस्करी	Smuggling of Uranium . . .	19
128 आकाशवाणी तथा टेलीविजन की समाचार विज्ञप्तियों को प्रैस कौंसिल के क्षेत्राधिकार में लाना	Extension of Jurisdiction of Press Council to News Communiques of AIR and T.V.	19
129 परमाणु ऊर्जा के उपयोग के बारे में भारत ईरान समझौता	Indo Iranian Agreement on uses of Atomic Energy	19

किसी नाम पर अंकित † यह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was acutally asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
130	विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति का पुनर्गठन	Reconstitution of National Committee on Science and Technology . .	20
131	मध्य प्रदेश के संगरौली कोयला क्षेत्रों में अत्याधिक शक्तिशाली तापीय बिद्युत संयंत्र की स्थापना	Setting up of Super Thermal Power Plant in Sangrauli Coal Fields in Madhya Pradesh	20
132	अंतर्राज्यीय नदी विवादों के कारण बिजली परियोजनाओं के पूरे होने में विलम्ब	Delay in completion of power Projects due to Inter State River Disputes .	20
133	परमाणु विस्फोट के परिणाम	Results of Atomic Explosion .	21
134	एच० एम० टी० की घड़ियों की तस्करी	Smuggling of H.M.T. watches .	21
135	कच्चे माल पुर्जों तथा प्रौद्योगिकी के आयात के लिये एक इलैक्ट्रोनिक्स बैंक की स्थापना	Setting up of an Electronics Bank for Import of Raw Material, Components and Technology . . .	22
136	केरल में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Factory in Kerala .	22
137	फिल्म उद्योग में कच्ची फिल्मों की कमी	Shortage of Raw Films in Film Industry	22
138	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का कार्यकरण	Working of NIDC .	23
139	टेलीविजन पर वाणिज्यिक सेवा आरम्भ करना	Introduction of Commercial Service on Television	24

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.			
1201	भारतीय वन सेवा में अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of Officers for Indian Forest Service	24
1202	बड़े औद्योगिक कारखानों में रक्षित बिजली घर बनाना	Setting up of Captive Power Plants in Big Industrial Units . . .	24
1203	कोल आथोरिटी में अधिकारियों के वेतन	Salaries of Coal Authority Officers .	25
1204	राजस्थान में टायर उद्योग पर धागे की कमी का प्रभाव	Effect of Shortage of Yarn on Tyre Industry in Rajasthan . . .	25
1205	सहकारिता के आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का संगठन	Organisation o : Rural Electrification Programme on Cooperative Basis .	25

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
1206	मध्य प्रदेश में कोयला खानों में दुर्घटनायें	Accidents in Coal Mines of Madhya Pradesh	26
1208	एच० एम० टी० के यूनिटों का प्रबन्ध ढाँचे को नया रूप देना	Management Structure of HMT Units	26
1209	पांचवी योजना में गोआ में हथ-करघा उद्योग का विकास	Development of Handloom Industry in Goa in Fifth Plan . . .	27
1210	दिल्ली में कोयले का भाव	Price of Coal to Delhi . . .	27
1211	दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के कर्मचारियों की शिकायतों के कारण दिल्ली में बिजली की अनियमित सप्लाई	Grievances of DESU Employees resulting in erratic supply of Electricity in Delhi	28
1212	उड़ीसा में हथकरघा उद्योग का विकास	Development of Handloom Industry in Orissa	28
1213	जम्मू और काशमीर सीमा पर सीमेंट की तस्करी	Smuggling of Cement on Jammu and Kashmir Borders	28
1214	"दैनिक आसाम" और "आसाम ट्रिब्यून" को सरकारी विज्ञापन बन्द करना	Stoppage of Government Advertisement to Dainik Assam and Assam Tribune	29
1215	उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ट्रैक्टर कारखाना	Tractor Factory in Pratapgarh District U.P.	29
1216	'नानक अनवेल्ड' और 'कसीर' नामक पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव	Proposal to ban the Books Nanak Unvelled and Kasser	29
1217	प्रेस पर नियंत्रण रखने के लिये धन का कथित दुरुपयोग	Alleged Misue of Power Money to control Press	30
1218	विभिन्न टी० वी० केन्द्रों से प्रसारित कार्यक्रमों की अवधि	Duration of Programmes telecast from different Centres	30
1219	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड नई दिल्ली के एक कर्मचारी द्वारा एक महिला ग्राहक पर आक्रमण	Assault on a Lady Customer by an Employees of the Central Government Employees Consumer Cooperative Society Ltd. New Delhi .	31
1220	राजस्थान में बिजली घर	Power Units in Rajasthan . .	32
1221	मिर्जापुर जिले में पिपरी स्थित टेलीफोन ऐक्सचेंज का कार्यकरण	Working of Telephone Exchange at Pipari in Mirzapur District .	33

अता० प्र० सं० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1222	वैगन आर्डरों को कम करने के लिये रेलवे का निर्णय	Decision of Railways in Slash Down Wagon Orders	33
1223	दिल्ली टेलीफोनज़ के भंडारों पर छापे	Raids on the Stores of Delhi Telephones	33
1224	सोवियत संघ से भारतीय उपग्रह का छोड़ा जाना	Launching of Indian Satellite from Soviet Union.	34
1225	समाचार एजेंसियों को पब्लिक कारपोरेशन में परिवर्तित करना	Conversion of News Agencies in to Public Corporations . . .	34
1226	दिल्ली में सामुदायिक टेलीविजन सेट	Community T.V. Sets in Delhi .	35
1227	ओटोनगर, विजयवाड़ा में उद्योग की स्थापना	Setting up of Industry in Autonagar at Vijayawada	35
1228	वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और रिहाइशी इमारतों में वातानुकूलन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध	Ban on the Use of Air Conditioners in Commercial Establishment and Residential premises . . .	36
1230	मोहन मीकिन ब्रूअरीज पर छापा	Raid on Mohan Meakin Breweries .	36
1231	जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए आयोग	Commission appointed by Government under the Commission of Inquiry Act	37
1232	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में काट छांट करना	Pruning of Fifth Five Year Plan	37
1234	कोका कोला तथा पार्लेज़ के बीच प्रचार की होड़	Propaganda between Coca Cola and Co. and Parleys	38
1235	पांचवीं योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में आदिवासियों के कल्याण की योजनाओं के लिये धन का नियतन	Fifth Plan Allocation for Welfare Schemes of Adivasis in Madhya Pradesh	38
1236	मंसा (पंजाब) में जनजाति के व्यक्तियों की झोपड़ियों को जलाना	Burning of Tribal Huts in Mansa (Punjab)	38
1237	तारकोल तथा कोयला से तेल का उत्पादन करने के लिये संयुक्त संयंत्र	Setting up of a Combined Plant to produce oil from Tar and Coal .	38
1238	कोयला खानों में काम करने वाले कर्मचारियों की मासिक आय	Monthly Incomes of Employees Working in Coal Mines . . .	39

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
1239	खानों में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए विद्युत संयंत्र	Power Plants for Safety of Workers in Mines	39
1240	स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का मूल्य	Price of Stainless Steel Utensils .	39
1241	कोयला खानों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Coal Mines .	40
1242	सूती कपड़ा कारखानों द्वारा कोयले की मांग संबंधी समिति की स्थापना	Setting up of a Committee for Demand of Coal by Cotton Textile Mills	40
1243	बिहार कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Bihar Coal Mines .	41
1244	बुन्देलखंड में युरेनियम के निक्षेप	Uranium deposit in Bundelkhand	41
1245	बिहार स्थित ईसाई संस्थानों को मिली विदेशी सहायता	Foreign Aid Received by Christian Institutions in Bihar . . .	42
1246	औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों को जबरन छुट्टी	Lay off in Industrial Sectors	42
1247	'आंमुका' के अन्तर्गत जमाखोरों की गिरफ्तारी	Arrest of Hoarders Under MISA	42
1248	संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के प्रबंधग्रहण के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Judgement of Supreme Court on Take-over of Sick Textile Mills .	43
1249	पांचवीं योजना में लक्षद्वीप द्वीपसमूह का विद्युतीकरण	Electrification of Lakshadweep Islands in Fifth Plan	43
1250	संशोधित अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत दायर की गयी शिकायतें	Complaints lodged under the Amended Untouchability (Offences) Act	44
1251	त्रिपुरा में आयोजना की योजनाओं की क्रियान्विति के लिए उद्योग सैल और कर्मचारी	Industry Cell and Staff for plan implementations schemes in Tripura .	44
1252	1974 के दौरान विभिन्न मंदिरों से चुरायी गयी मूर्तियों की संख्या	Number of statues stolen from various temples during 1974 . . .	44
1253	बिहार सर्किल के डाक तथा तार कर्मचारियों को बाढ़ तथा सूखे के लिए अग्रिम राशि	Flood and drought advances to P & T Employees in Bihar Circle .	45

अता० प्र० सं० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
1254	आल इंडिया रेडियो पर चर्चा के दौरान डा० के० एन० राज द्वारा प्रकट किए गए विचारों को निकाल दिए जाने पर उनके द्वारा रोष प्रकट किया जाना	Protest by Dr. K. N. Raj on deletion of the observation made in the discussion on A.I.R.	46
1255	"वी० आई० पी० ट्रीटमेंट टु स्मगलर्स इन जेल्स"	News item captioned VIP Treatment to Smugglers in Jails . . .	46
1256	आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम का प्रयोग करने के बारे में राज्यों को निर्देश	Instructions in States on use of MISA	47
1257	पिछड़ी जाति कल्याण महानिदेशक के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय	Zonal Offices under the Director General, Backward Classes Welfare. .	48
1258	वर्ष 1975-76 के लिए वार्षिक योजना में कटौती	Cut in Annual Plan for 1975-76	48
1259	दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम पर हुआ खर्च	Establishment expenditure on DESU establishment	50
1262	पेट्रोलियम के अलावा दूसरे ईंधन का उपयोग करने वाली कारों तथा स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of cars and Scooters using any fuel other than petroleum .	50
1263	दिल्ली पुलिस विभाग में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना	Implementation of recommendations of Third Pay Commission in Delhi Police	51
1264	हिन्दुस्तान टाइम्स के मुख्य सम्पादक की बर्खास्तगी	Dismissal of Chief Editor of Hindustan Times	51
1265	बम्बई में चलचित्र उद्योग में धन की कमी	Shortage of finance in film Industry in Bombay	52
1266	गरीबी के स्तर से निम्न स्तर पर रहने वाले आदिवासी लोगों की क्रय क्षमता बढ़ाने का कार्यक्रम	Programme to Increase purchasing capacity of Tribal people living below poverty line	52
1267	दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के बीच डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था	STD Link between Delhi and State Capitals	53
1268	दिल्ली टेलिविजन में सीनियर तकनीशियनों की कांट्रेक्ट के आधार पर भर्ती	Recruitment of Senior Technicians on Delhi T.V. on Contract Basis .	54

अता० प्र० सं० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
1269	हरिजनों तथा अन्य अल्प संख्यकों पर अत्याचार के बारे में आल इंडिया साम्प्रदायिकता विरोधी कमेटी की ओर से ज्ञापन	Memorandum from All India Bampradikta Virodhni Committee regarding atrocities on Harijans and other Minorities	54
1270	पंजाब में उद्योग	Industries in Punjab	55
1271	शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति के विकास हेतु भारत-कनाडा सहयोग	Indo-Candian Cooperation in the Development of Atomic Energy for peaceful purposes	56
1272	इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड द्वारा उड़ीसा में छतरपुर के निकट एक औद्योगिक समूह का स्थापित किया जाना	Setting up of an Industrial Complex by Indian Rare Earths Limited near Chhatrapur in Orissa . . .	56
1273	बिहार में हाल में आन्दोलनों के दौरान 'मीसा' के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	Number of persons arrested under MISA in receipt of Bihar movement	56
1274	बिहार में अवध खनन कार्य में नेताओं का हाथ होना	Leaders involved in illegal Mining in Bihar	57
1275	त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग	Demand for Declaration of Tribals Belts as Scheduled Areas in Tripura	57
1276	दिल्ली में लगे 'क्रासबार' उपकरणों में त्रुटियां	Defects in Delhi Cross Bar equipments	57
1277	महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद	Maharashtra-Karnataka Boundry Dispute	58
1278	हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की जांच करने के लिए विशेष 'सैल' की स्थापना	Setting up of Special Cells to Inquire into Atrocities on Harijans . .	58
1280	अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक उत्पादन करने वाली कम्पनियों के विरूद्ध कार्यवाही	Action against companies manufacturing in Exeess of Licensed Capacity .	59
1281	समाचारपत्रों से बड़े औद्योगिक गृहों का सम्पर्क तोड़ना	Delinking of Newspapers from Big Industrial Houses	59
1282	आपात स्थिति को समाप्त करना और मीसा के अन्तर्गत नजरबंदी की अवधि	Withdrawal of Emergency and period of detention under MISA . .	60
1283	जेसप एण्ड ब्रेथवेट कलकत्ता का उत्पादन	Production in Jeasop and Braithwate Calcutta	60

अता० प्र० सं० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
1284	दिल्ली में पुलिस और लोक सम्पर्क व्यवस्था	Police Cum Public Liaison in Delhi .	61
1285	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के उत्पाद	Products of Hindustan Lever Limited .	62
1286	आकाशवाणी के कटक केन्द्र के भूमि के लेन-देन वाले घोटाले की केन्द्रीय जांच	CBI Inquiry into Land Deal Scandal of Cuttack Station of AIR . .	64
1287	उद्योगों के लिये इन्टर स्टेट टास्क फोर्स कमेटी	Inter State Task Force Committee for Industries	64
1288	टेलीफोन का अंतरण	Transfer of Telephones	64
1289	औद्योगिक लाइसेंसों के लिये विचाराधीन आवेदन-पत्र	Pending applications for Industrial Licences	65
1290	राज्यों में प्रेस स्वतंत्रता का दमन किये जाने के बारे में प्रेस परिषद का अक्तूबर, 1974 का निर्णय	Subversion of Freedom of Press in States according to Press Council Verdict of October, 1974 . . .	66
1291	अनुसूचित जातियों की सूची में धोबियों को शामिल करना	Inclusion of Washermen (Dhobi) in the Scheduled Castes List . .	66
1292	मैसर्स जे० बी० मंघाराम एंड कम्पनी द्वारा बेनामी लाइसेंस लिया जाना	Benami Licances obtained by M/s J.B. Mangharam & Co. . .	67
1293	आण्विक जानकारी का विदेशों को निर्यात रोकने का प्रस्ताव	Proposal to stop Export of Nuclear Know How to other Countries . .	67
1294	वर्मा-मिजोरम सीमा पर सुरक्षा बल तथा विद्रोही मिजो लोगों में मुठभेड़	Clash between security forces and Mizo Hostiles on Burma Mizoram Border	67
1295	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति	Appointment of Hindi Officer in C.W. P.C.	68
1296	ऊर्जा मंत्रालय के 'पावर विंग' में हिन्दी अधिकारी का पद भरने के बारे में अभ्यावेदन	Representation regarding filling up the post of Hindi officer in Power Wing of Ministry of Energy . .	68
1297	योजना आयोग द्वारा कक्कड़ पन-बिजली योजना को अभी स्वीकृत न दिया जाना	Kakkad Hydro Electro Scheme pending with Planning Commission for Clearance	69
1299	चण्डीगढ़ और फाजिलका तहसील के क्षेत्रों का स्थानान्तरण और सीमा-विवादों पर विचार करने के लिए आयोग	Transfer of Chandigarh and areas of Fazilka Tehsil and Commission to go into Border Disputes . . .	69
1300	भारत द्वारा परमाणु ईंधन के प्रयोग के बारे में अमरीकी जांच	U.S. Enquiry into use of Nuclear Fuel by India	69

अता० प्र० सं० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
1301	वर्ष 1974–75 में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए केरल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Kerala for Providing employment to educated unemployed in 1974-75 . . .	70
1302	कोयला खनन उद्योग के लिये ब्रिटिश सहायता	U.K. aid for Coal Mining Industry	70
1303	मूल्यों को स्थिर करना	Price freeze .	71
1304	पांचवीं योजना में राजस्थान में हथ-करघा उद्योग का विकास	Development of Handloom Industry in Rajasthan in Fifth Plan . .	71
1305	राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन पत्र	Applications for Telephone connections in Rajasthan	71
1306	बिजली की सप्लाई बंद करने का राजस्थान के औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव	Effect of Power Suspension on industrial production in Rajasthan . .	72
1307	गोआ में बिजली की सप्लाई बंद करने से औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव	Effect of Power suspension on Industrial production in Goa . .	72
1308	गोआ में विद्युत योजनाओं की मंजूरी	Sanction of Power Schemes in Goa	72
1309	गोआ में टेलीफोनों के लिए आवेदन	Applications for Telephones in Goa	72
1310	भारी उद्योगों संबंधी आंकड़े	Data about heavy industries .	73
1311	गत तीन वर्षों में विद्युत् के उत्पादन में कमी	Decline in Power generation during last three years	73
1312	कृषि तथा उद्योग को बिजली की सप्लाई	Supply of power to Agriculture and Industry	73
1314	आसाम, पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों में डाक टेलीफोन तथा तार सेवाएं	Postal Telephone and Telegraph services in Assam, West Bengal and other parts of the country . .	74
1315	अखबारी कागज के व्यापार में चोर बाजारी	Black market in newsprint trade	75
1316	"औरंगजेब एण्ड हिज टाइम्स" नामक पुस्तक में अपमानजनक टिप्पणियां	Derogatory remarks in the book entitled Aurangzeb and his Times . .	76
1317	इलैक्ट्रोनिक्स आयोग के मुख्यालय का दिल्ली को स्थानान्तरण	Shifting of Headquarters of Electronics Commission to Delhi . . .	76
1318	राज्य बिजली बोर्डों की ओर भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड को देय बकाया राशि	Arrears due to Bharat Heavy Electricals Limited from State Electricity Boards	77
1319	ईदिक्की विद्युत परियोजना	Idikki Power Project	77

अता० प्र० सं० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
1320	ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के बारे में राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग का प्रतिवेदन	Report of National Energy Commission Re : utilisation of Energy Resources	77
1321	केरल सर्किल में डाक और तार औषधालयों को खोलना	Opening of P & T Dispensaries in Kerala Circle . . .	78
1322	मिजोरम में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम लागू करने का प्रस्ताव	Proposal to invoke unlawful Activities (Prevention) Act in Mizoram . .	78
1323	भारतीय गणतंत्र के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में स्मारक डाक टिकट	Commemoration Stamps on completion of 25 years of Indian Republic	79
1324	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की उपलब्धियां	Performance of Hindustan Machine Tools	79
1325	स्कूटर और मोपेड की निर्माण-क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to enlarge the capacity of scooter and moped production .	80
1326	राज्यों में ग्रामीण बिजली के वितरण के लिए सहकारी समितियों का पंजीकरण	Registration of rural electric co-operative societies in States for distribution of power	80
1327	उपभोक्ता उद्योगों के उत्पादन में कमी	Shortfall in production of Consumer Industries	81
1328	तस्करों की गिरफ्तारी का फिल्म उद्योग पर प्रभाव	Effect of arrest of smugglers on film industries	83
1329	घटिया किस्म की किताबों तथा पोस्टरों के लिए कागज के प्रयोग पर रोक	Ban on the use of paper for sub-standard books and posters . . .	83
1330	भारतीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार	Indian films awarded international awards	83
1331	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के परिवार को सहायता	Assistance to family of Netaji Subhas Chandra Bose	84
1332	देश में समाचार पत्रों का परिचालन	Circulation of newspapers in the country	84
1334	ईंधन नीति समिति का प्रतिवेदन	Report of Fuel Policy Committee .	84
1335	सितम्बर, 1974 में दिल्ली में विद्युत संकट	Power Crisis in Delhi in September 1974	85
1336	उत्तरी भारत के उद्योगों की कोयला संबंधी आवश्यकताओं के बारे में कार्यकारी दल की सिफारिशें	Recommendations of working group on coal needs of Industries in Northern India	85
1337	छापे मारे जाने के दौरान पाये गये लेखाबाह्य गेहूं के लिए मोदी मिल्स के विरुद्ध आरोप	Charges against Modi Mills for Unaccountable Wheat found during raids	85

अता० प्र० सं० U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGS
1338	दिल्ली में तदर्थ आधार पर काम कर रहे डाक-तार कर्मचारी	P & T employees in Delhi on ad hoc basis 86
1339	गुजरात में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	Police firings in Gujarat . 86
1340	गैर-वाणिज्यिक ईंधनों से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग	Use of energy derived from non-commercial fuels 87
1341	परमाणु बिजलीघर से कम मात्रा में बिजली की सप्लाई	Poor Power Supply from Nuclear Power Station 87
1342	आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जमाखोरी के लिए गिरफ्तारियां	Arrests for hoarding under essentials Commodities Act 87
1343	गत तीन महीनों के दौरान राज्यों में बिजली की कमी	Shortage of Power in States during last three months . . . 88
1344	भारतीय सीमाओं को पार करते हुए बंगला देश से अनधिकृत रूप से आने वाले व्यक्तियों में पाकिस्तानी जासूसों का पाया जाना	Pak spies amongst unauthorised Migrants from Bangladesh . . . 89
1345	उड़ीसा के टायर् उद्योग पर यार्न की कमी का प्रभाव	Effect of shortage of Yarn on Tyre Industry in Orissa 89
1346	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयुक्त भाषा	Use of English Language in Supreme Court and High Courts . . . 89
1347	गोआ के टायर उद्योग पर यार्न की कमी का प्रभाव	Effect of Shortage of Yarn on Tyre Industry in Goa 90
1349	कोयले को गैस और तेल में बदलने संबंधी योजना	Scheme to convert coal into Gas and Oil 90
1350	कोयले के स्टाकयार्डों का स्थापित किया जाना	Setting up of Coal Stockyards . 91
1351	कोयले का मूल्य	Price of Coal 91
1352	पश्चिम क्षेत्र परमाणु बिजली परियोजनाओं के लिए स्थल चयन समिति का प्रतिवेदन	Report of the Site Selection Committee for Nuclear Power Projects in Western Region 92
1353	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के सिंगरौली कोयला क्षेत्रों में कोयला वैगनों का लदान	Loading of Coal Wagons at NCDC Singrauli coal fields . . . 92

अता० प्र० सं० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
1354	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की गोरबी कोयला खानों के सुरक्षा गार्डों को समयोपरि-भत्ता	Over Time Allowance to Security Guards of Gorbi Collieries of N.C. D.C.	93
1355	रेणुकट स्थित बिड़ला फर्म को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोयले की सप्लाई	Supply of Coal by N.C.D.C. Coal Fields to Birla Firm at Renukoot . .	93
1356	उत्तर बिहार में उद्योग	Industry in North Bihar . .	93
1357	अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में कमी	Fall in prices of Essential Consumer goods	95
1358	जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराना	Availability of Essential Commodities at Cheaper Rates	96
1359	केन्द्रीय मंत्रियों पर किये जाने वाले व्यय में बचत	Economy in Expenditure incurred on Union Ministers	96
1360	महाराष्ट्र राज्य कपड़ा निगम द्वारा बीमार कपड़ा मिलों को नियंत्रण में लेना	Control of sick Textiles Mills by Maharashtra State Textile Corporation.	96
1361	अवैध वायदा व्यापार	Illegal Forward Trade	97
1362	राष्ट्रीय कपड़ा निगम को हानि	Losses to N.T.C.	97
1363	जमाखोरों और मुनाफाखोरों पर छापे	Raids on Hoarders and profiteers . .	97
1364	छोटे व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा उचित मूल्यों पर सामान की बिक्री	Sale of Commodities at Fair Prices by Small Traders and Retailers . .	98
1365	1973–74 में गरीबी से निम्न स्तर पर रहने वाले व्यक्तियों की मासिक आय	Monthly income of people living below poverty line in 1973-74 . . .	98
1367	उत्तर प्रदेश में कालागढ़ बांध से बिजली	Power from Kalagarh Dam in U.P. .	99
1368	मध्य प्रदेश में आदिवासी लोगों के कल्याण की योजनायें	Welfare Schemes for Adivasis in Madhya Pradesh	99
1369	विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक, तकनीकी विद और इंजीनियर	Indian Scientists, technologists and Engineers abroad	99
1370	विदेशों में अध्ययन के लिए अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Scheduled Caste Students for Studies abroad . .	100
1371	संयुक्त राज्य अमरीका से ऊर्जा संकट में सहायता	Help in Energy Crisis from USA	100

अता० प्र० सं० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
1372	"ब्रेन ड्रेन" (प्रतिभापलायन) शीर्षक से प्रकाशित समाचार के बारे में डा० खुराना के कथित वक्तव्य	Reported statement of Dr. Khorana regarding brain Drain . . .	10 1
1373	योजना मंत्री द्वारा जर्मन जनवादी गणराज्य का हाल ही का दौरा	Planning Minister's recent visit to GDR	101
1374	केन्द्रीय जल त ा विद्युत आयोग का पुनर्गठन	Reorganisation of C.W.P.C.	101
1375	स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के रक्त विश्लेषण की डाक्टरी रिपोर्ट	Clinical Report on the blood analysis of Late Shri Lal Bahadur Shastri .	102
1376	ट्रैक्टरों के पुर्जों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Import of Tractor Parts	102
1377	जमाखोरों और चोर बाजारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action Against Hoarders Blackmarketeers	102
1378	केन्द्रीय मंत्रियों के दौरों पर व्यय	Expenditure Incurred on Tours of Central Ministers	103
1379	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन	Amendment of Punjab Reorganisation Act	103
1380	डाक जीवन बीमा	Postal Life Insurance. . . .	103
1381	राज्यों के लिए स्वायत्तता की मांग	Demands for Autonomy for States .	105
1382	हिन्दुस्तान समाचार के कुप्रबंध के बारे में शिकायतें	Complaints Re : Mis-Management of Hindustan Samachar . . .	106
1383	सवर्ण हिन्दुओं द्वारा चंडलोडिया, अहमदाबाद के हरिजनों को सताया जाना	Harassment to Harijans of Chandlodia, Ahmedabad by Caste Hindus . .	106
1384	रीवा में आकाशवाणी केन्द्र के रिहायशी मकानों का निर्माण	Construction of Residential Building of A.I.R. Station at Rewa . .	106
1385	राष्ट्रीयकृत संकटग्रस्त मिलों से ऋणों की वसूली	Recovery of Loans from Nationalised Sick Mills	107
1386	उत्तर बिहार में भोजपुरी क्षेत्र के लिए सूचना केन्द्र	Information Centre for Bhojpuri region in N. Bihar	107
1387	बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति	Law and order situation in Bihar	108
1388	एच० एम० टी० बिक्री कार्यालय, दिल्ली के अधिकारियों का तबादला	Transfer of Officials of H.M.T. Sales Office, Delhi	108
1389	भाखड़ा नांगल परियोजना से विद्युत प्रजनन	Power generation from Bhakra Nangal Complex	108

अता० प्र० सं० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
1390	आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम और भारत रक्षा नियमों के अधीन संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों की गिरफ्तारियां	Arrests of M.Ps. and MLAs under MISA and DIR	109
1391	मिजो विद्रोहियों की गतिविधियां	Activities of Mizo Rebels . . .	109
1392	नरोरा (उत्तर प्रदेश) में आणविक बिजली केन्द्र का निर्माण	Construction of Atomic Power Station at Narora (U.P.)	110
1393	आल इंडिया रेडियो में अनुसूचित जातियों के कलाकार	Scheduled Castes Artistes in AIR	110
1394	आवश्यक मदों का उत्पादन करने वाले एककों पर लेवी	Levy on Essential items producing Units	111
1395	"फिफ्थ प्लान में बी नान स्टार्टर नैक्सट यीअर आलसो" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News report captioned 5th Plan may be non Starter next year also . .	111
1396	बिहार सर्किल में टेलोफोन सुविधाओं का विकास	Development of Telephone facilities in Bihar Circle	111
1397	बिहार सर्किल में रिक्त पद	Vacant posts in Bihar Circle .	112
1398	पटना में डाक-तार विभाग के औषधालयों में अपर्याप्त कर्मचारी	Inadequate staff in P & T Dispensaries at Patna	113
1399	स्वतंत्रता सेनानियों की ऐसोसियेशनों को अनुदान	Grants to Freedom Fighters Associations	114
1400	शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के प्रयोग हेतु ताप-नाभिकीय (थरमोनुक्लीयर) विस्फोट	Thermonuclear explosion for use of Atomic Energy for peaceful purposes	114
विशेषाधिकार का प्रश्न--आयात लाइसेंस संबंधी मामला		Question of Privilege—Import Licence Case	115
सभा पटल पर रखे गये पत्र		Papers laid on the Table . .	121
सदस्यों की रिहाई		Release of Members	128
(सर्वश्री जमवंत धोटे और राम हेडाऊ)		(Sarvashri Jambuwant Dhote and Ram Hedaoo)	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		Committee on Private Members' Bills and Resolutions	129
47वां, प्रतिवेदन		Forty-seven Report	129
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	129

अता० प्र० सं० U.S.Q.No. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
हिन्द महासागर के उत्तरी भाग में "नाटो" सेनाओं की नौसैनिक अभ्यास करने की योजना के समाचार	N.A.T.O. forces reported Plan to held Naval exercises in the Northern region of Indian Ocean	129
सीमा शुल्क टैरिफ विधेयक	Customs Tariff Bill	135
प्रवर समिति के सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of Members to Select Committee	135
लोक वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) विधेयक	Public Financial Institutions Laws (Amendment) Bill . .	136
संयुक्त समिति के सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of Members to Joint Committee	136
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	Committee on Public Undertakings .	136
राज्य सभा को एक सदस्य का नामनिर्देशन करने की सिफारिश	Recommendation to Rajya Sabha to nominate one Member . .	136
विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges . . .	137
प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report	137
कार्य-मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee . .	137
49वां प्रतिवेदन	Forty-ninth Report . . .	137
भारतीय तार (संशोधन) विधेयक	Indian Telegraph (Amendment) Bill .	138
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	138
श्री चन्दुलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar	138
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	138
श्री नवल किशोर सिंह	Shri Nawal Kishore Sinha	140
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	140
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga .	141
श्री शिवकुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri . . .	141
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi .	142
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder . .	142
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion . . .	143
मैसर्स कैडबरी फ्राई तथा मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को तदर्थ लाइसेंस जारी किया जाना	Issue of ad hoc Licences to Messrs Cadbury Fry and Messrs Coca Cola Export Corporation . . .	143
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	143
श्री बी० पी० मौर्य	Shri B. P. Maurya .	144

45LSS//74—2

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 20 नवम्बर, 1974/29 कार्तिक, 1896 (शक)
Wednesday, November 20, 1974/Kartika 29, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]**

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सैयद बदरुद्दुजा के दुखद निधन की सूचना सभा को देनी है जिनका देहान्त 18 नवम्बर, 1974 को कलकत्ता में हुआ । उनकी आयु 74 वर्ष थी ।

सैयद बदरुद्दुजा वर्ष 1962-70 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी और चौथी लोक-सभा के सदस्य रहे । इससे पहले वह वर्ष 1940-46 में बंगाल विधान सभा और 1946-47 में बंगाल विधान परिषद के और वर्ष 1948 से 1952 तक तथा वर्ष 1957 से वर्ष 1962 तक पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य रहे । वह अनेक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐसी अन्य संस्थाओं के साथ सम्बद्ध थे और वह कल्याण कार्यों में काफ़ी रुचि लेते रहे।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा शोक-संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाओं को भेजने में मेरे साथ शरीक होगी ।

अब सभा के सदस्य मृतक के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिये थोड़ी देर के लिये मौन खड़े हों।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिये मौन खड़े रहे ।
The members then stood in silence for a short while

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विद्रोही नागाओं और सुरक्षा बल के बीच झड़प

*122. †श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही नागाओं ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं;

(ख) क्या अक्तूबर, 1974 में नागाओं और सुरक्षा बल के बीच कोई झड़प हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक ओर के कितने व्यक्ति हताहत हुये?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) अक्तूबर, 1974 में भूमिगत नागाओं और सुरक्षा बलों के बीच 9 बार मुठभेड़ हुई जिसमें एक भूमिगत नागा मारा गया जबकि सुरक्षा बलों का एक व्यक्ति मारा गया तथा 10 घायल हुये भूमिगत नागाओं के घायल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात नहीं है । उपरोक्त मुठभड़ों में नागालैण्ड से चीन की ओर जाते हुये लगभग 100 नागा विद्रोहियों के एक गिरोह को पकड़ने तथा रोकने के लिये महीने में किये गये सुरक्षा कार्य शामिल हैं । इन कार्यों के परिणास्वरूप, जो अभी भी जारी हैं, अब तक 31 को पकड़ लिया गया है ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : गृह मंत्री ने 'विद्रोही नागा' शब्दों का उपयोग किया है । 'समाज विरोधी' शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? 'नागा विद्रोही' शब्दों के प्रयोग से नागा लोगों की गतिविधियों को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से कुछ महत्व मिल जाता है ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : 'विद्रोही' शब्द से पता चलता है कि ऐसे नागा लोग पृथकतावादी और बग़ावत की गतिविधियों में लगे रहते हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मुझे 'विद्रोही नागा' शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति है। मैं विशिष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि इन शब्दों के प्रयोग के क्या कारण हैं, क्योंकि देश में अनेक समाज-विरोधी तत्व हैं और हम उनके सम्बन्ध में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते जो नागा गड़बड़ करते हैं वे अल्पसंख्यक हैं । सरकार उनपर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाती और इस क्षेत्र में इस ख़तरे को क्यों नहीं समाप्त करती?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : सरकार इन छिपे नागा लोगों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिये अनेक कदम उठा रही है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या विद्रोही नागा लोगों की गतिविधियां, देश की सीमा पर नागालैण्ड नाम से एक छोटा-सा अलग राज्य बन जाने के बाद बढ़ गई हैं? क्या वह यह भी बताने की कृपा करेंगे कि नागालैण्ड का पृथक राज्य बनाने का उद्देश्य क्या था और क्या वह उद्देश्य प्राप्त हो गया है? यदि नहीं तो क्या सरकार पहले कि स्थिति बहाल करने पर अर्थात नागालैण्ड को पुनः आसाम के साथ मिलाने पर विचार कर रही है? विद्रोहियों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए नागालैण्ड में परा-मिलिटरी के कितने सैनिक रखे हुए हैं?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह बात कदापि ठीक नहीं है कि पृथक राज्य बनाये जाने के बाद विद्रोहियों की गतिविधियों या कठिनाइयों में वृद्धि हुई है, बल्कि वे पहले बहुत अधिक थीं। राज्य बनाये जाने के बाद अधिकांश नागा लोग भारत के साथ हैं जो शान्तिपूर्ण वातावरण चाहते हैं। विद्रोहियों की संख्या सीमित है परन्तु यह ठीक है कि ये लोग बहुत सक्रिय और आक्रामक है और जैसाकि मेरे सहयोगी गृह मंत्री ने बताया है, हम उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिये पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और कुछ नागा लोग इस मामले में हमारी सहायता कर रहे हैं।

Shri Shankar Dayal Singh : I want to know whether foreign elements still indulge in investigating Nagas and whether government have got evidence to this effect and if so, what are the names of the countries involved in such activities ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशिष्ट प्रश्न है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। आप मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते हैं।

Shri Shankar Dayal Singh : I have asked about the foreign elements who are helping rebel Nagas?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे विचार में माननीय सदस्यों को पता है कि इन विद्रोही नागाओं के ग्रुप चीन जाने का प्रयत्न कर रहे हैं; कुछ गिरोहों को रोका गया है और एक या दो गिरोह सीमा पार चले गये हैं और कुछ वापस भी आये हैं। उन से चीन के बने हथियार और चेयरमैन माओ की 'लिटल रेड बुक' भी मिली है। मेरे विचार में इसको प्रमाण माना जा सकता है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Do they include other Asian arms also?

Shrimati Indira Gandhi : We do not have any such information nor any body has raised this point so far.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It was thought that activities of rebel Nagas would be minimised after the creation of independent Bangla Desh, because they would not get the support of Pakistan. But, on the contrary, they have increased. I want to know whether any effort has been made to secure the help of Bangla Desh to deal with the activities of these Nagas ? (*Interruptions*). They try to go to China but they cannot go to China without crossing Bangla Desh.

Shrimati Indira Gandhi : Bangla Desh has nothing to do with it. Many underground Nagas have come out and they are cooperating with us as published in the newspapers.

श्री डी० बसुमतारी : यह ठीक है कि नागालैण्ड बनने के बाद नागा विद्रोहियों की गतिविधियां कम हुई हैं । परन्तु इसका क्या कारण है कि वर्तमान सरकार नागालैण्ड में विद्रोहियों की गतिविधियों को कम करने में असमर्थ रही है? क्या प्रधान मंत्री ने इस समस्या का समाधान करने के लिये मुख्य मंत्री के साथ बातचीत की है ताकि नागालैण्ड के साधारण जनों को कोई कष्ट न हो?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सामान्यतः मेरे और मुख्य मंत्रियों के बीच बातचीत गुप्त रखी जाती है । फिर भी, मैं माननीय सदस्य को आश्वसान देती हूँ कि इस बारे में सरकार को काफी चिन्ता है और इसीलिये हमने मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया है ।

श्री पीलू मोदी : इस समस्या से निपटने के लिये नागालैण्ड सरकार और केन्द्रीय सरकार का तरीका अलग-अलग है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिये नागालैण्ड सरकार के सुझाव स्वीकार कर लिये हैं अथवा प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री की बातचीत गुप्त रखी जायेगी या वह मुख्य मंत्री की बात पर ध्यान नहीं देना चाहती?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं मुख्य मंत्रियों की ही नहीं, अन्य मंत्रियों, विरोधी पक्ष के सदस्यों और श्री पीलू मोदी सहित सभी व्यक्तियों की बातें ध्यान से सुनती हूं।

यह ठीक है कि वर्तमान नागालैण्ड सरकार इस बारे में अपने विचार रखती है । परन्तु भारत सरकार को यह देखना है कि क्या नागालैंड के प्रस्तावों से विद्रोही नागा कमजोर होते हैं या उनकी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है । हमारा अनुभव है कि इस प्रकार की बातचीत अथवा उनको अधिक स्वाधीनता देने से यह समस्या हल नहीं हो सकती । वास्तव में इससे राष्ट्रीय शक्तियां कमजोर ही नहीं होती बल्कि इससे स्थानीय लोगों की जिनको ये विद्रोही धमकियां देते हैं, कठिनाइयों में वृद्धि होगी ।

भारतीय वैज्ञानिकों को विदेशों से आकर्षित करने की योजना

*123. †**श्री डी० पी० जदेजा** :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों को विदेशों से वापस लाने के लिये कोई नई योजना बनाई गई है? और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार द्वारा यदि उन्हें कोई प्रोत्साहन दिये जाने हैं, तो क्या?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) जिन भारतीय वैज्ञानिकों और प्रोद्योगिकी विदों ने अपना अध्ययन और अनुसंधान पूर्ण कर लिया है और विदेशों में कार्य करने के लिये अपनी इच्छा व्यक्त की है, की भारत वापसी का प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार ने पहिले

बहुत से उपाय किये हैं । भारतीय वैज्ञानिकों, प्रोद्यौगिकी विदों और इंजीनियरों को आकर्षित करने के लिये, जो विदेशों में सेवारत है और जिनके पास औद्योगिक विशेषज्ञता है, की भारत वापसी के लिये और अपनी विशेषज्ञता से उत्पादन एकक स्थापित करने के लिये हाल ही में सरकार ने एक योजना तैयार की है । यह एक पुश्त योजना स्वःउद्योगसंचालन विकास योजना के आधार पर बनाई गई है, जो औद्योगिक विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है और इसमें आवश्यकतानुसार लाइसेन्स, पूंजीगत माल के आयात की सुविधाऐं, और विविध व्यवस्थाऐं जैसी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, औद्योगिक भूखण्ड और भवन शामिल हैं। उन लोगों को अपनी आय विदेशी बैंकों में निर्धारित अवधि के लिये रखने और उस आय द्वारा आवश्यक उपकरण तथा अतिरिक्त पुर्जों का उद्योग प्रारंभ करने के लिये आयात करने की आज्ञा प्रदान की जायेगी ।

श्री डी० पी० जदेजा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत विदेशों से औद्योगिक उद्यमकर्ताओं के रूप में इस देश में कितने व्यक्तियों को लाया गया है ?

श्री टी० ए० पाई : यू० के०, यू० एस० ए० स्विटज़रलैंड और साऊदी अरब स्थित 22 वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकी विज्ञों ने इस योजना के बारे में भारतीय वैज्ञानिक अनुसन्धान परिषद से पूछताछ की है भारत स्थित वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विज्ञों द्वारा भी भारत में उद्योग स्थापित करने के लिये कुछ उपकरणों का आयात करने हेतु उनके प्रशिक्षण का विदेशी बैंकों में उपयोग करने के लिये पूछताछ की गई है । उनके मामलों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री डी० पी० जदेजा : क्या इस योजना के अधीन सरकार का विचार विदेश स्थित अर्हताप्राप्त भारतीय डाक्टरों को, उनके पास विदेशी पार-पत्र रहने के बावजूद, भारत में रहने और व्यवसाय चलाने के लिये प्रोत्साहन देने का है ?

श्री टी० ए० पाई : मेरे विचार में भारत में किसी डाक्टरों द्वारा अपना व्यवसाय चलाये जाने में कोई कठिनाई नहीं है ।

यह योजना मुख्यतः उद्यमकर्ताओं और विशेषकर विदेशों में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिये है । यदि उन्हें सुरक्षा का अधिक ध्यान है तो वे यहां पर सेवा के लिये आना चाहेंगे। यह योजना उनके लिये है जो विदेशों में प्राप्त टेक्नोलोजी सम्बन्धी ज्ञान के आधार पर कुछ उद्योग स्थापित करना चाहते हैं और जो उद्यमकर्ता सम्बन्धी योग्यता तथा शैक्षिक अर्हता रखते हैं और यदि वे पहले नियमों और विनियमों के अनुसार यहां पर नहीं आ सकते थे तो हम उनकी समस्याओं पर विचार करने और उनका समाधान करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि उन्हें इस देश में उद्योग स्थापित करने के अवसर उपलब्ध किये जा सकें ।

श्री नूरूल हुडा : सरकार ने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि हमारे देश में 2.26 लाख वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविज्ञ बेरोज़गार हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत में बहुत से वैज्ञानिक बेरोज़गार हैं क्या विदेशों से वैज्ञानिक बुलाने के लिये योजनाएं बनाना ठीक बात है और क्या सरकार के विचार में विदेश स्थित वैज्ञानिक हमारे देश में वैज्ञानिकों की बेरोज़गारी को देखते हुए यहां पर आना पसंद करेंगे ?

श्री टी० ए० पाई० : हम किसी को रोज़गार देने का वचन दे कर यहां पर नहीं बुला रहे । ऐसे व्यक्ति जिन्होंने काफ़ी विदेशी मुद्रा अर्जित कर ली है और जो यहां पर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं और उन्होंने जो प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान वहां पर प्राप्त किया है जिससे देश को लाभ होगा, उसका उपयोग यहां पर करना चाहते हैं, उन्हें ही आमंत्रित किया जाता है । मेरे विचार में यदि वे यहां पर उद्योग स्थापित करें तो वे हमारे देश के अन्य वैज्ञानिकों को भी रोज़गार उपलब्ध करेंगे ।

श्री वसंत साठे : क्या यह योजना केवल ऐसे वैज्ञानिकों के लिये है जो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं या उनके लिये भी है जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, ताकि वे भी भारत वापस आ सकें ?

श्री टी० ए० पाई : : हमारे अधिकांश वैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं और उनमें से ऐसे वैज्ञानिक भी जिन्हें यहां बुलाने की आवश्यकता है या जिनकी विशेषज्ञता उपयोगी हो सकती है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत एक अन्य योजना द्वारा आकर्षित होते हैं; जो व्यक्ति अत्याधिक योग्य हैं और जिन्हें अनुसंधान कार्य में भी लगाया जा सकता है, उन्हें भी बुलाया गया है।

श्री वसंत साठे : : उन्हें पर्याप्त सुविधाएं देकर के ?

श्री टी० ए० पाई : नियुक्ति की।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह सच नहीं है कि वैज्ञानिकों को, विशेषकर मौलिक अनुसंधान के क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिकों को अपनी अनुसंधान योग्यता की अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं और उसके परिणामस्वरूप अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर रहे बहुत से वैज्ञानिक विदेशों में जा रहे हैं । इस बात का सर्वोत्तम उदाहरण डा० खुराना हैं जिन्हें यहां पर्याप्त अवसर नहीं मिल सका। ऐसे प्रमुख व्यक्ति को बाहर जाना पड़ा जहां उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला । संभवतया और भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं । इस विशेष कठिनाई को ध्यान में रखते हुए जो साइंस कांग्रेस में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई है, क्या मंत्री महोदय इस बात पर गौर करेंगे और मौलिक अनुसंधान के लिये बेहतर अवसर प्रदान करेंगे ?

श्री टी० ए० पाई० : निश्चय ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत हमारा विचार अपने अनुसंधान को तेज करने के लिये पांचवी योजना के दौरान 1000 करोड़ रुपये खर्च करने तथा और अधिक उन्नत वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रवेश करने की कोशिश करने का है जो उच्च योग्यता वाले तकनीशनों और वैज्ञानिकों को उचित स्तर पर नौकरी दिलवाये और अनुसंधान के लिये भी सुविधा प्रदान करें। माननीय सदस्य की बात पर गौर कर लिया गया है ।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा तर्क यह था कि मौलिक अनुसंधान की तुलना में व्यावहारिक अनुसंधान के अधिक अवसर हैं । क्या मंत्री महोदय पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे ?

Shri D.N. Tiwary : There are a number of scientists who have come back to India after receiving education from abroad but are struggling hard for getting employment. What programme is there for such persons so that they can be persuaded to remain here and they may not go abroad again ?

श्री टी० ए० पाई० : : वैज्ञानिक 'पूल' के लिये हमारी एक अन्य योजना है । विदेशी योग्यताओं वाले जिन व्यक्तियों ने आवेदन किया है (9762), उनमें से लगभग 480 इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लगभग 3914 व्यक्तियों ने 'पूल' छोड़ दिया और भारत में रोजगार प्राप्त कर लिया । लगभग 1220 व्यक्ति वापिस आने को तैयार नहीं थे । लगभग 3719 व्यक्तियों ने अपने उत्तर नहीं भेजे हैं । यह सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास होगा कि लोगों को उचित अवसर दिये जायें क्योंकि हम चाहते हैं कि उनकी प्रतिभा व्यर्थ न जाने पाये ।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether it is a fact that scientists are given step-motherly treatment and as a result, they go abroad in large number ? How many persons are there who have been given 'step-motherly' treatment and who have left India with discontentment and today they are evincing their talents there and the Governments of those countries are deriving benefits of their talent? May I know whether the Government has made any publicity through their embassies in foreign countries that scientists working abroad should come back to India in large number ? The number of 22 has been given which is very low, they should come back with their belongings in large number. In such a situation, is the Government prepared to exempt them from excise duty ?

श्री टी० ए० पाई : मुझे मालूम नहीं है कि सौतेले व्यवहार की क्या शिकायत है । मैं समझता हूं कि ऐसी शिकायत तो समाज के हर क्षेत्र की है । हमारा मत है कि हमारे वैज्ञानिकों को ऐसे अवसर प्रदान किये जाने चाहियें जहां उनकी प्रतिभा और अनुभव का उपयोग किया जा सके । देश को चाहिये कि उन्हें हर संभव अवसर प्रदान करे और हमारी योजनाओं में यदि पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो अब ऐसे अवसर प्रदान करने की व्यवस्था करे ।

Shri Hukam Chand Kachwai : What steps are going to be taken to attract more and more persons to apply for coming back ? Mr. Speaker, Sir, I request you to ask the hon. Minister to reply to my question.

Mr. Speaker : You have put the question without requesting me, now you request me for answer.

Shri Hakum Chand Kachwai: I have put my question through you.

श्री टी० ए० पाई : ऐसा इरादा नहीं है और न ही यह संभव है कि प्रत्येक आदमी जो विदेश चला जाता है वह वापिस यहां आये । ऐसे भी उच्च योग्यता वाले व्यक्ति हैं जो भारतीय विश्वविद्यालयों से अपनी डिग्रियां ले रहे हैं और जिनके पास ये डिग्रियां हैं । वे किसी प्रकार भी विदेशों में डिग्री लेने वालों से कम नहीं हैं । एक ओर हमें उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों को नौकरी देने के लिये अवसर देने होते हैं । केवल धन कमाने का ही इरादा नहीं है अपितु उनके काम के माध्यम से संतोष प्राप्त करना भी एक लक्ष्य है । यदि बहुत से लोगों को केवल उच्च पारिश्रमिक द्वारा ही आकर्षित किया जाये तो हम उन्हें यहां वापिस बुला सकते हैं । मैं इस बारे में विस्तारपूर्वक कुछ नहीं कहना चाहता जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि देश के विकास के हित में जो यहां वापिस आना चाहते हैं और बसना चाहते हैं उनके लिये निरन्तर अवसर उत्पन्न किये जायें तथा उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाये ।

श्री के० गोपाल : विदेशों में रहने वाले हमारे वैज्ञानिकों और टेक्नोलोजिस्टों को हमारे मिशनों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने की मुख्य कठिनाई है । जब वे हमारे दूतावासों को लिखते हैं तो उनके पत्रों को रोजमर्रा की तरह मंत्रालय को भेजा जाता है । उसके बजाय, क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे दूतावासों में इन योजनाओं का ब्यौरा रखा जाये ताकि उन्हें तुरंत जवाब मिल जाये और लाइसेंस आदि प्राप्त करने में भी सहायता मिले ?

श्री टी० ए० पाई : : माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई समस्या को समाप्त करने के लिये हमने भारतीय दूतावासों के वैज्ञानिक अताशियों और जहां कहीं भी 'इंडिया इन्वेस्टमेंट सेन्टर स्थापित हैं', उन के माध्यम से सूचना केन्द्र बनाने की कोशिश की है ताकि उन्हें जो कुछ जानकारी चाहिये वह मिल सके और आवेदन-पत्र भी लिये जायें तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को भेजे जा सकें जो उनसे सहयोग करेगी । लाइसेंस, पूंजीगत वस्तुओं पर अनुमति, विदेशी मुद्रा, कच्चा माल आदि की समस्याएं भी दूर की जायेंगी । हमने इस बात की जांच करने के लिए दो या तीन प्रोयोगिक परियोजनाएं आरंभ की हैं कि उनकी ठीक-ठीक समस्याएं क्या हैं और उनकी निश्चय ही जांच की जायेगी और उनका समाधान किया जायेगा।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने उन योजनाओं की रूपरेखा बताई है जो सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को यहां वापिस आने में आकर्षित करने हेतु बनाई गई हैं। उनसे पहले वाले मंत्री महोदय ने भी हमें ऐसा ही आश्वासन दिया था । क्या वह हमें यह बतायेंगे कि कितने वैज्ञानिकों ने इन योजनाओं के प्रति रुचि दिखाई है ? यदि वह संख्या आशा से कम है, क्योंकि उनमें से बहुत से वैज्ञानिक अभी भी विदेशों में हैं, तो क्या सरकार इनमें से कुछ योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाने के लिये उनमें परिवर्तन करने पर विचार करेगी? क्या सरकार को यह जानकारी है कि उनके समान प्रतिभा वाले बहुत से वैज्ञानिक जो पहले से ही हमारे देश में देशभक्ति की भावना से काम कर रहे हैं उन्हें अनुसंधान आदि करने में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? वे अन्य व्यक्तियों की तरह विदेश जाने के लिये विवश न हो जायें, यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री टी० ए० पाई० : यह प्रश्न विदेशों में रहने वाले वैज्ञानिकों से सम्बन्धित है । अब माननीय सदस्य ने वैज्ञानिको की समस्याएं उठाई हैं । हम जो कुछ कर सकते हैं वह यह है कि यदि हमारे ध्यान में कोई विशेष उदाहरण लाया गया कि उनकी वास्तविक समस्या क्या है तो हम उसकी जांच करेंगे। यदि किन्हीं नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता हुई और उनसे कोई समस्या उत्पन्न हुई तो हम इस हेतु भी कार्यवाही करेंगे । हमारा उद्देश्य अपने प्रतिभावान व्यक्तियों को वापिस बुलाने का है परन्तु हम यह नहीं कह रहे हैं कि इन योजनाओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति यहां वापिस आ जायेगा। जैसा कि मैंने कहा है, उनमें से अधिकांश व्यक्तियों को जितना वे पारिश्रमिक पाते हैं उससे अधिक पारिश्रमिक देकर यहां बुला सकते हैं । यदि वे रोजगार सम्बन्धी सन्तोष चाहते हैं तो हम निश्चय ही उनकी समस्याओं की जांच करेंगे और वे सभी सुविधाएं देंगे जो वे चाहते हैं ताकि उन्हें रोजगार सम्बन्धी संतोष मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री समर मुखर्जी ।

डा० कैलाश : प्रश्न सं० 140 भी ऐसा ही है । दोनों को साथ लिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ध्यान शुरू में ही दिलाना चाहिये था । अब मैं अगले प्रश्न के लिये कह चुका हूं ।

रेल माल डिब्बों का उत्पादन

*124. **श्री समर मुखर्जी† :**
श्री सरोज मुखर्जी :

क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1973-74 में रेल माल डिब्बों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इस समय कितने माल डिब्बे काम में आ रहे हैं;

(ग) भारत में रेल माल डिब्बों की मांग और पूर्ति में कितना अन्तर है; और

(घ) गत तीन वर्षों में, वर्षवार गर सरकारी माल डिब्बे निर्माताओं को कितनी राशि दी गई ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1973-74 में चार पहियों वाले मालगाड़ी के डिब्बों की कुल उत्पादन सं० 12198 है।

(ख) वर्ष 1973-74 में काम में आ रहे मालगाड़ी के डिब्बों (चार पहियों वाले) की औसत सं० निम्न प्रकार है:—

ब्राडगेज	. 1,05,770
मीटरगेज	. 3,37,791
नैरोगेज	9,555

(ग) कुछ नहीं।

(घ) 1971-72 . 15.52 करोड़ रुपये
1972-73 . 23.66 करोड़ रुपये
1973-74 . 34.45 करोड़ रुपये

श्री समर मुखर्जी : कोयले तथा अन्य आवश्यक सामग्री के लाने ले जाने के लिये माल डिब्बों की कमी के बारे में कुछ समय पहले शिकायतें थीं और थोड़े समय के लिये माल-डिब्बों का उत्पादन बढ़ाने के लिये लोगों में रोष विद्यमान था । अब मंत्री महोदय का कहना है कि माल-डिब्बों की कोई कमी नहीं है । वास्तव में माल-डिब्बा उद्योग बहुत बुरी हालत में है । समाचार-पत्रों के समाचारों के अनुसार, 1972 में अधिष्ठापित क्षमता 13,000 थी और वास्तविक उत्पादन 9721 हुआ । 1973 में अधिष्ठापित क्षमता 33,869 थी और वास्तविक उत्पादन 11,000 हुआ । इससे स्पष्ट है कि उत्पादन में अधिष्ठापित क्षमता की दृष्टि से बहुत अधिक कमी रह गई है और यह उद्योग संकट का सामना कर

रहा है । जब उत्पादन गिर रहा है तो अधिष्ठापित क्षमता क्यों बढ़ाई गई है? क्या सरकार नें माल-डिब्बों की वास्तविक आवश्यकता और ऐसे माल डिब्बे बनाने की क्षमता का कोई ठोस अध्ययन किया है? इस समय माल-डिब्बा उद्योग पूर्णतया रेलवे के, क्रयादेशों पर निर्भर है। चूंकि रेलवे से कोई क्रयादेश नहीं मिले हैं इसलिये क्या सरकार उन्हें अन्य प्रकार के क्रयादेश देने को उद्यत है ताकि यह उद्योग अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करता रहे?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि देश में माल डिब्बा उद्योग को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है । हमारे माल डिब्बा उद्योग के 13 कारखाने चल रहे हैं और इन कारखानों की प्रभावी क्षमता 27,128 प्रतिवर्ष है । मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि उत्पादन आशा या प्रभावी क्षमता के अनुरूप नहीं हुआ है । माल-डिब्बा उद्योग का एक मात्र ग्राहक रेलवे विभाग है । पांचवीं योजना के लिये माल-डिब्बों की आवश्यकता का अनुमान 1,10,000 था जो प्रति वर्ष 22,000 में विभाजित किया गया, परन्तु रेलवे के पुनरीक्षित चल-स्टाक कार्यक्रम के अनुसार, वित्तीय कठिनाई के कारण उन्होंने इसमें कटौती कर दी है । स्पष्ट है कि ये कारखाने चलते रहें इसके लिये हमारे पास पर्याप्त क्रयादेश नहीं हैं परन्तु हम विदेशों में मंडियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं । हाल ही में कुछ मध्यपूर्व तथा पश्चिम एशियाई देशों से उत्साहवर्धक पेशकश हुई है । यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन कारखानों को चालू रखा जाये, हम इन सभी संभावनाओं का पता लगा रहे हैं।

श्री पीलू मोदी : सोवियत पेशकश का क्या हुआ?

श्री ए० सी० जार्ज : वह माल-डिब्बों के लिये नहीं थी ।

रेलवे पुनरीक्षित चल-स्टाक कार्यक्रम के कारण रेलवे की मांग में कमी के कारण उत्पादन में कमी हुई है । हम निर्यात तथा रेलवे की बढ़ी हुई मांग की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं ताकि ये कारखानें चलते रहें।

अध्यक्ष महोदय : वह कौनसा प्रश्न था जिसे एक माननीय सदस्य ने साथ लेने के लिये कहा था?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : यह सुझाव था कि प्रश्न संख्या 140 इस प्रश्न के साथ ले लिया जाये क्योंकि दोनों का एक ही विषय है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा । उन्हें साथ ले लीजिए ।

वैगन उद्योग की अप्रयुक्त क्षमता

*140. **श्री धामनकर :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैगन निर्माण उद्योग की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) विदेशों से प्राप्त क्रयादेशों सहित इस समय कुल कितने वैगनों के क्रयादेश हाथ में हैं और 1400 वैगनों के लिए रेलवे के नये क्रयादेशों संबंधी कथित निर्णय क्या है;

(ग) क्या उक्त उद्योग की काफी क्षमता अभी भी अप्रयुक्त पड़ी रहेगी और यदि हां, तो कितनी; और

(घ) क्या विदेशों में रेलवे वैगनों की उपयुक्त मांग का पता लगाने के उद्देश्य से कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वैगन निर्माण उद्योग की चार पहिए के डिब्बों की वर्तमान क्षमता 27,815 है। इसके अलावा, रेलवे वर्कशाप की क्षमता 5,000 वैगनों की है।

(ख) 1 अक्तूबर, 1974 को वैगन उद्योग के पास चार पहिए वाले 31,686 वैगनों के आर्डर पड़े हुए हैं। वैगन निर्माताओं के पास 4,422 वैगनों के निर्यात आर्डर हैं।

(ग) वैगनों के लिए पिछले बकाया पड़े आर्डर काफी हैं। इन आर्डरों को पूरा करना काफी अलाभकारी है। नये आर्डर आने काफी कम हो गए हैं। इसके परिणामस्वरूप अधिष्ठापित क्षमता का इष्टतम या लाभकारी उपयोग नहीं हो रहा है।

(घ) प्रोजेक्टस एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, जो इस देश से वैगनों के निर्यात का अभिकरण है, अन्य देशों से निर्यात पूछताछों का नियमित रूप से अनुश्रवण (मानीटरिंग) करता है और संभावित बाजारों का सर्वेक्षण करता है। बाजारों का पता चलाने और उनको माल की पूर्ति करने के लिए समयबद्ध नीति तैयार करने हेतु एक अन्तः मंत्रालय समिति गठित की गई है।

श्री समर मुखर्जी : मेरा प्रश्न तो यह था कि क्या सरकार ने वास्तविक आवश्यकता तथा उत्पादन क्षमता का कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया है। इन दोनों में सामन्जस्य किया जा सकता है। आवश्यकता को देखते हुए उत्पादन में ताल-मेल किया जा सकता है। यदि वैगनों के लिये पर्याप्त क्रयादेश नहीं हैं तो कुछ अन्य प्रकार के क्रयादेश दे दिये जायें ताकि यह उद्योग चालू तो रहे।

श्री ए० सी० जार्ज : पहले प्रश्न के उत्तर में भी मैंने स्पष्ट किया था कि हमने पांचवीं योजना के लिये उत्पादन की योजना तैयार की है। मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से सहमत हूं कि इस संबंध में एक लम्बी अवधि की नीति तैयार करनी होगी ताकि इस उद्योग को जीवित रखा जा सके तथा इसका कार्यकरण ठीक ढंग से चलता रहे। चार युनिटों का घाटे में पड़ जाना तथा सरकार द्वारा उन्हें अपने अधिकार में लिये जाने का यही कारण था कि वित्तीय कठिनाई थी और क्रयादेश लाभप्रद नहीं थे और वे कम भी हो गये थे। हाल ही में, एक वर्ष पूर्व, हमने बर्न एण्ड कंपनी तथा आई० एस० डब्ल्यू० को अपने अधिकार में लिया था। आर्थर बटलर एण्ड कंपनी को भी हमने अधिग्रहीत किया था। इसके

अतिरिक्त हमने वगन इण्डिया लिमिटेड के नाम से एक नया उपक्रम भी स्थापित किया है ताकि सभी निर्माता एककों की गतिविधियों को समन्वित किया जा सके जिससे कि सप्लाई, मांग तथा विपणन सुनियोजित हो सके।

श्री धामनकर : क्या सरकार को मालूम है कि वैगन निर्माता गैर-सरकारी एकक वैगनों को निर्यात करने की बजाय बाजार में कच्चा माल बेचकर तथा भारी मुनाफा कमा कर कृत्रिम रूप में अनुपयुक्त क्षमता की स्थिति पैदा कर रहे हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : यदि विशिष्ट उदाहरण दिये जाते तो हम सहर्ष उनकी जांच करते।

श्री धामनकर : मैंने प्रश्न विशिष्ट रूप से पूछा था...

अध्यक्ष महोदय : मैं और मंत्री महोदय दोनों में से किसी को भी आपका प्रश्न समझ में नहीं आया।

श्री धामनकर : रेलवे के अतिरिक्त गैर-सरकारी एकक भी वैगन बनाते हैं। वे लोग वैगन बनाने की बजाय कच्चे माल को बाजार में बेच देते हैं और इस प्रकार कृत्रिम ढंग से अन-उपयुक्त क्षमता पैदा करते हैं। क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वैगनों के निर्माण में लगी गैर-सरकारी कंपनियों को 17 करोड़ रुपया दिया गया है। दूसरी ओर सरकारी उद्योग की कंपनियां पैसे की कमी के कारण दुःखी हैं। उन्होंने अपनी क्षमता घटा दी है। अमृतसर रेलवे वर्कशांप में गत वर्ष उन्होंने 1500 वैगन बनाये। इस वर्ष उनका लक्ष्य 500 वैगन का है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है ? क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या उनके पास गैर-सरकारी उद्योगों को धन देने को तो पैसा है परन्तु सरकारी उद्योग पैसे की कमी से परेशान हैं ?

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : इसमें कुछ भ्रम पैदा हो गया दिखाई देता है। यह प्रश्न गैर-सरकारी वैगन एककों को दिये गये क्रयादेशों से संबंधित है। अधिकांश वैगन उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में है। कुछ एककों के संकट ग्रस्त होने के बाद ही हमने उन्हें औद्योगिक विकास विनियम अधिनियम के अधीन अपने अधिकार में लिया था। रेलवे वर्कशाप 2000 से 3000 तक वैगन बना रही हैं। अब उनका कहना है कि उनकी क्षमता 5000 वेगन है। रेलवे अन्य एककों को वैगन बनाने के आदेश तभी देती है जब कि उनकी अपनी वर्कशाप उनकी आवश्कता पूरी नहीं कर पाती हैं। अब, रेलवे ही क्योंकि मुख्य क्रेता है इसलिये वैगन-उद्योग प्रतिवर्ष इन्हीं पर आश्रित रहता है। रेलवे की वित्तीय कठिनाई के बावजूद भी हम वैगन उद्योग को अधिकाधिक क्रयादेश दिलाने तथा पुराने क्रयादेशों के लिये भी मूल्यों में संशोधन का प्रयास करते रहे हैं क्योंकि अब लागत मूल्य में वृद्धि हो गई है। अब वैगन उद्योग के सामने जो विकल्प रह गया है तथा जिसके लिये उसें प्रयास भी करना चाहिये, वह यह है कि वह केवल भारतीय मंत्री पर ही आश्रित न रहे और हम अपने उत्पादन का निर्यात की ओर रूख मोड़े ताकि पूरी क्षमता का लाभ उटाया जा सके।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि वैगन उद्योग का 70 प्रतिशत भाग ग्रेटर कलकत्ता के क्षेत्र में स्थित है, यदि हां, तो फिर वैगन कंपनी से मुख्यालय को दिल्ली में स्थापित करने का क्या औचित्य है? दूसरे, किन-किन देशों ने इस उद्योग को वैगन के क्रयादेश दिये हैं?

श्री टी० ए पाई : वैगन उद्योग तो रेलवे तथा वैगन निर्माताओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाला एक छोटा-सा एकक है। हमने सोचा कि अन्ततः कलकत्ता में इसकी स्थापना से न तो लोगों को रोजगार मिलेगा और न ही इससे बेहतर तालमेल स्थापित होगा। चूंकि अनेक वैगन एककों की ओर से हमारी बातचीत रेलवे से चल रही है अतः हमने इसकी स्थापना दिल्ली में करना उचित समझा।

जहां तक निर्यात का संबंध है, निर्यात क्षमता होते हुये भी हमें परिवहन संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखना है। एक वैगन की निर्यात लागत लगभग 90,000 रुपये हो सकती है, फिर भी हमें ज्ञात हुआ है कि पूरे वैगन की परिवहन लागत 60,000 रुपये तक भी हो सकती है। जब तक हम इस बारे में प्रतियोगिता न करें और यह प्रयत्न न करें कि परिवहन लागत किस प्रकार कम की जा सकती है, तब तक हम अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में कार्य नहीं कर सकते। इन सभी प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या यह सच है अथवा नहीं कि गत तीन वर्षों से पोलैंड तथा अन्य समाजवादी देशों से वैगनों के लिये बहुत से आर्डर आये हैं? ये आर्डर उन एककों के पास आये जिन्हें सरकार ने अभी हाल में अपने हाथ में ले लिया है और हम करार को समय पर पूरा न कर सके जिसके फलस्वरूप इन देशों, विशेषकर पोलैंड ने अधिक आर्डर देने से इंकार कर दिया है। क्या यह भी सच नहीं है कि इससे पहले हम निर्यात संबंधी जिन बचतों को गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा पूरा करते थे, उन्हें अब हम सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत संतोषपूर्वक ढंग से पूरा नहीं कर पा रहे हैं और मंत्रालय अब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इनका निर्माण न करने तथा आर्डरों को गैर-सरकारी क्षेत्रों को भेजने पर विचार कर रहा है?

श्री टी० ए० पाई : यह बात सच नहीं है कि पोलैंड ने अपने आर्डर रद्द कर दिये हैं क्योंकि हम आर्डरों को पूरा नहीं कर पाये। युगोस्लाविया के आर्डरों के बारे में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लागत-वृद्धि इतनी अधिक है कि इन आर्डरों को पूरा करने से हमें भारी हानि होगी और मूल्यों का पुनरीक्षण करने के लिये युगोस्लाविया से अब भी बातचीत हो रही है। मेरे विचार में निर्यात की समस्या ऐसी नहीं जो हमारे सामर्थ्य से बाहर हो। मेरे विचार में पुर्नगठन के बाद हम सभी बचत पूरा करने योग्य हो जायेंगे। नई व्यवस्था के अन्तर्गत हम इस व्यापार में पहले की तरह हानि के बिना प्रवेश करने की संभावनाओं का पता लगायेंगे।

Shri Onkar Lal Berwa : There is a wagon manufacturing factory at Bharatpur in Rajasthan. Its capacity is not being fully utilised. It remains closed for three months in a year for want of raw material. What are the reasons for not providing raw material and not giving contract to this factory?

श्री टी० ए० पाई : रेलवे वैगनों के मामले में यदि रेलवे ने आर्डर दिये हैं और जब उन्होंने वैगन उद्योग को कुछ आधारभूत पुर्जे देने का वचन दिया है और यदि काम में बाधा पड़ने के फलस्वरूप कारखाने में कोई हानि हो गयी हो तो मेरे विचार में यह मामला रेलवे तथा कारखाना-विशेष के बीच निबटाया जाने वाला है।

औद्योगिक उत्पादन में मंदी

***125. श्री एस० आर० दामाणी† :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचार में वर्ष 1973 और 1974 में औद्योगिक उत्पादन में गतिरोधता होना मन्दी की प्रवृति का द्योतक है ;

(ख) किन-किन उद्योगों में बहुत अधिक गतिरोधता है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसको रोकने तथा समूचे रूप में देश की अर्थव्यवस्था को बचाने हेतु इसे नया जीवन प्रदान करने के लिए क्या मुख्य उपाय किये गये हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के सरकारी आंकड़े अप्रैल, 1974 तक उपलब्ध है जिनसे जनवरी-अप्रैल, 1974 के दौरान 1973 की इसी अवधि की तुलना में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है। प्रमुख वर्गों तथा उप-वर्गों के विस्तृत विश्लेषण के सूचकांक यह दर्शाते हैं कि उत्पन्न की गई बिजली (+10.1 प्रतिशत) तथा "खनन एवं उत्खनन" (+7.7 प्रतिशत) की पुनः वृद्धि हुई तथा बनाई जाने वाली वस्तुओं में मामूली गिरावट आयी। जनवरी-अप्रैल, 1974 की अवधि में 'निर्माणशीर्ष' के अन्तर्गत निम्नलिखित वर्गों के उत्पादन में गिरावट आयी, यथा जूट वस्त्र निर्माण (—30.7 प्रतिशत); मूल धातु उद्योग (—11.3 प्रतिशत); रसायन (—5.6 प्रतिशत); जूते (—4.6 प्रतिशत); परिवहन उपकरण (—3.0 प्रतिशत); धातु-उत्पाद (—2.6 प्रतिशत) तथा खाद्य (—1.8 प्रतिशत)।

इन उद्योगों में उत्पादन में गिरावट कई मिले-जुले कारणों जैसे बिजली में कटौती, कृषि आधारित कच्चे माल की कमी, ऊर्जा-संकट तथा परिवहन की बाधाओं से हुई है।

इसी अवधि में निम्नलिखित उद्योग समूह में वृद्धि की दर बढ़ी है, जैसे चमड़ा तथा कर उत्पाद (+24 प्रतिशत); पेय पदार्थ तथा तम्बाकू (+21.7 प्रतिशत); लकड़ी तथा कार्क निर्माण (+16.5 प्रतिशत); रबड़ उत्पाद (+ 16.2 प्रतिशत), पेट्रोलियम परिष्करण उत्पाद (+13.3 प्रतिशत); अधात्विक खनिज (+6.3 प्रतिशत); विद्युत मशीनरी (+4.51 प्रतिशत) और गैर विद्युत मशीन निर्माण 2.5 प्रतिशत यद्यपि उपर्युक्त कारणों से 1973 तथा 1974 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर संतोषजनक नहीं रही है फिर भी हाल ही में उत्पादन के रुख में मन्दी के चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं।

सरकार ने अधिकतम उत्पादन की उपलब्धि करने तथा विद्यमान क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने की दृष्टि से हाल ही में कई निम्नलिखित कदमों की घोषणा की हैं, यथा :—

—औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रक्रिया का और अधिक सुप्रवाही बनाना;

—विद्यमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अन्दर मशीन तथा मशीन टूल उद्योगों में विविधीता लाने को प्रोत्साहन देना;

—विभिन्न उद्योगों के चयनात्मक आधार पर ऋण की आवश्यकताओं की जांच करने हेतु एक विशेष समिति की स्थापना करना; और

—चुने हुए उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्तियों पर प्रतिमास निगरानी रखना।

श्री एस० आर० दामाणी : विवरण के अनुसार, अप्रैल, 1974 तक औद्योगिकी उत्पादन में केवल 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि हमारा अनुमान 7 प्रतिशत का था। प्रतीत होता है कि सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के अनेक कारखानों की क्षमता बेकार पड़ी है। अभी हाल ही में न केवल उपभोक्ता वस्तुओं बल्कि उर्वरक, ट्रैक्टर, सीमेंट, इस्पात आदि वस्तुओं की मांग में भी कमी हुई है और माल जमा होता जा रहा है। ग्राहक कोई नहीं। जिसके फलस्वरूप अनेक छोटे छोटे उद्योग बन्द होने की स्थिति में हैं। क्या सरकार ने मांग में कमी के कारणों की जांच की है और इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है, ताकि इसकी मांग बढ़े तथा छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को काम मिल सके और ये बन्द न हों ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : यह सच नहीं है कि जब मूल्य ऊंचे होते हैं तो इस देश में क्षमता का उपयोग भी बढ़ जाता है। अब यदि कोई मांग नहीं है, तो इसका कारण यही है कि मूल्य बहुत ऊंचे हैं जो बहुत से लोगों के सामर्थ्य से बाहर हैं और वे आशा रखते हैं कि मूल्य गिर जायेंगे और वे ऊंचे मूल्यों का मुकाबला कर रहे हैं और इस स्थिति में कर सकते यदि इसे स्वयं नहीं निपटा सकते तो मैं इस बारे में असमर्थ हूं क्योंकि हम मूल्य कम करना चाहते हैं।

श्री एस० आर० दामाणी : मंत्री महोदय ने कहा है कि मूल्यों में गिरावट आनी चाहिगे क्योंकि मांग की कमी का कारण ऊंचे मूल्य हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि गत तीन महीनों के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में कितने प्रतिशत कमी हुई है ?

श्री टी० ए० पाई : हर कारखाने में भिन्न भिन्न स्थिति है। जब उपभोक्ता क्रय नहीं करते तो कारखाने विक्रय नहीं करते क्योंकि उनको माल की तालिका ऊंचे मूल्यों की है। प्रतीत होता है कि 40 से 20 प्रतिशत तक गिरावट आयी है, लेकिन परचून स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं नजर आता। उद्योग-पतियों को महसूस करना चाहिये कि अच्छे समय में जब वे लाभ कमाते हैं तो मूल्य गिरने पर उन्हें हानि सहने के लिये भी तैयार रहना चाहिये, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को पहुंचाया जाना चाहिये ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में वर्ष 1973-74 के औद्योगिक उत्पादन का सही लेखा-जोखा नहीं मिलता और इसमें पूरे वर्ष 1973-74 का विवरण न होकर केवल अंतिम तीन अथवा चार महीनों का ही विवरण है। क्या मंत्री महोदय इस बात से सहमत होंगे कि वर्ष 1973-74 के दौरान कुल औद्योगिक उत्पादन में 0.4 प्रतिशत की कमी आयी है? क्या यह सच नहीं है कि मंत्री महोदय को 7 प्रतिशत वृद्धि संबंधी बड़ी बड़ी आशाओं के बावजूद भी, औद्योगिक उत्पादन 1974-75 के दौरान 0.2 प्रतिशत तक गिरने जा रहा है और वर्ष 1974-75 के दौरान इसे सुव्यवस्थित करने के लिये क्या शीघ्र कार्यवाही की जा रही है, ताकि यह गिर कर कम से कम 5 प्रतिशत से नीचे न जाये?

श्री टी० ए० पाई : यदि औद्योगिक उत्पादन में अब तक की तरह बिजली की कमी, कच्चे माल की कमी तथा संचालन संबंधी अन्य बाधाओं के कारण मंदी आयी है तो हमारा कर्तव्य यथासंभव उपायों द्वारा इन कमियों को दूर करना है। लेकिन यदि औद्योगिक उत्पादन में जानबूझकर कमी की गयी है अथवा निर्बान्धात्मक प्रक्रियाओं द्वारा हुई है तो इसे दूर करने के लिये हमें सक्रिय होना पड़ेगा। 7 प्रतिशत वृद्धि से मेरा तात्पर्य यही है कि अब तक उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि पर्याप्त धन लगाने तथा नई दक्षता पैदा करने के कारण हुई है न कि सामान्य क्षमता, परिवहन तथा बिजली के कारण। अतः वर्तमान क्षमता का उपयोग करने से हम बहुत शीघ्र 7 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जो कोई चमत्कार न होगा, बशर्ते कि हम दिलोजान से प्रयास करें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : वर्ष 1974 में 7 प्रतिशत के बजाय यह 0.2 प्रतिशत है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि इसमें और अधिक कमी न हो, क्या कदम उठाये जा रहे हैं? मैंने यही पूछा था।

श्री टी० ए० पाई : लाइसेंस जारी करने तथा उद्योग स्थापित करने के लिये औद्योगिक विकास मंत्रालय जिम्मेदार है, लेकिन उत्पादन के लिये तो कारखाने स्वयं जिम्मेदार हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम मार्ग की बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस बात का ध्यान भी रख रहे हैं कि यदि उत्पादन में कोई अनुशासन नहीं है तो उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये किस प्रकार की कार्यवाही जरूरी है। मैं इस बात को मानता हूं कि हमें उन्नति करनी ही है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आवश्यक वस्तुओं के मामले में क्षमता के उपयोग पर अधिक ध्यान दिया जाये। हम इसे प्राप्त करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय द्वारा सभा-पटल पर रखे गये विवरण से बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ श्रेणी के उद्योगों को उत्पादन में गिरावट वाले उद्योग के रूप में अंकित कया गिया है और आपको यह भी ज्ञात होगा कि इन उद्योगों में पटसन कपड़ा उद्योग के उत्पादन में भी 30.7 प्रतिशत गिरावट आयी है। दूसरे पैरे से पता चलता है कि उत्पादन की गिरावट के लिए बिजली की कमी, कृषि पर आधारित कच्चे माल की कमी, ऊर्जा संकट तथा परिवहन संबंधी कठिनाईयां आदि अनेक कारण हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इन सब बातों का जिक्र न कीजिये। आप सीधे प्रश्न पूछें।

श्री बी० के० दासचौधरी : जहां तक पटसन कपड़ा उद्योग का संबंध है, वर्ष 1973-74 में जनवरी से अप्रैल तक की यह स्थिति थी लेकिन इसके पहिले वर्ष पटसन की पैदावार बहुत अच्छी हुई। इस प्रकार कच्चे माल की कोई कमी नहीं थी। इन बातों को ध्यान में रखते हुये....

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न पर आयेंगे ?

श्री बी० के० दासचौधरी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विशेषकर कलकत्ता में पटसन कपड़ा उद्योग की स्थिति में सुधार करने के लिये बिजली तथा ऊर्जा की स्थिति में सुधार करने हेतु उन्होंने क्या कार्यवाही की ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समय का ध्यान भी रखेंगे ?

श्री बी० के० दासचौधरी : मैं जानना चाहता था कि क्या वह कोई विशेष कार्यवाही करेंगे और यदि हां तो क्या विशेष कार्यवाही की जायगी ताकि पटसन कपड़ा उद्योग वांच्छित सीमा तक विकसित किया जा सके ? यह एक सरल प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इनके दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। वह मेरी बात ही नहीं सुनते।

श्री बी० पी० मौर्य : पटसन कपड़ा के उत्पादन में 30.7 प्रतिशत की गिरावट आयी है। इसके दो कारण हैं—एक तो मौसम और दूसरा यह कि दिसम्बर और जनवरी के महीनों के दौरान 35 दिनों की लम्बी हड़ताल रही है। इसका भी कुछ प्रभाव पड़ा। इन दो कारणों से उत्पादन में गिरावट आयी है।

श्री राम सहाय पांडे : मैं जानना चाहता हूं कि इस गिरावट के क्या कारण हैं। उद्योग ने बहुत पैसा बनाया है। इसमें सिमेंट, कपड़ा तथा अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं। इस मंदी के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या वह इस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री बी० पी० मौर्य : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि मंदी है। निश्चय ही कुछ मामलों में उत्पादन की कमी है। यह सच है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह मंदी की प्रवृत्ति है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारी औद्योगिक उपक्रमों द्वारा उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति

*121. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अधीन ऐसे कितने भारी औद्योगिक उपक्रम है जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों में अपने उत्पादन लक्ष्यों को पूरा कर लिया है; और

(ख) क्या बिजली में किसी प्रकार की कटौती की गई है और समान मात्रा में आयातित तथा देशी सामग्री प्राप्त नहीं हुई है और कार्यकारी पूंजी की भी कमी रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारी उद्योग विभाग की परिसीमा में आने वाले भारी औद्योगिक एककों में 1974-75 के चालू वर्ष के प्रथम छः महीनों में तिरुचिरापल्ली और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के भोपाल एककों ने उत्पादन लक्ष्य का क्रमशः 106 प्रतिशत और 105 प्रतिशत उत्पादन प्राप्त कर लिया है। भारी इंजीनियरी निगम के हैवी मशीन टूल्स संयंत्र ने उत्पादन लक्ष्य का 122 प्रतिशत उत्पादन प्राप्त किया है और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा उन्हीं छः महीनों में ट्रैक्टरों के उत्पादन लक्ष्य का 114 प्रतिशत उत्पादन प्राप्त किया है। यद्यपि कुछ अन्य एककों द्वारा उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, फिर भी उनमें से कुछ ने लक्ष्य के 90 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन प्राप्त कर लिया है। इनमें संपूर्ण भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स (91 प्रतिशत), तुगभद्रा स्टील प्राडक्टस (91 प्रतिशत) और रिचार्डसन और क्रूडास (94 प्रतिशत) सम्मिलित हैं।

(ख) जी हां, उत्पादन में गिरावट के मुख्य कारण अनेक राज्यों में बिजली की कमी, समान किस्म के देशी और आयातित दोनों प्रकार के कच्चे माल और पुर्जों की कमी, तथा कार्य संचालन पूंजी की कमी का होना है।

ईंधन नीति समिति का प्रतिवेदन

*126. **श्री बाई ईश्वर रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन नीति समिति ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया है कि कृषि सहित किसी भी उद्योग को दी जाने वाली विद्युत संबंधी राज सहायता को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) :(क) ईंधन नीति समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कृषि सहित किसी भी बिजली-पूर्ति की लागत के लिए सामान्यतः अर्थ-सहायता देने का कोई प्रश्न नहीं है।

(ख) सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है तथा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

यूरेनियम की तस्करी

*127. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में भारत से बहुत अधिक मात्रा में यूरेनियम की तस्करी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सी० बी० आई० द्वारा हाल ही में किसी गिरोह का पता लगा है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक पकड़े गये व्यक्तियों के नाम, जहां से वे पकड़े गये उन स्थानों के नाम तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) यूरेनियम की तस्करी के लिये कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। परन्तु बिहार पुलिस तथा कलकत्ता पुलिस ने यूरेनियम धातु के एकत्रीकरण की कथित चोरी के संबंध में 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनके विरूद्ध दर्ज किये गये मामलों की जांच पड़ताल हो रही है।

Extension of Jurisdiction of Press Council to News Communiques of A.I.R. and T.V.

*128. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether news communiques of All India Radio and television would be brought under the jurisdiction of Press Council;

(b) if so, the time by which this would be done; and

(c) whether any demand has been made to Government for the extension of the present jurisdiction of Press Council and if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri I.K. Gujral) : (a) to (c) The jurisdiction of the Press Council, which has been formed under an Act of Parliament, covers only news papers and news agencies.

Indo-Iranian Agreement on uses of Atomic Energy

*129. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) whether an agreement for mutual co-operation in the uses of atomic energy has been concluded with iran during the visit of Shah of Iran to Delhi; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबन्धी राष्ट्रीय समिति का पुनर्गठन

*130. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय समिति के पुनर्गठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। तथापि, समिति के कार्य संचालन में निरंतरता बनाए रखने के लिए वर्तमान समिति की अवधि (जो 24-10-74 को समाप्त हुई) 28-2-75 तक (अथवा समिति के पुनर्गठित होने तक, इन में से जो पहले हो), बढ़ा दी गई है। डा० ए० रामचन्द्रन, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, समिति के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के संगरौली कोयला क्षेत्रों में अत्यधिक शक्तिशाली तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना

*131. **श्री रण बहादुर सिंह**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के संगरौली कोयला क्षेत्रों में मुहानों पर अत्यधिक शक्तिशाली तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत): (क) जी, नहीं।

(ख) इस समय यह प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राज्यीय नदी विवादो के कारण बिजली परियोजनाओं के पूरे होने में विलम्ब

*132. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे**: क्या **उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राज्यीय नदी विवादों के कारण 120 से अधिक बिजली परियोजनाओं के निर्माण विलम्ब हुआ है और इन परियोजनाओं का लागत खर्च कई गुना बढ़ गया है;

(ख) क्या विलम्ब से प्रारंभ हुई इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक केन्द्रीय निगम स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत): (क) जी नहीं। 18 ऐसी विद्युत परियोजनाएं हैं जिन्हें अन्तर्राज्यीय विवादों के कारण स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। बहरहाल, इन परियोजनाओं के कार्यन्वयन के लिए, उनकी तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता के निर्धारण के पश्चात् पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न योजनाओं के दौरान विद्युत सैक्टर के लिए आबंटित धन राशि का पूर्ण समुपयोजन किया गया था, यह संकेत दे पाना कठिन है कि

अंतर्राज्यीय विवादों के कारण स्वीकृत न की गई ऐसी कौन सी परियोजनाएं हैं, यदि कोई हों, जिन्हें, यदि विवादों के समाधान होने के पश्चात् स्वीकृति दे दी जाती तो उन्हें प्रारंभ करके कार्यान्वित किया जा सकता था।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सेक्टर में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य को हाथ में लेने के लिए एक अथवा अधिक केन्द्रीय उत्पादन कम्पनियों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। जिन परियोजनाओं में अंतर्राज्यीय विवाद निहित हैं, उनके कार्यान्वयन के लिए एक पृथक केन्द्रीय निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है।

Results of Atomic Implosion

*133. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri S.C. Samanta :

Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state:

(a) whether Government have carried out examination of the atmospheric and underground changes, if any, caused by the Pokaran atomic implosion; and

(b) if so, the results thereof?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) There was no venting of radioactivity in the atmosphere. Drilling operations are in progress to determine certain underground parameters. Certain results of the experiment will be published when investigations are completed. According to indications available the experiment was successful.

एच० एम० टी० की घड़ियों की तस्करी

*134. **कुमारी कमला कुमारी:** क्या **उद्योग और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी० की घड़ियां देश से चोरी छिपे बाहर ले जायी जा रही हैं और दिल्ली स्थित एच० एम० टी० बिक्री कार्यालय एक व्यापारी को अनेक घड़ियां सप्लाई करता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) देश में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० द्वारा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों की बिक्री अपने बिक्री-सह-सेवा केन्द्रों और उपभोक्ता सहकारी/थोक/विभागीय स्टोरों और देश के विभिन्न भागों में स्थित मिलिट्री कैंटीनों के माध्यम से की जा रही है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के दिल्ली स्थित कार्यालय में घड़ियों की बिक्री पटल पर "पहले आओ पहले लो" के आधार पर की जाती है। चूंकि व्यापारियों के माध्यम से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों की बिक्री नहीं की जाती है इसलिए किसी विशेष व्यक्ति को अनेक घड़ियां देने का प्रश्न ही नहीं उठता। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों को देश के बाहर तस्करी या किसी विशेष व्यापारी को घड़ियों की सप्लाई करने का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

कच्चे माल, पुर्जों तथा प्रौद्योगिकी के आयात के लिये एक इलैक्ट्रोनिक्स बैंक की स्थापना

*135. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कच्चे माल, पुर्जों तथा प्रौद्योगिकी के आयात के लिए एक इलैक्ट्रोनिक्स बैंक की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) इलैक्ट्रोनिक्स उपकरण, प्रणालियों, उप-सज्जीकरण व घटकों आदि की सभी किस्मों में व्यापार प्रक्रिया का संगठन और विकास करने की दृष्टि से "इलैक्ट्रानिक्स व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम" के नाम से एक सरकारी क्षेत्र निगम इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के अधीन हाल में पंजीकृत किया गया है । यह निगम दुर्लभ सामग्रियों व घटकों की वर्तमान एवं भावी जरूरतों की मात्रा यथा संभव मालूम करेगा तथा उन्हें प्राप्त करने और, यदि आवश्यक हुआ तो, उन्हें स्टाक करने का भी प्रबंध करेगा जिससे इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग की सतत जरूरतें पूरी हो सकें। इलैक्ट्रोनिक्स मदों के विकास हेतु यह निगम उपयुक्त जानकारी एवं प्रौद्योगिकी को भी अवस्थित करेगा, ताकि विभिन्न स्रोतों से इनके पुनरावर्ती आयात को टाला जा सके ।

केरल में अखबारी कागज का कारखाना

*136. **श्री ए० के० गोपालन :**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वैल्लूर में स्थापित किये जा रहे सरकारी क्षेत्र के अखबारी कागज के कारखाने में वर्ष 1976 में उत्पादन शुरू हो जायेगा, जैसा कि केरल की अभी हाल की अपनी यात्रा के दौरान सूचना तथा प्रसारण मंत्री, श्री आई० के० गुजराल ने सार्वजनिक रूप में कहा है ; और

(ख) अखबारी कागज के कारखाने में कब तक उत्पादन प्रारम्भ होने की संभावना है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) केरल में वेल्लूर के प्रस्तावित अखबारी कागज कारखाने में संयंत्र और उपकरणों के लिये दिये गये क्रयादेश की तिथि से करीब $3\frac{1}{2}$ वर्ष के बाद उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की आशा है और विद्यमान संकेतों के अनुसार केरल परियोजना के 1978 की चौथी तिमाही तक चालू हो जाने की आशा है ।

फिल्म उद्योग में कच्ची फिल्मों की कमी

*137. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म उद्योग में कच्ची फिल्मों की भारी कमी है ;

(ख) क्या 'कोडक पोजीटिव' को केवल निर्यात प्रिंट के लिए दिया जाता है और आयात लाइसेंसों को जारी करने में विलम्ब हो रहा है ;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिए उद्योग की कुल आवश्यकता क्या है; वितरण के लिए सरकार के पास कितनी फिल्म उपलब्ध हैं और कितनी फिल्मों के आयात के लिए क्रयादेश क्रियान्विति की अवस्था में हैं ; और

(घ) वर्तमान कठिनाई का सामना करने के लिए उद्योग की सहायता हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सामान्य करेन्सी क्षेत्र से आयातित कोडक सहित सभी सिने फिल्म सामान्यतः निर्यात प्रिंटों के लिए जारी की जाती है । आयात लाइसेंस जारी करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

(ग) कलर पोजेटिव की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता 22,80,00 रोलों की है । अक्तूबर, 1974 के अन्त तक जरूरतों को पूरा करने के बाद 1 नवम्बर, 1974 को 6,900 रोल स्टाक में थे । 17,000 रोल विदेशों से आ रहे हैं । इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान फोटो फिल्म जुम्बो रोलों के बदलने के बाद लगभग 7,500 फिनिश्ड रोल प्रति मास सप्लाई करेगा । सिने कलर पोजेटिव के 16,000 रोलों की सप्लाई के लिये एक और आर्डर दिया जा रहा है ।

(घ) इस स्टाक को जुम्बो रोलों में आयात करने की नीति में ढील देते हुए चालू वर्ष की शेष अवधि की जरूरतें पूरी करने के लिये फिनिश्ड कलर पोजेटिव के आयात की अनुमति देने का निर्णय किया गया है ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का कार्यकरण

***138. श्री डी० के० पंडा :**

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 14 अक्तूबर, 1974 के अंग्रेजी के एक दैनिक पत्र में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण के बारे में प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें जो कुछ लिखा है वह ठीक है ; और

(ग) सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति (चतुर्थ लोक सभा) के 63वें प्रतिवेदन के प्रकाशन के बाद अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) लेख में उठाए गए प्रश्नों तथा प्रत्येक की तथ्यपरक वस्तुस्थिति दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [ग्रंथालय में रखा गया / देखिए संख्या एल० टी० 8513/74]

(ग) सरकारी उपक्रम (चौथी लोक सभा) समिति की 63वीं रिपोर्ट में समाविष्ट विभिन्न सिफारिशों पर कार्य पूरा किया जा चुका है । इस संबन्ध में लोक सभा में श्री डी० के० पंडा द्वारा 7 अगस्त, 1974 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1872 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

टेलीविजन पर वाणिज्यिक सेवा आरम्भ करना

*139. **श्री हरी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी की तरह टैलीविजन पर भी वाणिज्यिक सेवा आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना को अन्तिम रूप कब तक दे दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय वन सेवा में अधिकारियों की भर्ती

1201. **मौलाना इसहाक संभली** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वन सेवा में अधिकारियों की तुरन्त भर्ती करने का निर्णय किया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) भारतीय वन सेवा के आरम्भिक गठन के समय राज्य वन सेवा के पात्र अधिकारियों में से इसमें की गई प्रारम्भिक भर्ती के पश्चात्, इस सेवा में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली वार्षिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर खुले तौर से तथा राज्य वन सेवा के अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा की जाती रही है। सरकार ने उक्त सेवा में किसी अन्य पद्धति द्वारा भर्ती करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बड़े औद्योगिक कारखानों में रक्षित बिजली घर बनाना

1202. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**
श्री एन० ई० होरो :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बिजली की खपत वाले औद्योगिक कारखानों में तथा औद्योगिक पट्टियों में रक्षित बिजलीघर स्थापित करने का सरकार ने निर्णय किया है ताकि भारत में बिजली की कमी दूर हो जाए और औद्योगिक उत्पादन में बाधा न पड़े ;

(ख) क्या किसी गैर-सरकारी एकक-एककों ने सरकार से ऐसे बिजलीघर बनाने की अनुमति मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है और क्या ऐसे बिजलीघर कोयला खानों से भी संबद्ध होंगे ताकि कोयले की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जबकि ऐसा कोई सामान्य निर्णय नहीं है, निजी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऐसे मामलों में अपने निजी कैप्टिव विद्युत संयंत्र प्रतिष्ठापित करने की अनुमति दी जा रही है, जिनमें संपूर्ण ऊर्जा परिकल्पना को अपनाकर, विद्युत उत्पादन तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए संयुक्त रूप से भाप के समुपयोजन द्वारा अथवा उपोत्पाद ईंधनों या ऊष्मा के समुपयोजन द्वारा ईंधन में पर्याप्त किफायत करना संभव होता है । कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए ऐसे प्रत्येक मामले पर, इसके गुण-दोषों के आधार पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाता है ।

(ख) और (ग) निजी क्षेत्र में कई यूनिटों को समय-समय पर प्रत्येक मामले के गुण-दोषों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् कैप्टिव संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी जाती रही है । सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए सभी कैप्टिव संयंत्रों के लिए कोयले की व्यवस्था उपयुक्त कोयला खान से की जाती है ।

Salaries of Coal Authority Officers

1203. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the number of officers in the Coal Authority drawing more than two thousand rupees as salary; and

(b) the number of officers among them who were working in the private sector before the coal mines nationalisation and the number of those who joined after-wards?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Professor Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) The number of officers, excluding Directors in the scale of Rs. 1800-2300 and above in the Coal Mines Authority is 42, out of which 14 are from the Private Sector, 9 are those who joined in this scale after nationalisation—4 by fresh appointments and 5 absorbed from other organisations—and the balance 19 are Officers from the National Coal Development Corporation.

राजस्थान में टायर उद्योग पर धागे की कमी का प्रभाव

1204. **श्री पी० गंगा देव** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धागे की कमी का राजस्थान में टायर उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य में मोटरगाड़ी के टायरों और ट्यूबों का उत्पादन करने वाला कोई एकक नहीं है ।

सहकारिता के आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का संगठन

1205. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के उचित अनुरक्षण तथा उपयोग के लिए तथा सहकारिता के आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण कायक्रम को संगठित करने के लिए क्रमशः ग्राम पंचायतों तथा ग्रामीण सहकारी समितियों को संबद्ध करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी रूपरेखा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में, 1969 में पांच ग्राम विद्युतीकरण सहकारिताएं स्थापित की गई थीं। इन सहकारिताओं में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम तैयार करने के लिए ग्राम पंचायतें और ग्राम सहकारिताएं जिम्मेवार हैं। इस कार्य के लिए ग्राम पंचायतों, स्थानीय भूमि विकास बैंकों और अन्य सेवाओं तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के प्रतिनिधि स्थानीय सदस्यों की अनौपचारिक बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। इन बैठकों में हुए विचार-विमर्श के बाद आवश्यक कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया जाता है।

संसाधनों की उपलब्धता तथा राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों की प्रतिक्रिया को देखते हुए, पांचवीं योजना के अन्त तक लगभग 20-25 नई सहकारिताओं के गठित किए जाने की प्रत्याशा है।

Accidents in Coal Mines of Madhya Pradesh

1206. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) the number of serious accidents that took place in each of the coal mines in Madhya Pradesh in 1972-73 and 1973-74; separately:

(b) the number of lives lost as a result thereof and the amount of compensation paid therefor; and

(c) the action taken by Government to minimise the incidents of such accidents?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

एच० एम० टी० के यूनिटों के प्रबन्ध ढांचे को नया रूप देना

1208. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी० के यूनिटों के प्रबन्ध ढांचे को नया रूप देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) और (ख) एकक स्तर पर अधिक स्वायत्तता और उत्तरदायित्व तथा निगम-योजना और नीतियों में एकक स्तर के प्रबन्ध को और अधिक हिस्सा देने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एककों के प्रबन्ध-ढांचे का पुनर्गठन किया है। वर्तमान ढांचे के अन्तर्गत तीन स्तर का प्रबन्ध जिसमें निगम का निदेशक मंडल, कम्पनी स्तर पर एक प्रबन्ध-समिति और एकक-स्तर पर अलग-अलग कार्यवाही बोर्ड सम्मिलित हैं, प्रारम्भ किया गया है।

पांचवीं योजना में गोआ में हथकरघा उद्योग का विकास

1209. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में गोआ में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए कुल कितनी राशि रखी गई है ; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ किस-किस मद और लेखा शीर्ष के अन्तर्गत यह राशि रखी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) संघ शासित क्षेत्र गोआ, दमन और दीव की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में हथकरघा उद्योग के विकास के वास्ते अस्थायी रूप से 0.60 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है । पांचवीं पंच-वर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय इस परिव्यय में संशोधन किया जा सकता है । गोआ, दमण और दीव की पांचवीं योजना के प्रारूप के अन्तर्गत हथकरघा उद्योग के परिकल्पित विकास कार्यक्रम में बुनकर सहकारी संस्थाओं को प्रबन्ध-व्यवस्था के लिए सहायता, व्याज के वास्ते सहायता, शेयर पूंजी में अंशदान और उन्नत किस्म के औजारों की सप्लाई के लिए वित्तीय सहायता देना शामिल है ।

Price of Coal in Delhi

1210. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) per quintal price of coal a consumer in Union Territory of Delhi was required to pay before nationalisation ; and

(b) the price per quintal paid by the consumer in Delhi during August, 1974 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddhewshwar Prasad) : (a) The price of different varieties of coal per quintal paid by the Delhi consumer prior to nationalisation was as under :—

Category of coal	Price per quintal
	Rs.
Soft Coke	17.50
Steam coal	14.50
Hard coke	23.00

(b) The price paid by the consumer in Delhi during August, 1974 was as under :—

Category of coal	price per quintal
Soft coke.	20.80
Steam coal	17.18
Hard coke	30.65

दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के कर्मचारियों की शिकायतों के कारण दिल्ली में बिजली की अनियमित सप्लाई

1211. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम में 70 प्रतिशत प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति, प्रत्येक के कर्त्तव्यों को परिमाणित करने वाली उचित संहिता न होने और कोई मान्य भर्ती नियम न होने से उसके प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ा है जिससे राजधानी में बिजली की सप्लाई नियमित नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए क्या कोई उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे ?

ऊर्जा मत्रालय म उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में हथकरघा उद्योग का विकास

1212. **श्री अनादि चरण दास :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में पांचवीं योजना में हथकरघा उद्योग के विकास हेतु कितनी राशि रखी गई है ; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ किन-किन मदों और लेखा शीर्षों के अन्तर्गत यह राशि रखी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य की पांचवीं योजना के प्रारूप में हथकरघा उद्योग के विषय के लिए 83.7 लाख रु० के अस्थायी परिव्यय की व्यवस्था है। पांचवीं योजना को अंतिम रूप देते समय इस अस्थायी परिव्यय में संशोधन किया जा सकता है। हथकरघा उद्योग के लिए राज्य की पांचवीं योजना प्रारूप में जिस विकास कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है, उसमें राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति को शेयरपूंजी अंशदान, हैण्डलूम कपड़ों की बिक्री पर छूट, बुनकरों की सहकारी समितियों को शेयर पूंजी ऋण, ब्याज सहायता, सामान्य सेवा केन्द्र, आंकड़े एकत्र करने तथा प्रशिक्षण आदि की स्कीमें शामिल हैं।

जम्मू और कश्मीर सीमा पर सीमेंट की तस्करी

1213. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जम्मू-कश्मीर के समाचार पत्रों में छपे समाचारों की ओर दिलाया गया है कि जम्मू व काश्मीर से पाक-अधिकृत कश्मीर को सीमेंट की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है जिसका प्रयोग वहां बंकर बनाने में किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

"दैनिक आसाम" और 'आसाम ट्रिब्यून' को सरकारी विज्ञापन बन्द करना

1214. **श्री नूरुल हुदा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जुलाई, 1974 के दूसरे सप्ताह से आसाम के दो प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों "दैनिक आसाम" और "आसाम ट्रिब्यून" को सरकारी विज्ञापन मिलने बन्द होने के बारे में छपे समाचारों की जानकारी है ; और

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। आसाम सरकार के अनुसार, "दैनिक आसाम" तथा "आसाम ट्रिब्यून" को सरकारी विज्ञापन देने बन्द नहीं किये गये थे।

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ट्रैक्टर कारखाना

1215. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ती** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतापगढ़ जिले (उत्तर प्रदेश) में ट्रैक्टर कारखाना लगाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होगा और कारखाना कब तक बन जायगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतापगढ़ में परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण करने हेतु कदम उठाए हैं। उद्यमी को भूमि का अधिकार देने के पश्चात् ही कारखाना के भवन का निर्माण कार्य शुरू होगा। आशा है कि उसके बाद लगभग 24 महीने के अन्दर ही कारखाना तैयार हो जायेगा।

'नानक अनवेल्ड' और 'कसीर' नामक पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव

1216. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा के उमीद अली द्वारा प्रकाशित 'नानक अनवेल्ड' नामक पुस्तक और 'कसीर' नामक पुस्तक से सिख समुदाय की भावनाओं को आघात पहुंचा है ;

(ख) क्या इन पुस्तकों के प्रकाशन में पाकिस्तान का हाथ है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने प्रकाशनों के विरूद्ध, इन पुस्तकों को जब्त करने और भविष्य में ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में क्या कार्यवाही करने पर विचार किया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) "नानक अनवेल्ड' और 'कसीर' नामक पुस्तकों के कुछ अंशों के विरोध में कुछ सिख संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) इस संबन्ध में सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 'नानक अनवेल्ड' नामक पुस्तक के लेखक, मुद्रक और प्रकाशक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295–ए/153–ए/505 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है । पुलिस द्वारा पुस्तक के लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुस्तक की 704 प्रतियां कब्जे में ले ली गई हैं ।

जम्मू व काश्मीर सरकार ने जम्मू व कश्मीर में प्रचलन में 'कसीर' पुस्तक की प्रतियां जब्त करने के लिए अपनी दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन एक आदेश जारी किया है ।

प्रेस पर नियंत्रण रखने के लिए धन का कथित दुरुपयोग

1217. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्रमजीवी पत्रकारों के हरियाणा संघ के उस संकल्प की ओर दिलाया गया है कि जिसमें प्रेस का गला दबाने और उसे नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा धन-शक्ति का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) पत्रकारों के संघ द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास किये जाने के बारे में समाचारपत्रों में छपे समाचार सरकार के ध्यान में आए हैं। सरकार प्रेस की स्वतंत्रता में दृढ़तापूर्वक विश्वास करती है । यदि इस स्वतन्त्रता का हनन करने वाली कोई विशिष्ट बात सरकार के ध्यान में लाई जाए तो वह उस पर कार्यवाई करेगी ।

Duration of programmes telecast from Different Centres

1218. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the duration of the programmes telecast from various Centres :

(b) the time out of it given to English, Hindi and the other Indian languages ;

(c) the time given to cinema programmes and to music ; and

(d) the time given to educative programmes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Singh) : (a) Duration of programmes from various television Centres in a week are as follows :—

Delhi .	. 39 hours 20 minutes
Bombay .	. 27 hours 50 minutes
Srinagar	. 30 hours
Amritsar .	. 22 hours 5 minutes

(b) Time given to English, Hindi and other regional languages in a week is as under:

	English	Hindi	Other languages
Delhi	9 hours 20 mts.	27 hrs. 35 mts.	2 hrs. 25 mts.
Bombay	6 hours 15 mts.	8 hrs. 25 mts. (includes Urdu also)	Marathi—10 hrs. 15 mts. Gujarati—1 hour 55 mts.
Shrinagar	2 hours	6 hours	Kashmiri—12 hours Urdu—10 hours
Amritsar	2 hours 25 mts.	10 hours. 5 mts.	Punjabi—8 hours 50 minutes. Urdu—45 minutes.

(c) The time given to Cinema programmes and to music per week is as follows :

	Cinema	Music
Delhi	6 hours 50 minutes	3 hours 10 minutes
Bombay	5 hours 30 minutes	1 hour 35 minutes
Srinagar	8 hours 10 minutes	3 hours 16 minutes
Amritsar	7 hours 40 minutes	3 hours

(d) Time given to Educational programmes (School TV) per week during School sessions is as follows :—

Delhi	11 hours 20 minutes
Bombay	2 hours

No educational programmes (School TV) are presently telecast from Srinagar and Amritsar Centres.

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के एक कर्मचारी द्वारा एक महिला ग्राहक पर आक्रमण

1219. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अक्टूबर, 1974 को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सरकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली में कुछ खरीदारी करने आई एक महिला पर समिति के एक कर्मचारी ने आक्रमण किया और उससे 200 रुपये छीन लिए ;

(ख) उच्च प्राधिकारी को इसकी लिखित शिकायत की गई थी, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त कर्मचारी का नाम तथा पदनाम क्या है ; और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) एक सरकारी कर्मचारी द्वारा समिति के महाप्रबन्धक को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उक्त समिति के एक कर्म-

चारी ने दिनांक 15-10-74 को उनकी पत्नी पर, जबकि वह जब्त किए गए माल की खरीदारी के लिए टोकन प्राप्त करने के लिए रायसीना रोड स्टोर के बाहर लाइन में खड़ी हुई थी, आक्रमण किया। यह भी आरोप लगाया गया था कि उक्त महिला से 200 रुपये छीन लिए गए।

(ग) समिति के महाप्रबन्धक द्वारा उस कर्मचारी का पता लगाने का प्रयत्न किया गया था, जिस पर उस महिला पर आक्रमण करने का आरोप है, किन्तु न तो वह महिला हो और न उसका लड़का ही, जिसे सबेरे उक्त घटना के समय उनके साथ बताया जाता है, समिति के अधिकारियों को उस कर्मचारी को पहचानने में सहायता ही कर सके। उन्होंने कथित दोषी को पहचानने के लिए पुनः स्टोर में आने का आश्वासन दिया था, किन्तु वे अभी तक नहीं आए हैं। इसलिए कथित दोषी का पता लगाने के लिए आगे कोई कार्यवाई किया जाना संभव नहीं हो पाया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में बिजली घर

1220. श्री विश्वनाथ झुंझनवाला : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विभिन्न बिजली घरों के नाम तथा उनकी उत्पादन क्षमता क्या है ;

(ख) क्या इनमें से प्रत्येक बिजली घर अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन कर रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ; और

(घ) इन बिजली घरों में अधिकतम क्षमता से उत्पादन सुनिश्चत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राजस्थान में निम्नलिखित बृहत विद्युत केन्द्र स्थित हैं :—

केन्द्र	प्रतिष्ठापित क्षमता (मैगावाट)	
1. राणाप्रताप सागर (जल-विद्युत)	172	ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के संयुक्त स्वाम्याधीन हैं और इनसे प्राप्त होने वाले लाभ दोनों राज्यों द्वारा बराबर-बराबर बांटे जाते हैं।
2. जवाहर सागर (जल-विद्युत)	99	
3. राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र	220	
4. कोटा गैस टरबाइन संयंत्र	100	

उपर्युक्त के अलावा, वहां कई लघु ताप-विद्युत केन्द्र और डीजल विद्युत केन्द्र भी हैं, जिनकी कुल समस्त क्षमता 70 मैगावाट है।

(ख), (ग) और (घ) जहां तक राणाप्रतापसागर और जवाहर सागर के जल-विद्युत केन्द्रों का संबन्ध हैं, ये केन्द्र जल की उपलब्धता, सिंचाई आवश्यकताओं आदि के अधीन अपनी अभिकल्प शक्यता के अनुरूप ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं । जहां तक राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संबन्ध है, यह यूनिट पहले ही 180 मैगावाट के स्तर तक पहुंच चुका है और 220 मैगावाट की निर्धारित क्षमता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं । कोटा के गैस टरवाइन संयंत्र का प्रचालन मुख्यतः वहां उत्पादन लागत अधिक होने के कारण नहीं किया जा रहा है । लघु ताप-विद्युत और डीजल उत्पादन केन्द्र अपेक्षाकृत पुराने हैं और उन्हें केवल संकटकालीन स्थिति में ही यथासंभव सीमा तक प्रयोग में लाया जाता है ।

Working of Telephone Exchange at Pipari in Mirzapur District

1221. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:—

(a) how many times the telephone exchange at Pipari in Mirzapur district of Uttar Pradesh remained closed due to technical defects during the last one year ; and

(b) the measures taken by Government in this regard in view of its importance for industry.?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) Pipari Exchange never remained closed due to technical defects or otherwise during the last one year.

(b) Does not arise.

वैगन आर्डरों को कम करने के लिए रेलवे का निर्णय

1222. **श्री वेकारिया :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्ष के लिये बहुत से वैगन आर्डरों की कम करने संबन्धी रेलवे के निर्णय से वैगन उद्योग इस समय संकटग्रस्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्योग को चालू रखने के लिए कोई विविधिकरण कार्यक्रम शुरू किया जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) वैगन निर्माताओं को क्रयादेश कम करने के रेलवे बोर्ड के कथित निर्णय से इस क्षेत्र में विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता का न्यून-उपयोग होगा । यद्यपि उत्पाद-मिश्र का विविधिकरण करना स्पष्टतः ठीक रहेगा किन्तु मुख्य रूप से वैगनों का ही निर्माण करने वाले एककों को अचानक ही दूसरे उत्पाद-मिश्र में बदलने में व्यावहारिक कठिनाइयां हैं । सारा उद्योग इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर रहा है ।

दिल्ली टेलीफोन्स के भंडारों पर छापे

1223. **श्री सरजू पांडे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन्स के विभिन्न भंडारों पर हाल में मारे गए छापों के दौरान लगभग तीन लाख रुपये के टेलीफोन तार कम पाये जाने का समाचार है,

(ख) यदि हां तो तत्संबन्धी तथ्य क्या है, और

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई छानबीन की गई है और इसे पूरा कर लिया गया है, और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) से (ग) भूमिगत टेलीफोन केबुलों से संबन्धित स्टोर वाउचरों की एक विभागीय जांच के दौरान यह पाया गया कि संस्थापन अधिकारियों ने दिल्ली टेलीफोन जिले के स्टोर डिपो से विभिन्न तखमीनों के आधार पर विभिन्न आकारों के केबुलों की निकासी की थी, लेकिन संस्थापन कर्मचारियों ने उनका पूरा हिसाब किताब नहीं रखा था। प्रारंभिक विभागीय जांच से यह पता चला कि इसमें करीब 5.5 लाख रुपये के केबुलों का मामला आता है । तीन राजपत्रित अधिकारी इस मामले से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध पाये गए। इन अधिकारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है और यह मामला तफशीश के वास्ते केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंप दिया गया है । केन्द्रीय जांच ब्यूरों की तफतीश जारी है ।

सोवियत संघ से भारतीय उपग्रह का छोड़ा जाना

1224. **श्री भगतराम राजाराम मनहर** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ से भारत के प्रथम उपग्रह को छोड़ने संबंधी तैयारियां पूरी हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस उपग्रह को कब तक छोड़ा जायेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) उपग्रह के निर्माण और परीक्षण का कार्य चल रहा है।

(ख) उपग्रह के अप्रैल, 1975 तक छोड़े जाने की संभावना है।

समाचार एजेंसियों को पब्लिक कारपोरेशन में परिवर्तित करना

1225. **श्री बसन्त साठे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी चार समाचार एजन्सियों अर्थात् पी० टी० आई०, यू० एन० आई०, समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार के श्रमजीवी पत्रकारों सहित उनके कर्मचारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर पब्लिक कारपोरेशनों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) समाज को समाजवादी रूप देने के लक्ष्य के लिए कटिबद्ध श्रमजीवी पत्रकारों द्वारा एक सुदृढ़ और स्वतंत्र प्रैस बनाने हेतु प्रोत्साहन देने की दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) क्या श्रमजीवी पत्रकारों द्वारा इस प्रकार के उद्यमों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु किसी वित्तीय निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) समाचार एजेन्सियों को सरकारी निगमों में बदलने के प्रश्न की जांच सरकार द्वारा समाचारपत्रों को बड़े व्यापार घरानों के हितों से प्रतिबद्ध करने के प्रश्न पर विचार किए जाने के बाद की जायगी।

(घ) जी, नहीं।

दिल्ली में सामुदायिक टेलीविजन सेट

1226. **श्री बिजय पाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लगाये गये सामुदायिक टेलीविजन सेटों की उचित प्रकार से देख-रेख तथा सर्विस नहीं की जाती ;

(ख) क्या नानकपुर समाज सदन, दिल्ली के टेलीविजन सेट के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस समाज सदन में उचित देख-रेख के अधीन सेट को ठीक रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) दिल्ली में लगाए गए सामुदायिक टेलीविजन सेटों की दिल्ली टेलीविजन केन्द्र द्वारा समुचित रूप से सर्विस की जाती है।

(ख) तथा (ग) नानकपुर के समाज सदन के टेलीविजन सेट के बारे में टेलीक्लब के मन्त्री से चार शिकायतें अगस्त, 1974 के दौरान प्राप्त हुई थीं। अंतिम शिकायत 28 अगस्त, 1974 को प्राप्त हुई थी और सेट उसी शाम को बदल दिया गया था। उसके बाद और कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) नानकपुर के समाज सदन का टेलीविजन सेट जैसा कि अन्य स्थानों पर है, संबंधित टैली-क्लब के मन्त्री की निगरानी में है। सेट के बारे में जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है, दिल्ली टेली-विजन केन्द्र द्वारा उसका तत्परतापूर्वक निवटारा किया जाता है। लघु समंजन के मामलों को छोड़कर, मरम्मत आदि चाहने वाले टेलीविजन सेट को सदा अन्य ठीक सेट द्वारा बदल दिया जाता है । टेलीक्लब से प्राप्त शिकायतों को विशिष्ट टेलीफोन नम्बर सहित नोट करने और शिकायत कर्ता को उसकी शिकायत का नम्बर देने की अब एक नई प्रक्रिया बनाई गई है ताकि शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में शीघ्रतापूर्वक पूछताछ की जा सके।

ओटोनगर, विजयवाड़ा में उद्योग की स्थापना

1227. **डा० के० एल० राव** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री ओटोनगर, विजयवाड़ा में उद्योग की स्थापना के बारे में 31 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1232 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विजयवाड़ा स्थित ओटोनगर औद्योगिक एस्टेट से भिन्न है, जिसका उद्देश्य मुख्यतः मोटरगाड़ियों के पुर्जों और संघटकों का उत्पादन तथा सर्विसिंग करना है ;

(ख) क्या अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी प्रधान मंत्री द्वारा उद्घाटन किये जाने के बाद ओटोनगर का विकास तीव्रगति से हुआ है ; और

(ग) क्या जीप, स्कूटर अथवा तत्सम्बन्धी उद्योग के लिये ओटोनगर में उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण उपयोग करने का सरकार का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) ओटोनगर, विजयवाड़ा स्थित एककों में गाड़ियों के हिस्से तथा पुर्जे बनाने के अलावा सामान्य इंजीनियरिंग की वस्तुएं बनाई जा रही हैं। ओटोनगर में कई सर्विसिंग एकक भी चल रहे हैं।

हैदराबाद का लघु उद्योग सेवा संस्थान तथा विजयवाड़ा का विस्तार केन्द्र ओटोनगर के लघु उद्योगों के विकास तथा संवर्धन हेतु उद्यमियों का मार्गदर्शन करता है।

(ग) जब कभी भी स्कूटरों/जीपों तथा अन्य सम्बद्ध वस्तुओं के बनाने का प्रस्ताव आयेगा तो उस पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा।

वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और रिहायशी इमारतों में वातानुकूलन के प्रयोग पर प्रतिबंध

1228. **श्री बरके जार्ज** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और रिहाइशी इमारतों में वातानुकूलन के प्रयोग का प्रतिबंध लगाने के लिए कोई अधिसूचना शीघ्र जारी की जाने वाली है;

(ख) क्या वर्तमान विद्युत संकट को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लगाया जा रहा है ; और

(ग) क्या वातानुकूलन के अभाव के कारण सिनेमा और थियेटर रियायती टिकटें बेचकर चलाये जाएंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

मोहन मीकिन ब्रुएरीज पर छापा

1230. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा मारे गये छापे के दौरान लखनऊ और गाजियाबाद स्थिति मोहन मीकिन ब्रुएरीज के मालिकों के कार्यालय और आवास से अपराध सिद्ध करने वाली काफी सामग्री पकड़ी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासन सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) अनुमानतः इस प्रश्न में 15 अक्टूबर, 1974 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित छापों का हवाला दिया गया है, जिनका सम्बन्ध बिक्रीकर के अपवंचन से था और इस रिपोर्ट के अनुसार ये छापे राज्य सरकार के बिक्री कर विभाग की अन्वेषण शाखा द्वारा डाले गये थे। प्रवर्तन

निदेशालय केवल विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के लागू किए जाने से सम्बन्धित है और इन्होंने लखनऊ तथा गजियाबाद स्थित मोहन मीकिन ब्रुएरीज के मालिकों के कार्यालय और आवास की, जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है, कोई तलाशी नहीं ली थी।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए आयोग

1231. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या गृह मंत्री 8 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2486 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत पूरे भारत में सितम्बर, 1974 तक इस बीच कितने आयोग गठित किये गये हैं ;

(ख) इनमें से कितने आयोगों ने अपनी अवधि पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ग) इन आयोगों द्वारा कितना वास्तविक खर्च किया गया ; और

(घ) इसमें से कितने आयोग हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों की समस्याओं तथा यातनाओं से संबंधित थे ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत सरकार ने 8 अगस्त, 1973 के बाद सितम्बर, 1974 तक दो आयोग नियुक्त किये हैं।

(ख) एक आयोग।

(ग) आयोग पर लगभग 18,865 रुपये खर्च किये गये हैं।

(घ) कोई नहीं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में काट छांट करना

1232. श्री बी० बी० नायक : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में काट छांट करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) क्या योजना की अवधि भी बढ़ायी जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में समायोजन करने के लिए योजना आयोग अनेक अभ्यास कर रहा है। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि किस प्रकार के तथा कहां तक परिवर्तन किए जा सकेंगे।

(ग) जी, नहीं।

कोका कोला तथा पार्लेज के बीच प्रचार की होड़

1234. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला तथा पार्लेज नामक दो प्रमुख दो शीतल-पेय कम्पनियों के बीच प्रचार की होड अत्यधिक बढ़ गई है ; और

(ख) इस विवाद को अन्तिम रूप से समाप्त करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) दो गैर-सरकारी कम्पनियों के बीच प्रचार की होड एक ऐसा मामला है जिससे सरकार का कोई सरोकार नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Fifth Plan Allocation for Welfare Schemes of Adivasis in Madhya Pradesh

1235. Shri R.V. Bade : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the funds proposed to be spent on various welfare schemes for Adivasis in Madhya Pradesh during the Fifth Five Year Plan ; and

(b) the names of those schemes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri F. H. Mohsin) : (a) & (b) During the Fifth Five Year Plan, a new strategy for the development of Tribal Areas has been evolved. According to this, Sub-Plan/Integrated Tribal Development Projects has to be prepared to cover all areas having more than 50% Tribal concentration. The draft Sub-Plan and Projects are awaited from the Government of Madhya Pradesh.

मंसा (पंजाब में) जनजाति के व्यक्तियों की झोंपड़ियों को जलाना

1236. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मंसा में जनजातीय व्यक्तियों की झोंपड़ियों में आग लगा दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

तारकोल तथा कोयला से तेल का उत्पादन करने के लिए संयुक्त संयंत्र

1237. **श्री श्री किशन मोदी :**
श्री डी० डी० देसाई :
श्री पी० गंगादेव :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारकोल तथा कोयला गैस से तेल का उत्पादन करने के लिए एक संयुक्त संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Monthly Incomes of Employees Working in Coal Mines

1238. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether the income of employees and workers of the nationalised coal mines for the month of September, 1974;

(b) their monthly income before nationalization ; and

(c) the other facilities relating to health, education, accommodation and supply of essential commodities provided to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

खानों में श्रमिकों के सुरक्षा के लिए विद्युत संयंत्र

1239. श्री माधुर्य्य हालदार : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय खान श्रमिकों को सुरक्षा और खानों के अनवरुद्ध कार्यकरण के लिए खानों में विद्युत संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) भारत कोकिंग कोल लि० ने 16 डीजल सेट खरीदे हैं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 20 मेगावाट है। इन सेटों को झरिया कोयला क्षेत्र में 5 भिन्न-भिन्न स्थानों में लगाया जायेगा। सेट लगाने का काम 1975 के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का मूल्य

1240. श्री शशि भूषण : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के मूल्य बढ़ रहे हैं और इस समय स्टेनलेस स्टील के बर्तन बाजार में 100/- रुपये प्रति किलो ग्राम बेचे जा रहे हैं ;

(ख) स्टेनलेस स्टील के मूल्य में इतनी वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) स्टेनलेस स्टील के मूल्य उचित सीमा तक लाने के बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० पी० मौर्य): (क) से (ग) विदेशी मुद्रा की सुरक्षा के विचार से, सरकार ने पंजीकृत निर्यात कर्त्ता नीति के अधीन आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के अलावा स्टैनलेस स्टील के बर्तन बनाने के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा नहीं दी है। इसके फलस्वरूप, स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा नहीं दी जाती है। अतः स्टेनलेस स्टील के वर्तनों का मूल्य बर्तन बनाने के लिए बाजार में उपलब्ध स्टेनलेस स्टील पर निर्भर करता है जिसमें अब गिरावट आई है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के मूल्य में वृद्धि होने का अन्य कारण गैर-प्राथमिकता के कार्यों के लिए अपेक्षित कुछ गेजों के स्टेनलेस स्टील पर लगया हुआ आयात शुल्क है जिसे मांग पर नियंत्रण रखने और विदेशी मुद्रा की सुरक्षा करने के विचार से 200 प्रतिशत (सहायक शुल्कों सहित) की दर से नियत किया गया है। जब कभी अपेक्षित किस्मों के स्टेनलेस स्टील के स्वदेशी उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी तब स्टेनलेस स्टील पर आधारित अन्तिम उत्पादों के मूल्य अधिक उपयुक्त स्तर पर स्थिर हो जायेंगे।

कोयला खानों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1241. **श्री जगन्नाथ मिश्र**: क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खानों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को स्वीकार कराने हेतु जोर देने के लिए मसस्त देश में 18 नवम्बर, 1974 से हड़ताल करने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) तथा (ख) कोयला उद्योग के कई मजदूर संघों ने अपनी निम्नलिखित मांगों के लिए 25 और 26 नवम्बर, 1974 को 48 घंटे की सांकेतिक हड़ताल तथा 9 दिसम्बर, 1974 से अनिश्चित कालीन हड़ताल करने की धमकी दी है:--

(i) कोयला खनन उद्योग संबंधी संयुक्त द्विपक्षीय मजदूरी वार्ता समिति के सर्वसम्मत फैसलों को शीघ्र लागू करना तथा मजदूरी-ढाँचे को पिछली तारीख से लागू करना, और

(ii) कोयला खनन उद्योग के कामगारों को अतिरिक्त परिलब्धि (अनिवार्यजमा) अधिनियम, 1974 से छूट देना।

पहली मांग पर केन्द्रीय सरकार सक्रिय विचार कर रही है। जहां तक दूसरी मांग का संबंध है उपर्युक्त अधिनियम सभी मजदूरों पर लागू होता है अतः कोयला उद्योग के कामगारों के साथ विशेष व्यवहार करना संभव नहीं है।

सूती कपड़ा कारखानों द्वारा कोयले की मांग संबंधी समिति की स्थापना

1242. **श्री वीरभद्र सिंह**:
श्री बनमाली बाबू:
श्री प्रसन्नभाई मेहता:

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सूती कपड़ा कारखानों की वर्तमान तथा भविष्य की कोयला संबंधी मांग पर वास्तविक पुनर्विचार करने हेतु सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निदेश पद क्या हैं ; और

(ग) प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण

1243. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार की उन 100 कोयला खानों के मामलों पर विचार कर रही है जिनका अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है और जिन को उनके असंतोषजनक कार्यकरण संबंधी शिकायतों के कारण शीघ्र अधिकार में लिए जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ; और

(ग) क्या खानों के श्रमिकों के लिए पेयजल तथा आवास के प्रश्न पर भी विचार किया गया है और इसके संबंध में क्या कोई योजना बनायी गयी है और यदि हां, तो इसके कया परिणाम निकले ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) बिहार में कुछ निजी व्यक्तियों द्वारा वैध खनन पट्टों पर कोयला खनन के मामलों की केन्द्र सरकार को जानकारी मिली है। उन पट्टों को समय से पूर्व समाप्त करने तथा उन्हें खान और खनिज (नियमन व विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 4(i) के अधीन कोयला खान प्राधिकरण भारत कोकिंग कोल लि० को सौंपने के लिए कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार से भी कहा गया है कि वह कोयले की गैर कामूनी खुदाई को रोकने लिए कदम उठाए।

कोयला खान प्राधिकरण लि० तथा भारत कोकिंग कोल लि०, दोनों ने ही काम कर रहे खान मजदूरों के लिए पेय जल तथा आवास आदि अच्छी सुविधाएं देने की योजनाएं बनाई हैं और उन पर अमल किया जा रहा है।

बुन्देलखण्ड में यूरेनियम के निक्षेप

1244. **श्री नाथू राम अहिरवार :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुन्देलखण्ड के कुछ स्थानों में यूरेनियम निक्षेपों के संकेत मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्थानों के नाम क्या हैं और इन निक्षेपों का उपयोग करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी, हां।

(ख) झांसी जिले के सोनराय क्षेत्र में बिटुमन युक्त यूरेनियम पाया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु खनिज प्रभाग, यूरेनियम खनिज की मात्रा एवं उसके ग्रेड का पता लगा रहा है।

बिहार स्थित ईसाई संस्थानों को मिली विदेशी सहायता

1245. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1973 और 1974 में अब तक बिहार स्थित ईसाई संस्थानों को अमरीका और बेल्जियम से कितनी धनराशि प्राप्त हुई ;

(ख) किन-किन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से कितनी-कितनी राशि मिली ; और

(ग) ये ईसाई संस्थाएं बिहार के किन जिलों में स्थित हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिये जायेंगे।

औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों को जबरन छुट्टी

1246. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े, इस्पात, सीमेंट टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं तथा आलोह धातुओं की मांग में भारी कमी आई है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप कई औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों को जबरन छुट्टी देनी पड़ी है ; और

(ग) इस मन्दी की इस प्रवृत्ति का सामना करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) कुल मिलाकर कपड़ा, इस्पात, सीमेंट, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और अलौह धातुओं की मांग में भारी गिरावट आने का कोई प्रमाण नहीं है। कुछ उपभोक्ता वस्तुओं और कपड़ों में विद्यमान बहुत ऊंचे मूल्यों के कारण खरीददारों में कुछ प्रतिरोधी प्रवृत्ति लक्षित हुई है। किन्तु इस समस्या का समाधान मूल्यों का अभूतपूर्व उच्च स्तर से नीचे लाने में निहित है। देश के कुछ हिस्सों में मजदूरों की सूचित जबरन छुट्टी बिजली की सप्लाई की कठिनाई के कारण करनी पड़ी है जिस पर सरकार सावधीनीपूर्वक ध्यान दे रही है । अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित रखने के लिए हाल ही में किए गए अभ्युपायों को जारी रखने का भी सरकार ने दृढ़ निश्चय कर रखा है।

'आंसुका' के अन्तर्गत जमाखोरों की गिरफ्तारी

1247. **श्री नारायणचंद पराशर :**
श्री शशि भूषण :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करंगे कि :

(क) क्या जमाखोरों, चोरबाजारी करने वालों तथा मिलावट करने वालों के साथ तस्करों जैसा व्यवहार करने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या जमाखोरों, चोरबाजारी करने वालों तथा मिलावट करने वालों को 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष 31 अक्तूबर, 1974 तक दिल्ली/नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जमाखोरों, चोरबाजारी तथा मिलावट करने वालों के विरुद्ध आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन निवारक निरोध समेत वर्तमान कानूनों के अधीन कार्यवाही की जाती है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के प्रबन्ध-ग्रहण के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

1248. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कपड़ा मिलों के प्रबन्धकों ने उच्चतम न्यायालय में संकटग्रस्त मिलों के, 21 सितम्बर, 1974 को उद्घोषित संकटग्रस्त कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1974 के अन्तर्गत प्रबन्ध ग्रहण को चुनौती दी है ;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय की संविधान बैंच ने 7 सितम्बर, 1974 को इस पर अपना निर्णय दिया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवीं योजना में लक्षद्वीप द्वीप समूह का विद्युतीकरण

1249. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजनावधि में निकट भविष्य में लक्षद्वीप द्वीपसमूह के विद्युतीकरण के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस द्वीपसमूह को विद्युतीकरण योजना में शामिल न करने का क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) लक्षद्वीप में आबादी वाले 10 द्वीप हैं। बीतरा को छोड़कर और सभी द्वीप विद्युतीकृत हो चुके हैं। बीतरा एक छोटा द्वीप है जिसकी जनसंख्या लगभग 112 है। इस द्वीप के विद्युतीकरण का प्रश्न लक्षद्वीप प्रशासन के विचाराधीन है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उन स्कीमों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है जिनमें, अन्य बातों

के साथ-साथ कुल 879 कि०वो० की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, 3.3 के०वी० की 5.5 किलोमीटर लाइनों, 25.6 किलोमीटर निम्न वोल्टता लाइनें 1654 सेवा कनेक्शन और 682 गली-बत्तियों का प्रावधान भी शामिल है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संशोधित अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत दायर की गयी शिकायतें

1250. **श्री सोमचंद सोलंकी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश भर में तथा विशेषत: गुजरात राज्य में संशोधित अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत कितनी शिकायतें दायर की गयी हैं; और

(ख) कितने लोगों को दण्ड दिया गया तथा जुर्माना किया गया?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में पारित किया गया था। अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक 13-4-72 को लोक सभा में पेश किया गया था और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया था। संयुक्त समिति ने अब अपनी रिपोर्ट दे दी है जिस पर अभी संसद द्वारा विचार किया जाना है। इस प्रकार अभी तक अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया है और संशोधित अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत शिकायतें दायर करने अथवा व्यक्तियों को दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा में आयोजना की योजनाओं की क्रियान्विति के लिए उद्योग सैल और कर्मचारी

1251. **श्री एस० एन० सिंहदेव:** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) त्रिपुरा सरकार की आयोजना की योजनाओं की क्रियान्विति के लिये उद्योग सेल की संस्थापना और स्टाफ के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है;

(ख) इन दो योजनाओं पर वर्षवार कुल कितनी राशि मंजूर की गई और उसका आज तक कितना उपयोग किया गया; और

(ग) आज तक क्या परिणाम निकला है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) से (ग) त्रिपुरा के अधिकारियों के साथ योजना पर विचार विमर्श करते समय जहां अनन्तिम रूप से एक एक मुस्त राशि स्वीकार कर ली गई थी वहां प्रश्न में उल्लिखित विवरण तैयार करने का कार्य स्थानीय अधिकारियों पर छोड़ दिया गया था। परियोजना की योजनाओं की प्रगति, प्राप्त परिणामों और सम्बद्ध मामलों की संवीक्षा जनवरी 1975 में वार्षिक योजना 1975-76 पर आगामी विचारविमर्श के अवसर पर की जायेगी।

1974 के दौरान विभिन्न मंदिरों से चुरायी गयी मूर्तियों की संख्या

1252. **श्री विक्रम महाजन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी से 31 अक्तूबर, 1974 तक देश के विभिन्न मन्दिरों से कुल कितनी मूर्तियों के चुराये जाने के समाचार मिले हैं;

(ख) इसी अवधि के दौरान कितनी मूर्तियां बरामद की गयी तथा कब्जे में ली गई;

(ग) चोरी से सम्बद्ध कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाये गये तथा कितनों को दण्ड दिया गया; और

(घ) मूर्ति चोरों के काम को विफल बनाने के उद्देश्य से क्या सरकार का विचार एक कानून बनाने का है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस अवधि के दौरान देश में विभिन्न मन्दिरों से 559 मूर्तियां चुराई जाने की रिपोर्ट है और 315 मूर्तियां बरामद की गई थी।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना से पता लगता है कि इस अवधि में 190 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और 34 पर अभियोग चलाया गया।

(घ) पुरावशेषों की चोरियों की समस्या से निपटने के लिये वर्तमान कानून पर्याप्त है।

बिहार सर्किल के डाक तथा तार कर्मचारियों को बाढ़ तथा सूखे के लिए अग्रिम राशि

1253. **श्री रामावतार शास्त्री:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा राज्य के 20 जिलों को बाढ़ग्रस्त तथा 6 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने के परिणामस्वरूप बिहार सर्किल के डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों ने उस सर्किल में काम कर रहे डाक-तार कर्मचारियों को बाढ़ तथा सूखे सम्बन्धी अग्रिम राशि स्वीकृत करने की सिफारिश की है, और तदनुसार बाढ़ और सूखा सम्बन्धी अग्रिम राशि की मांग को सही समझा गया है;

(ख) क्या इन्हीं शर्तों पर पहले भी बाढ़ और सूखों सम्बन्धी अग्रिम राशियां स्वीकृत की गयी थीं, और

(ग) यदि हां, तो सूखा सम्बन्धी अग्रिम राशि के लगभग किस तिथि तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) जी नहीं। यद्यपि राज्य सरकार ने यह सूचित किया था कि कुछ जिलों पर बाढ़ के प्रकोप का असर पड़ा था, तथापि, उसने न तो राज्य के किसी भी इलाके को बाढ़ ग्रस्त घोषित या अधिसूचित किया है और न ही राज्य सरकार ने इस प्रकार की कोई अग्रिम राशि किसी कर्मचारी के नाम मंजूर की है।

(ख) बीते समय में प्राकृतिक प्रकोपों के कारण अग्रिम राशियों की मंजूरी इस बात को मद्देनजर रख कर दी गई थी कि क्या राज्य सरकारों ने वैसी ही रियायत अपने कर्मचारियों को दी है या नहीं।

(ग) यह फैसला किया गया है कि फिलहाल केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों के लिए इस प्रकार की अग्रिम राशि की स्वीकृति न दे।

आल इंडिया रेडियो पर चर्चा के दौरान डा० के०एन० राज द्वारा प्रकट किए गए विचारों को निकाल दिए जाने पर उनके द्वारा रोष प्रकट किया जाना

1254. **श्री बीरेन एंगती :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री सरोज मुखर्जी :
श्री एन० ई० होरो :
श्री डी० बी० चन्द्रगोडा :
श्री बी० के० दास चौधरी :
श्री माधुर्य सहालदार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा० के०एन० राज ने रेडियो पर 'हाऊ टू टेक्ल इनफ्लेशन' पर चर्चा के दौरान पर उनके द्वारा प्रकट किये गये विचारों को निकाल देने का कड़ा विरोध किया है;

(ख) क्या मंत्री महोदय ने उन विचारों को निकाल देने का यह कह कर समर्थन किया है कि उन विचारों में सरकार पर अन्धाधुंध तरीके से अभ्यारोपण किया गया था; और

(ग) क्या उन्होंने आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले प्रसारणों की ग्राह्यता के बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां। डा० के० एन० राज ने रेडियो चर्चा के दौरान 23 जून, 1974 को प्रसारित 'टैकलिंग इनफ्लेशन' पर अपने विचारों से दो वाक्य निकाल दिए जाने के बारे में विरोध प्रकट किया।

(ख) जी, हां, परन्तु मुख्यतया इस आधार पर कि टिप्पणियां चर्चाधीन विषय से सम्बन्धित नहीं थीं।

(ग) एक आकाशवाणी संहिता है जो मार्गदर्शी सिद्धांतों का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी द्वारा विषय से संगति के सन्दर्भ में सम्पादकीय निर्णय का भी प्रयोग किया जाता है।

"वी० आई० पी० ट्रीटमेंट टू स्मगलर्स इन जेल्स"

1255. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री अजीत कुमार साहा :
श्री एन० ई० होरो :
श्री माधुर्य हालदार :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 30 सितम्बर, 1974 के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में 'वी०आई० पी० ट्रीटमेंट टू स्मगलर्स इन जेल्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 'जेल' राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें कैदियों/नजरबन्दियों के साथ किये गये बर्ताव के लिये उत्तरदायी है।

राज्य सरकारों (गुजरात, हरियाणा, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु को छोड़कर) और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, मीसा के अधीन नजरबन्द किये गये तस्करों के साथ जेलों में कोई विशेष बर्ताव नहीं किया गया है।

गुजरात, हरियाणा, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम का प्रयोग करने के बारे में राज्यों को निर्देश

1256. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री पी० ए० सामिनाथन :
श्री शंकर राव सावन्त :
श्री सेझियान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमाखोरों और तस्करों के विरुद्ध तथा छिपाये गये भण्डार के विरुद्ध आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम का प्रयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अधीन राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे भारी मात्रा में धनराशि तथा भण्डार जब्त किये गये हैं;

(ग) क्या अनेक ऐसे न्यायालय आदेश जारी किये गये हैं, जिनसे आंतरिक सुरक्षा कानून के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है; और यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या मीसा के उपयोग के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किया था और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) गत वर्ष राज्य सरकारों को जमाखोरों तथा अन्य समाज विरोधी तत्व जिनकी गतिविधियां समाज के जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई तथा सेवाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिकूल हैं, से निपटने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के तत्सम्बन्धी उपबन्धों का प्रयोग करने की सलाह दी गई थी। अधिनियम के अधीन अनेक व्यक्ति नजरबन्द किए गए हैं। अधिनियम के भंडारों को जब्त करने की व्यवस्था नहीं है।

(ग) कुछ मामलों में न्यायालयों ने इस आधार पर नजरबन्द व्यक्तियों को मुक्त करने के आदेश दिए थे कि कानून की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया, नजरबन्दी के कारण पर्याप्त रूप से सुनिश्चित अथवा प्रत्यक्ष नहीं थे इत्यादि। न्यायालयों ने एक बड़ी संख्या में नजरबन्दी के आदेशों का अनुमोदन भी किया। 7-5-71 से 30-6-74 तक की अवधि के दौरान कुल 12,996 व्यक्तियों में से न्यायालयों के आदेशों पर 2,091 नजरबन्दों को मुक्त किया गया था।

(घ) उच्चतम न्यायालय ने 21-8-74 को दिये गये अपने निर्णय में आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों पर विचार किया था। उसने अधिनियम तथा उसके उपबन्धों की संवैधानिकता का समर्थन किया था। निवारक निरोध के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा बताये गए सिद्धांत अनुलग्नक में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 8514/74]

पिछड़ी जाति कल्याण महानिदेशक के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय

1257. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**

श्री पी० एम० सेइद :

श्री एस० एम० सिंद्या :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़ी जाति कल्याण महानिदेशक के अधीन पांच क्षेत्रीय कार्यालय किस-किस तारीख को, क्षेत्रीय निदेशक अथवा क्षेत्रीय उप-निदेशक की नियुक्ति करके खोले गये;

(ख) क्या इन क्षेत्रीय कार्यालयों के अस्तित्व में आ जाने के बाद इनके कार्यों और कृत्यों के बारे में उनकी और सम्बन्धित राज्य सरकारों को विस्तृत जानकारी देने में महानिदेशक को दो वर्ष से भी अधिक समय लगा; और

(ग) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण थे ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) महानिदेशक का क्षेत्रीय संगठन जिसका कार्य और कृत्य, नियंत्रण के स्थानांतरण करने से बहुत पहले ही स्पष्ट थे, कार्य कर रहा था। इन कार्यों और कृत्यों का उल्लेख दिनांक 3-6-1967 के पुनर्गठन आदेश में भी किया गया था। क्षेत्रीय निदेशों तथा अन्य अधिकारियों के पदों को 15-6-1967 से बनाया गया था। महानिदेशक ने अपने क्षेत्रीय निदेशकों के साथ कार्यों तथा कृत्यों के बारे में बातचीत की और अपने अर्द्ध-शासकीय पत्र दिनांक 2 अप्रैल, 1968 में उनके कार्यों को बताया। प्राप्त सुझावों को दृष्टि में रखते हुए इन कार्यों को संशोधित तथा उनका विस्तार करके दिनांक 23 जनवरी, 1970 के पत्र में क्षेत्रीय निदेशों को भेजा गया था।

वर्ष 1975-76 के लिए वार्षिक योजना में कटौती

1258. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 की वार्षिक योजना के परिव्यय के चालू वार्षिक योजना के परिव्यय से अधिक होने की संभावना नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना खर्च में मितव्ययता सम्बन्धी समिति ने वर्ष 1974-75 के लिए केन्द्रीय योजनाओं में लगभग 150 करोड़ रुपये की कटौती करने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो प्रस्तावित कटौती से कौन-कौन सी योजनाएं प्रभावित होंगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1975-76 की वर्षिक योजना के संभावित परिव्यय के बारे में अभी बताना संभव नहीं है।

(ख) मंत्रिमण्डल सचिव के नेतृत्व में सचिवों के एक पैनल ने चालू वर्ष के योजना व्यय की काफी विस्तार से जांच की तथा 135.30 करोड़ रुपए की बचत करने तथा कतिपय महत्वपूर्ण बुनियादी क्षेत्रों में 162.10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय का सुझाव दिया। ये संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं।

विवरण

बजट पुनरीक्षण दल द्वारा बचतों तथा अतिरिक्त आवश्यकताओं का विश्लेषण ।

(रु० करोड़ में)

क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग	योजना बचतें	अतिरिक्त योजना अवश्यकता
1	2	3	4
1.—(क)	कृषि	28.45	—
(ख)	सामुदायिक विकास	5.51	—
(ग)	सहकारिता	6.13	—
(घ)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	2.77	—
(ङ)	खाद्य	8.00	—
2.	वाणिज्य	0.70	—
3.	संचार	1.00	—
4.	डाक तथा तार	4.00	—
5.	शिक्षा तथा संस्कृति	12.00	—
6.	समाज कल्याण	3.50	—
7.	वित्त		
(क)	अर्थ विभाग	—	—
(ख)	राजस्व विभाग	5.00	—
8.	स्वास्थ्य	0.53	—
9.	परिवार नियोजन	1.84	—
10.	भारी उद्योग	4.88	—
11.	गृह मंत्रालय	0.10	—
12.	औद्योगिक विकास	7.45	8.00
13.	सूचना तथा प्रसारण	0.50	—
14.	सिंचाई और बिजली	1.00	7.90
15.	श्रम	1.35	—
16.	रसायन	—	40.60
17.	योजना आयोग	0.20	—
18.	नौवहन तथा परिवहन	6.00	20.60
19.	इस्पात	—	57.00
20.	खान	17.54	10.00
21.	पूर्ति	0.15	—
22.	पुनर्वास	—	—

1	2	3	4
23.	पर्यटन तथा सिविल विमानन .	2.71	—
24.	निर्माण तथा आवास .	10.11	—
25.	इलैक्ट्रोनिक्स .	2.88	—
26.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी .	1.00	
27.	विदेश कार्य .	—	
28.	पैट्रोलियम .	—	18.00
	कुल	135.30	162.10

दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम पर हुआ खर्च

1259. **श्री भोला मांझी :**
श्री प्रबोध चन्द्र :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः वर्षों में दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के खर्च में चार गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है और उससे पर्याप्त लाभ नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितना धन खर्च हुआ; और

(ग) क्या सरकार इसके प्रशासन में सुधार करने के लिए इस उपक्रम के कार्यकरण की जांच करेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पेट्रोलियम के अलावा दूसरे ईंधन का उपयोग करने वाली कारों तथा स्कूटरों का निर्माण .

1262. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम के अलावा किसी दूसरे ईंधन का उपयोग करने वाली कारों तथा स्कूटरों का निर्माण करने की संभावना पर विचार कर लिया गया है अथवा यह बात सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या सरकार ने किसी विदेशी जानकारी द्वारा ऐसी कारों की संभावना सुनिश्चित की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

दिल्ली पुलिस विभाग में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना

1263. **श्री एस० एन मिश्र :**

श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली शस्त्र पुलिस विभागों में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को लागू कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली पुलिस के अराजपत्रित पदों (सिविल व आर्मड् दोनों) के संशोधित वेतन मान अभी अधिसूचित नहीं किए गये हैं क्योंकि सरकार वेतन आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों का अभी अध्ययन कर रही है।

हिन्दुस्तान टाइम्स के मुख्य सम्पादक को बर्खास्तगी

1264. **श्री राज राज सिंह देव :**

श्री जी० विश्वनाथ :

श्री सेझियान :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रबन्धकों ने अपने मुख्य सम्पादक को बिना कोई कारण बताये नौकरी से बर्खास्त कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो गैर सरकारी समाचार पत्र उद्योग में पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सरकार ने इस बारे में प्रेस रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) सरकार सदा इस बात की इच्छुक रही है कि सम्पादकों सहित श्रमजीवी पत्रकारों को काम की सभी समुचित शर्तें उपलब्ध हों। श्रमजीवी पत्रकार (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1955 तथा औद्योगिक रोजगार, स्थायी आदेश अधिनियम, 1946, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1956 जैसे अन्य श्रमिक कानून श्रमजीवी पत्रकार और उसके मालिक के बीच सेवा सम्बन्धी मामलों पर लागू होते हैं। यह महसूस किया जाता है कि ये कानून श्रमजीवी पत्रकारों को उनकी सेवा सम्बन्धी शर्तों के मामले में संरक्षण प्रदान करते हैं।

बम्बई में चलचित्र उद्योग में धन की कमी

1265. **श्री सी० टी० दंडपाणी :**
श्री चन्द्र मोहन सिन्हा :
श्री सी० चित्तिबाबू :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में चलचित्र उद्योग पर धन के अभाव के कारण बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे चलचित्रों की संख्या कितनी है जो निर्माणाधीन है और जो धन के अभाव से प्रभावित हुई है। और

(ग) चलचित्र उद्योग को सहायता देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) देश में फिल्म उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में है। सरकार को उन निर्माणाधीन फिल्मों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है जो धन की कमी से प्रभावित हुई है।

(ग) फिल्म वित्त निगम लिमिटेड जो पूर्णतया सरकार के स्वामित्व में है और जो 1960 में स्थापित किया गया था, उन प्रतिभावान तथा होनहार फिल्म निर्माताओं को आर्थिक सहायता देता है जो अन्य स्रोतों से धन प्राप्त नहीं कर पाते।

31 अगस्त, 1974 के दिन की स्थिति के अनुसार, फिल्म वित्त निगम ने 2 करोड़ 32 लाख 74 हजार रुपये की राशि के ऋण वितरित किये हैं।

गरीबी के स्तर से निम्न स्तर पर रहने वाले आदिवासी लोगों की क्रय क्षमता बढ़ाने का कार्यक्रम

1266. **श्री टुना उरांव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी के स्तर से निम्न स्तर पर रहने वाले आदिवासियों की क्रय क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यापक कार्यक्रम अपनाया गया है; और

(ख) बाढ़ या सूखा अथवा मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति से बहुत अधिक पीड़ित होने वाले इन लोगों को राहत देने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1971-72 से छः जनजाति विकास परियोजनायें प्रारम्भ की गई थीं। ये परियोजनायें आंध्र प्रदेश के श्रीकाकूलम, बिहार के सिंहभूमि, मध्य प्रदेश के दांतेवाड़ा और कोंटा और उड़ीसा के गंजम तथा कोरापुट में स्थित हैं। चौथी योजना में इन पर 440 लाख रुपया व्यय किया गया था। ये सभी परियोजनायें पांचवीं योजना में भी जारी हैं। पांचवीं योजना में कुछ और नई परियोजनायें प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। पांचवीं योजना में इस कार्य के लिए 10 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

पांचवीं योजना के दौरान घनी जनजाति वाले क्षेत्रों में जनजातियों के विकास के लिए एक नई नीति तैयार की गई है। सम्बन्धित राज्य की योजना के एक अभिन्न अंग के रूप में इन क्षेत्रों के लिए अलग से उप-योजनायें बनाई जायेंगी। जनजातीय क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न

विकास क्षेत्रों, से और अधिक धन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इन उप-योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। जनजाति विकास खण्डों, और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा गठित की गई अन्य एजेंसियों तथा परियोजनाओं का इन क्षेत्रीय योजनाओं के साथ एकाकार कर दिया जाएगा।

जनजातियों के लोगों का शोषण रोकने के लिए कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय अपनाए जायेंगे। जनजातीय लोगों की विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा विपणन सेवाओं की व्यवस्था की जायेंगी। पिछले कर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए भी कुछ उपाय अपनाने का विचार है। भूमि के स्वामित्व हस्तांतरण पर रोक लगाने, स्वामित्व-हस्तांतरित की जा चुकी भूमि वापस दिलाने और बंधक के रूप में मंजूरी करने जैसी रीतियों से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लिए यह जरूरी है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाए। इस सम्बन्ध में कृषि तथा उससे सम्बद्ध कार्यकलापों के विकास को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। सिंचाई सुविधाओं और कृषि के उन्नत तरीकों की व्यवस्था की जाएगी। पूरक रोजगार अवसरों के सर्जन के लिए बागवानी, पशुपालन, सूअरपालन, मत्स्यपालन विकास तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित कुटीर उद्योगों के विकास से सम्बन्धित एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। परिवहन और संचार, स्कूल, ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र तथा बिजलीकरण जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास को महत्व दिया जाएगा।

आदिम जाति के लोगों के शैक्षणिक विकास के लिए सहायता प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने जो कतिपय उपाय अपनाये हैं उनमें मैट्रिक के बाद वजीफे की स्कीम, लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधायें, प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन और परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, फीस माफी, पुस्तकों के लिए अनुदान आदि हैं।

आदिम जाति के लोगों सहित सूखा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारें अनेक प्रकार की कार्रवाइयां कर रही हैं। इन राहत उपायों को शुरू करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को हमेशा वांछित सहायता देती रही है। प्रभावित लोगों को रोजगार देने की विभिन्न परियोजनाओं को शुरु करने, मुक्त या इमदादी दरों पर खाद्य और अन्य आधारभूत आवश्यक चीजों के वितरण और कर आदि के मामले में राहत आदि कतिपय उपाय अपनाये गये हैं। स्फीतिकारक प्रभाव को रोकने के लिए सरकार ने हाल में अनेक उपाय अपनाए हैं। खाद्य उत्पादन बढ़ाने तथा देश के अन्दर उपलब्ध खाद्य सामग्री में आयात के द्वारा वृद्धि, कठोरता से ऋण उपलब्धियों को घटाना, वेतनों की वृद्धि में से एक भाग निश्चलीकरण, लाभांशों के वितरण सम्बन्धी प्रतिबन्ध आदि के सम्बन्ध में किए गये प्रयत्न उन कतिपय उपायों में हैं जो सरकार ने मूल्यों को स्थिर करने के लिए उठाये हैं।

दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के बीच डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था

1267. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में देश के सब राज्यों की राजधानियों के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है; और

(ग) क्या देश में विभिन्न नगरों/राजधानियों के लिये डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की वर्तमान समय सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) फिलहाल सात राज्यों की राजधानियां यानी श्रीनगर, बम्बई, जयपुर, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़ और शिमला से दिल्ली के लिए उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा उपलब्ध है। अहमदाबाद में भी, जो गांधीनगर को राजधानी बनाए जाने से पूर्व गुजरात की राजधानी था, यह सुविधा उपलब्ध है। राज्यों की शेष राजधानियो अर्थात् मद्रास, बंगलूर, कलकत्ता, भोपाल, गांधीनगर, हैदराबाद, भुवनेश्वर और त्रिवेन्द्रम से दिल्ली के लिए उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा के वर्ष 1977 तक उत्तरोतर चालू किए जाने की संभावना है। आशा है कि शिलांग, दीसपुर, इम्फाल, कोहिमा और अगरतला से दिल्ली के लिए उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा छठी योजना की अवधि के दौरान चालू हो जाएगी।

(ग) उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग काल के लिए समय की कोई सीमा निश्चित नहीं है।

दिल्ली टेलीविजन में सीनियर तकनीशियनों की कांट्रेक्ट के आधार पर भर्ती

1268. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली टेलीविजन पर अनेक सीनियर तकनीशियन 14 दिन के कांट्रेक्ट के आधार पर भर्ती किये जाते हैं;

(ख) क्या एक दिन का व्यवधान डाल कर उनके कान्ट्रेक्ट का पुनः नवीकरण कर दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस शोषण को रोकेगी तथा उन्हें नियमित सेवा में रखेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) तथा (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। टेलीविजन सहित आकाशवाणी में सीनियर तकनीशियन नियमित सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं, स्टाफ आर्टिस्टों की श्रेणी में नहीं। रिक्तियां भर्ती की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नियमित आधार पर भरी जाती हैं।

हरिजनों तथा अन्य अल्प संख्यकों पर अत्याचार के बारे में आल इंडिया साम्प्रदायिकता विरोधी कमेटी की ओर से ज्ञापन

1269. **श्री पीलू मोदी**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आल इंडिया साम्प्रदायिकता विरोधी कमेटी ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन पेश किया है जिसमें हरिजनों तथा अन्य अल्प संख्यकों पर पुलिस तथा प्रशासन द्वारा अत्याचार की अनेक शिकायतें की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन का विवरण क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) हाल ही में प्रधान मंत्री को अखिल भारतीय साम्प्रदायिकता विरोधी समिति से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। ज्ञापन में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के हरिजनों/आदिवासियों पर बढ़ते हुए अत्याचारों और उनके हितों पर पर्याप्त ध्यान न देने का उल्लेख है। ऐसा विचार है कि बहुत से राज्यों में राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार हरिजनों और अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है और पुलिस और प्रशासन के विरुद्ध शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

सरकार गलतफहमियों, धार्मिक व अन्य अल्पसंख्यकों तथा समाज के कमजोर वर्गों की शिकायतों को दूर करने और विभिन्न समुदायों के बीच अच्छे सम्बन्धों को बढ़ावा देने के निरन्तर प्रयत्न करती रही है। सरकार साम्प्रदायिक, धार्मिक अथवा भाषाई तनावों को रोकने के उद्देश्य से कड़ी सतर्कता भी बरतती है। साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का उल्लेख प्रश्नों के उत्तर में समय समय पर किया जाता रहा है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर बार-बार यह जोर दिया जाता रहा है कि जिन अधिकारियों की ओर से साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने में कमी पाई जाती है, उनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाय। एक-सदस्यीय आयोग दिल्ली दंगों की जांच कर रहा है। जिन संगठनों की गतिविधियां साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के प्रतिकूल होती हैं, उनके विरुद्ध आपराधिक कानून (संशोधन) अधि-नियम, 1972 के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है और ऐसे संगठनों की गतिविधियों पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है।

अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को तंग करने तथा उनके दमन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया सर्वविदित है। प्रधान मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है और निरोधात्मक उपाय करने तथा जहां इस प्रकार की घटनाएं होती हैं वहां तुरन्त कार्यवाही करने की सलाह दी गई है। ऐसी स्थिति से निपटने में अवहेलना करते पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध भी उचित कार्य-वाही करने की सलाह दी गई है। गृह मंत्री ने भी अनेक अवसरों पर इन सुझावों को दुहराया है।

पंजाब में उद्योग

1270. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले, माल डिब्बे और विद्युत के अभाव और कच्चे माल तथा तैयार माल की इधर से उधर ढुलाई न होने से पंजाब के विभिन्न उद्योगों पर विशेष रूप से गत छः महीनों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन उद्योगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) पंजाब स्थित विभिन्न उद्योग, यथा-इस्पात की ढुलाई तथा गढ़ाई, एम०एस० बोल्ट तथा नाट्स, सिलाई मशीनें, विद्युत, इस्पात कोयले तथा अन्य औद्योगिक कच्चे माल की कम सप्लाई किए जाने के कारण प्रभावित हुए हैं। उद्योगों की विभिन्न बाधाओं को दूर करने के हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति के विकास हेतु भारत-कनाडा सहयोग

1271. **श्री पी० जी० मावलंकर**: क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 मई, 1974 को राजस्थान में भारत के पहले परमाणु विस्फोट के बाद भी शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति के विकास में भारत तथा कनाडा का सहयोग चल रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो कनाडा ने किन-किन क्षेत्रों में अपना अनुदान देना कम कर दिया है अथवा बन्द ही कर दिया है, और इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोगों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत तथा कनाडा के बीच जो करार हुआ था वह अभी लागू है। कनाडा द्वारा उठाये गए कुछ मुद्दों पर भारत तथा कनाडा के बीच बातचीत चल रही है। यह बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है।

इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा उड़ीसा में छतरपुर के निकट एक औद्योगिक समूह का स्थापित किया जाना

1272. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**
श्री गजाधर मांझी:

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा उड़ीसा में छतरपुर के निकट समुद्रतटीय रेत से निकलने वाले खनिजों पर आधारित एक औद्योगिक समूह स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में अब तक कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो पूंजीनिवेश के लिए अपेक्षित धनराशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) तथा (ख) उड़ीसा के समुद्र तट की रेत में विद्यमान खनिजों पर आधारित एक औद्योगिक सम्मिश्र लगाने के प्रस्ताव पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। भूमि का अधिग्रहण करने, परामर्शदाता नियुक्त करने तथा आधारभूत सुविधाएं जुटाने की दिशा में कम्पनी द्वारा प्रारम्भिक कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान संकेतों के अनुसार इस परियोजना पर होने वाले खर्च की पूर्ति सरकार तथा वित्तीय संस्थानों के एक संघ से प्राप्त धन से की जाएगी।

बिहार में हाल के आन्दोलनों के दौरान 'आंसुका' के अधीन गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों की संख्या

1273. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1974 से अब तक बिहार में आन्दोलनों के दौरान आंसुका के अधीन कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(ख) इनमें से कितने मामले उच्च न्यायालय की सलाहकार परिषद् को सौंपे गये तथा उनमें से अलग-अलग कितनी-कितनी गिरफ्तारियां रद्द की गई अथवा वैध ठहराई गई ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार में अवैध खनन कार्य में नेताओं का हाथ होना

1274. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री कृष्ण चन्द्र हालदार :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 सितम्बर के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बिहार के हजारी बाग जिले में अवैध खनन कार्य में कुछ कांग्रेसी तथा इन्टक के नेताओं का हाथ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी हां ।

(ख) बिहार में कुछ अवैध खनन कार्यों की सरकार को सूचना मिली है और समुचित कार्रवाई की जा रही है।

त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग

1275. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा के मुख्यतः आदिवासी क्षेत्रों के आदिवासी लोग उन क्षेत्रों को आदिवासी क्षेत्र घोषित करने और वहां स्वायत्तशासी जिला परिषद् के गठन के लिये आन्दोलन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मामला विचाराधीन है।

दिल्ली में लगे 'क्रासबार' उपकरणों में त्रुटियां

1276. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री पी० गंगादेव :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री अनादि चरणदास :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में 'क्रासबार' उपकरणों की त्रुटियों को जनवरी, 1975 तक दूर करने का है; और

(ख) यदि हां, तो 'क्रासबार' प्रणाली के कार्य में सुधार लाने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) इस समय क्रासबार एक्सचेंजों में दर्जा बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है । बो०टो०एम० ने जो करोलबाग और जोरबाग के एक्सचेंज सप्लाई किए हैं उन में दर्जा बढ़ाने का 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और बाकी काम करीब 4 महीने में पूरा हो जाने की संभावना है। आई०टी०ओ० द्वारा सप्लाई किए गए एक्सचेंजों में से जनपथ एक्सचेंज का दर्जा बढ़ाने का काम 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है और बाकी काम करीब 4 महीने में पूरा हो जाएगा । ओखला और चाणक्यपुरी एक्सचेंजों में यह काम आई०-टी०-आई० से पुर्जों के प्राप्त होने पर शुरू किया जाएगा ।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

1277. **श्री शंकर राव सावन्त** : : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद का हल खोजने के संबंध में कितनी प्रगित हुई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : ऐसा समाधान जो अधिक से अधिक मान्य हो ढूढने की दिशा में सक्रिय रूप से प्रयत्न किये जा रहे हैं।

हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की जांच करने के लिए विशेष 'सैल' की स्थापना

1278. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने गत वर्ष अगस्त में राज्यों के मुख्य मंत्रियों को हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की जांच के लिये सीधे अपने नियंत्रण में विशेष 'सैल' बनाने के बारे में निर्देश दिये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्य सरकारों ने ऐसे सैल खोल दिये हैं; और

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही समस्याओं का सामना करने के लिये पर्याप्त नहीं है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री ने अगस्त, 1973 में राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा था तथा उन्हें सलाह दी थी कि जब कभी अनुसूचित जातियों को तंग करने और उन पर अत्याचार की घटनाएं होती हैं तो वे निरोधत्मक उपाय तथा शीघ्र कार्रवाई करें । हरिजनों, जन-जातियों और अल्पसंख्यकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों की अपनी निजी देखभाल में एक सैल अथवा किसी उपयुक्त मशीनरी की स्थापना करने पर विचार करने और सरकारी कार्यालयों, सरकारी उद्यमों इत्यादी में इन वर्गों की नौकरी सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास करने के लिए भी परामर्श दिया गया था ।

सरकारी सेवाओं इत्यादि में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की नौकरी के संबंध में स्थिति के पुनरीक्षण के लिए अनुसूचित जातियों/जनजातियों की शिकायतों पर विचार करने के लिए विशेष सैल/समितियां सीधे आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के सम्बंधित मुख्य मंत्रियों के अधीन स्थापित की गई हैं । उत्तर प्रदेश में, अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की शिकायतों में शीघ्र पूछताछ करने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए डी० आई० जी० के चार्ज में एक विशेष

सैल स्थापित किया गया है । गुजरात में हरिजनों और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की गंभीर शिकायतों की जांच करने के लिए राजकोट और बड़ौदा में पुलिस अधिकारियों के चार्ज में विशेष सैल स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, इस समस्या पर पुलिस के सहायक महानिरीक्षक के पद के एक अधिकारी द्वारा राज्य के पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय में कार्रवाही की जाती है ।

जब कभी अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की कोई घटना होती है तो राज्य सरकारें कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई करती हैं । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें ऐसी घटनाओं को रोकने और दुर्भाग्य से जब कभी हो जाती हैं तो अपराधी को सजा देने के लिए शीघ्र तथा कारगर कार्रवाई करने और पीड़ितों को राहत देने के लिए प्रयास करती हैं किन्तु, सरकार के प्रयास केवल तब ही सफल हो सकते हैं यदि लोगों में एक संवेदशील सामाजिक चेतना विकसित हो जाय।

अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक उत्पादन करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही

1280. **श्री एम० कन्तामुत्तु**: क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक उत्पादन करने वाली कम्पनियों के बारे में 28 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3854 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपनी अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक उत्पादन करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65वां) की धारा 24(झ)(क) के साथ पठित धारा 13 (झ)(च) के अन्तर्गत कोई कार्यवाई की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) और (ख) जैसा कि उपरिलिखित प्रश्न के उत्तर में उल्लेखन किया गया है कि सरकार ने निर्देश दे दिए हैं कच्चा माल/सामान और अन्य सहायता अधिकृत क्षमता से अधिक नहीं दी जायेगी । सरकार आयोग उन परिस्थितियों की जांच कर रहा है जिनमें कुछ उद्योगों से संबंधित कुछ कंपनियों ने लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन किया था। आयोग इस प्रकार की अनियमितताओं और चूकों की पुनरावृति रोकने के लिए आवश्यक अथ्युपायों के संबंध में भी रिपोर्ट देगा । उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन कार्यवाही किए जाने के प्रश्न पर निर्णय सरकार आयोग का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो जाने के बाद किया जायगा।

Delinking of Newspapers from Big Industrial Houses

1281. **Shri Sukhdeo Prasad Verma :**
Shri Ramahai Pandey :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the progress made so far to delink newspapers from big industrial houses ;
(b) whether Government are being pressurised against the proposal ; and
(c) if so, the facts thereof

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) The matter is under consideration in the light of judgements of the Supreme Court on Newsprint Policy for 1972-73 and on the 24th and 25th amendments to the Constitution.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

आपात स्थिति को समाप्त करना और आंसुका के अन्तर्गत नजरबन्दी की अवधि

1282. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आपात स्थिति को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत नजरबंद किये गये व्यक्तियों की नजरबंदी की अवधि के लिये निर्धारित समय-सीमा निश्चित करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) 'आंसुका' के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये कितने व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है; और क्या इनके मामलों पर समय-समय पर फिर से विचार किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो पुनर्विचार के पश्चात् कितने व्यक्तियों को रिहा किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) आपात कालीन स्थिति को समाप्त करने अथवा उसे जारी रखने के प्रश्न की लगातार समीक्षा की जाती है।

(ख) आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम 1971 जैसा कि भारत रक्षा अधिनियम 1971 द्वारा अस्थाई रूप से संशोधित किया गया है में नजरबन्दी के लिए की गई व्यवस्था की अधिकतम अवधि में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) तथा (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जेसप एण्ड ब्रेथवेट कलकत्ता का उत्पादन

1283. **श्री रानेन सेन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में जेसप एण्ड ब्रेथवेट, कलकत्ता में उत्पादन में काफी कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसमें सुधार लाने के लिए क्या कार्रवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं।

वास्तव में वर्ष 1971-72 से 1974-75 और अप्रैल से अक्तूबर, 1973-74 और 1974-75 की अवधि में जेसप एण्ड ब्रेथवेट, कलकत्ता का उत्पादन प्रतिवर्ष धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जैसा कि निम्न-लिखित विवरण में दिया गया है :—

उत्पादन (मूल्य लाखों रुपयों में)

जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकता

1971–72	1082	
1972–73	1621	
1973–74	2411	
1974–75	3417	(अनुमानित)

अप्रैल—अक्तूबर

1973–74	1074	
1974–75	1,778	

ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी इन्डिया लिमिटेड कलकत्ता

1971–72	490.90	
1972–73	909.43	
1973–74	1111.32	
1974–75	1373.26	(अनुमानित)

अप्रैल—अक्तूबर

1973–74	527.80	
1974–75	645.92	

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

दिल्ली में पुलिस और लोक सम्पर्क व्यवस्था

1284. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कुछ 'जनता-के-सेवक' नियुक्त करके पुलिस और लोक सम्पर्क व्यवस्था मजबूत करने और बनाये रखने के लिये एक नया तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उसे कब से लागू किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के उत्पाद

1285. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, जो कि विदेशी कम्पनी की सहायक कम्पनी है, अन्धेरी में केवल दिखावे मात्र के लिये अनुसन्धान एवं विकास केन्द्र का प्रयोग कर रहा है;

(ख) क्या आयात प्रतिस्थापन के नाम पर इस केन्द्र में इडली मिक्स, दोसा मिक्स, बड़ा मिक्स, गुलाब जामुन मिक्स, खीर मिक्स, साम्बर मिक्स आदि जैसे उत्पाद ही तैयार किये जाते रहे हैं,

(ग) क्या आयात के प्रतिस्थापन के लिये साबुन में प्रयोग की जाने वाली सुगन्ध मिश्रण अथवा ऐरोमैटिक्स के क्षेत्र में इस कम्पनी द्वारा इस केन्द्र से प्राप्त परिणामों की कोई जांच की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उन वस्तुओं का उल्लेख करेगी जिनके लिये इस प्रकार की प्रतिस्थापित सुगन्ध के मिश्रण का प्रयोग किया गया है और कितनी मुद्रा बचाई जा सकी है; और

(ङ) विदेशी कम्पनी की सहायक इस कम्पनी को इस तथाकथित अनुसन्धान केन्द्र के नाम पर विकास छूट के रूप में अथवा रियायत के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) अंधेरी में मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का अनुसंधान एवं विकास केन्द्र 3-8-1973 से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ पंजीकृत है । इस केन्द्र के अनुसंधान एवं विकास कार्य तेल तथा चर्बी संश्लिष्ट वसीय अम्लों, संश्लिष्ट अपमार्जिकों, सुगंध तेलों तथा परिष्कृत रसायनों, खाद्य तेलों, संसाधित खाद्यों, प्राणि पोषण, उत्प्रेरकों आदि से संबंधित हैं । इस अनुसंधान एवं विकास केन्द्र द्वारा किए गए कार्यों की 31-3-74 को समाप्त होने वाले वर्ष की प्रगति संबंधी वार्षिक रिपोर्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में प्राप्त हो गई है । सरकार का यह विचार नहीं है कि कम्पनी इस अनुसंधान केन्द्र का प्रयोग केवल दिखावे मात्र के लिए कर रही है ।

(ख) इसमें संदेह नहीं कि कम्पनी ने कुछ समय तक अपने उत्पादों में इडली मिक्स, दोसा मिक्स आदि जैसे कतिपय संसाधित खाद्य तैयार किये थे, परन्तु इनके संबंध में यह नहीं कहा गया कि ये वस्तुएं आयात प्रतिस्थापना के लिए हैं । इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने यह सूचित किया है कि उन्होंने 1973 के आरंभ से ऐसे सभी संसाधित खाद्यों का उत्पादन बंद कर दिया है ।

(ग) नहीं । तथापि, कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार साबुन निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले सुगंध तेलों, ऐरोमैटिक रसायनों तथा सुगंधों के क्षेत्र में उसके अनुसंधान एवं विकास केन्द्र द्वारा विकसित किए गए आयात प्रतिस्थापन उत्पाद निम्नलिखित हैं :—

(1) ऐल्डिहाइड (सी 11, सी 12, सी 16) (2) बेंज़िल एस्टर्स तथा इथर्स (3) सिट्रोनेलैल (4) सिनेमिक ऐल्डिहाइड (5) कैरीन डेरिवेटिवज़ (6) सिट्रोनेलैल डेरिवेटिव्ज़, (7) डाइहाइड्रो आइसोजसमोन (8) डाइमेथिल हाइड्रोक्विनोन (9) जिरेनिआ तथा एस्टर्स (10) हाइड्रोक्सी सिट्रोनेलैल (11) आइसो-बार्निआल तथा एस्टर्स (12) आइसोब्यूटाइल सैलिसिलेट (13) आइसो-पुलिजोल (14) लोंगीफोलीन डेरिवेटिव्ज़ (15) मेथिल आयोनोन (16) मेंथाल मेंथोन (17) मैथिल पारा क्रीसाल

(18) मस्क (19) फेनिल एथिल एल्कोहाल एवं डेरिवेटिव्ज़ (20) रोज ऐसिटोन (21) स्टाइरैलाइल एसिटेट, (22) टपिनिआल एवं एस्टर्स (23) टर्पीन (24) अजवान तेल (25) एनेथी तेल (26) देवदार तेल (27) दालचीनी पत्ती-तेल, (28) सिट्रोनेला तेल, (जवा किस्म) (29) आइकेलिप्टस ग्लोब्युलस तेल, (30) जिरेनियम तेल (31) इन्चीग्रास तेल (32) लिनालोयवेरी तेल (33) आरेंज पील आयल।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। सरकार समझती है कि कम्पनी इन तेलों रसायनों तथा, सुगन्धों का प्रयोग अपने द्वारा निर्मित निम्नलिखित प्रकार के साबुनों तथा अपमार्जकों में कर रही है:—

(1) मराल (2) लक्स टायलट सोप (3) रेक्सोना (4) पीयर्स (5) ताज (निर्यात) (6) लिरिल (7) कैरेस (8) ब्रीज (9) रिन (10) सोलर (11) रिन्सों (12) ओमो (13) लक्स पाउडर।

इन विभिन्न प्रकार के साबुनों के निर्माण में कम्पनी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सुगंध मिश्रणों तथा रसायनों के विस्तृत ब्यौरे कम्पनी के अपने व्यापारिक रहस्य हैं। जहां तक विदेशी मुद्रा की बचत का संबंध है कम्पनी ने यह दावा किया है कि उन्होंने साबुन बनाने में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के ऐसे सुगन्ध तेलों, रसायनों, तथा सुगंधों, जिनको अन्यथा इस देश में आयात करने की आवश्यकता पड़ती, का निर्माण करके 1961 तथा 1971 के बीच लगभग 0.547 लाख रुपये की बचत की है।

(ङ) 1971, 1972 तथा 1973 के वर्षों में कम्पनी ने विकास छूट के रूप में तथा इसके अनुसंधान केन्द्र में अनुसंधान एवं विकास पर हुए राजस्व तथा पूंजी व्यय को बट्टे-खाते में डालने के लिए निम्नलिखित राशि का दावा किया है:—

(लाख रु०)

	1971	1972	1973
(i) विकास छूट	1.97	2.58	2.17
(ii) पूंजी व्यय	12.31	33.95	14.18
(iii) राजस्व व्यय	72.40	79.17	90.50
(i) (ii) व (iii) का योग	84.71	113.12	104.68

कम्पनी कर के निर्धारण के लिए, उक्त शीर्षों के अंतर्गत, कर अधिकारियों द्वारा वास्तविक रूप में स्वीकृत राशि के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है, और इसके उपलब्ध होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

आकाशवाणी के कटक केन्द्र के भूमि के लेन-देन वाले घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

1286. **श्री सुरेन्द्र महन्ती :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आकाशवाणी के कटक के केन्द्र 4 लाख रुपये के भूमि के लेन-देन वाले उस घोटाले से सम्बन्धित कुछ काग़जात पकड़े हैं जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा भारत सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच पूरी कर ली है; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) आकशावाणी ने अपने कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकानों के निर्माण हेतु भूमि, भूमि अधिग्रहण कानून के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार से अर्जित की थी । इस मामले से सम्बन्धित तीन फाइलें केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आकाशवाणी के कटक केन्द्र से ली है।

(ख) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने अपनी जाँच पूरी कर ली है और सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

उद्योगों के लिए इन्टर स्टेट टास्क फोर्स कमेटी

1287. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरी राज्यों में उद्योगों की समस्या की जाँच करने के लिये 1973 में एक इंटर-स्टेट टास्क फोर्स कमेटी स्थापित की थी; और

(ख) गत एक वर्ष में तथा देश के पिछड़े राज्यों की औद्योगिक समस्याओं की घटना स्थल पर जाँच करने के लिए इस समिति की कितनी बैठकें हुई हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) पंजाब और हरियाणा राज्यों तथा केन्द्र शासित दिल्ली के राज्य क्षेत्र में उद्योगों की सम्मिलित समस्याओं की जांच करने के लिये एक समिति गठित की गई है । अभी तक समिति की केवल एक बैठक हुई है । पिछड़े राज्यों की औद्योगिक समस्याओं की मौके पर जाँच करने के लिये अभी तक कोई भी बैठक नहीं हुई है।

टेलीफोन का अन्तरण

1288. **श्री एम० बी० कृष्णप्पा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओ० वाई० टी० और आम श्रेणी के टेलीफोन को एक व्यक्ति से दूसरे को अन्तरित करने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में किये गये नये संशोधनों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या प्राथमिकता के आधार पर दिये गये टेलीफोनों का अन्तरण किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जा सकता; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) नई योजना के अन्तर्गत कोई उपभोक्ता टेलीफोन लगाए जाने के कम से कम तीन वर्ष बाद अपना टेलीफोन उसी अहाते में किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या किसी दूसरे संगठन को हस्तान्तरित कर सकता है । ऐसे हस्तान्तरण के लिए 500 रुपय शुल्क लिया जाएगा । अगर कोई टेलीफोन एक बार हस्तांतरित कर दिया गया हो तो तीन वर्ष के अंदर उसके हस्तान्तरण की अनुमति नहीं दी जाएगी । हस्तान्तरण हो जाने के बाद स्थानान्तरण नियमों के अंतर्गत टलीफोन के स्थानान्तरण की इजाज़त दी जाती है।

(ग) और (घ) जी हां, मूल उपभोक्ता की मृत्यु के अलावा अन्य किसी स्थिति में ऐसा हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता । लोगों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन सार्वजनिक हित में उनकी व्यक्तिगत हैसियत के रूप में विशेषरूप से ध्यान में रखते हुए दिये जाते हैं । इसलिए ऐसे टेलीफोन कनेक्शनों का हस्तान्तरण नहीं किया जाता ।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्र

1289. श्री वयालार रवि :
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास मन्त्रालय के तकनीकी विकास महानिदेशक को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में औद्योगिक लाइसेन्सों के लिए कुल कितने आवेदन-पत्र मिले;

(ख) कितने आवेदन-पत्रों पर वर्षवार अनुमति दी गई और प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्षवार कुल कितने आवेदन-पत्र रद्द किए गए और उसके क्या कारण हैं तथा इस समय कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ?

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में प्राप्त किए जाते हैं। 1972, 1973 और 1974 (जनवरी-सितम्बर) की अवधि में प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या क्रमशः 2851, 3280 और 5253 है ।

(ख) 1972, 1973 और 1974 (जनवरी-सितम्बर) की अवधि में जारी किए गए आशय पत्रों की संख्या क्रमशः 877,899 और 911 है । 1972, 1973 और 1974 (जनवरी-सितम्बर) की अवधि में दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या क्रमशः 563,59 और 777 है । स्वीकृतियों के ब्यौरे वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज और एक्सपोर्ट लाइसेंसेज, इण्डियन ट्रेड जर्नल और जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड में प्रकाशित किए जाते हैं । इन प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) रद्द किए गए मामलों की संख्या के बारे में आंकड़े केवल नवम्बर, 1973 से उपलब्ध हैं जब से औद्योगिक स्वीकृतियों के सचिवालय की स्थापना की गई थी । नवम्बर, 1973 से सितम्बर, 1974 की अवधि में रद्द किए गए मामलों की संख्या 2912 है । रद्द करने के मुख्य कारण उपयुक्त क्षमता की उपलब्धि, कच्चे माल की बाधाएं, प्रस्ताव का नीति के साथ अनुरूप न होना अथवा तकनीकी रूप से ठीक न होना है । 1 नवम्बर, 1974 को अनिर्णीत पड़े आवेदनों की संख्या 2259 है ।

Subvertion of Freedom of Press in States according to Press Council Verdict of October, 1974

1290. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of the States that have subverted the freedom of the Press according to the October, 1974 verdict of Press Council ; and

(b) the reaction of the Central Government in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) The Press Council decision of October '74 did not name any State Government for infringing the Freedom of the Press. They gave decision on a specific case brought before them.

(b) The Government has noted with satisfaction that the recommendation of the Press Council has been acted upon by the concerned State Government.

अनुसूचित जातियों की सूची में धोबियों को शामिल करना

1291. श्री राजदेव सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार तथा कुछ अन्य राज्य सरकारों ने धोबियों को अनुसूचित जातियों की सूची में रख दिया है; और यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि महाराष्ट्र सरकार ने धोबियों को अनुसूचित जातियों की सूची में नहीं रखा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों से अनुसूचित जातियों की समान सूची रखने और अब से बाद में धोबियों को अनुसूचित जाति के रूप में मानने और उन्हें देय सुविधायें देने के लिए कहेगी ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 341 के उपबंधों के अधीन अनुसूचित जातियों को राष्ट्रपति के आदेशों के जरिये केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करती है, राज्य सरकारें नहीं । राष्ट्रपति के आदेशों में केवल संसदीय विधान द्वारा संशोधन किया जा सकता है ।

इस समय धोबी जाति असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट की गई है । सारे देश के लिये एक समान सुची संभव नहीं है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 341 में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जातियों के विशिष्ट विवरण की आवश्यकता होती है और राज्यवार सूचियों पर विचार होता है ।

Benami Licences obtained by M/s. J.B. Mangharam & Co.

1292. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether the proprietors of the J.B. Mangharam and Company Gwalior (M.P.) have obtained licences from the Government in the names of some other firms or persons ; and

(b) if so, facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya) : (a) and (b) Messrs J.B. Mangharam & Company have two factories one at Gwalior and the other at Hyderabad, registered under the Industries (Development & Regulation) Act. Three other units connected with Messrs J.B. Mangharam and Company have come up and are carried on the list of D.G.T.D. They are as follows:—

(1) Messrs Jivan Foods, Bombay, Factory at Hyderabad.

(2) Messrs Mangharam & Sons, Bombay, Factory at Bangalore.

(3) Messrs International Foods, Bombay, Factory at Hyderabad.

आण्विक जानकारी का विदेशों को निर्यात रोकने का प्रस्ताव

1293. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आण्विक जानकारी का विदेशों को निर्यात रोकने का प्रस्ताव है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या अमरीकी विदेश मंत्री ने इस बारे में भारत सरकार से कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) हमने परमाणु ऊर्जा के शान्तिमय उपयोगों के सम्बन्ध में मित्र देशों के साथ जो सहयोग करार किए हुए हैं उनकी शर्तों के अनुसार हम उन देशों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बर्मा-मिजोरम सीमा पर सुरक्षा बल तथा विद्रोही मिजो लोगों में मुठभेड़

1294. श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा-मिजोरम सीमा पर हाल में सुरक्षा बल तथा विद्रोही मीजो लोगों के बीच बड़े पैमाने पर मुठभेड़ हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) विद्रोही मीजो लोगों को शांत करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) **जी नहीं, श्रीमान् ।**

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार समझती है कि भूमिगत मीजों के साथ कोई बातचीत तब तक प्रयोजनात्मक नहीं होगी जब तक मिजो विद्रोही अपनी पृथकवादी मांग पर अड़े रहेंगे और अपनी देशद्रोही गतिविधियां जारी रखेंगे ।

Appointment of Hindi Officer in C.W. & P.C.

1295. Shri Chandra Shekhar Singh : Will the Minister of Energy be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the letters to the Editor published in a Hindi Daily dated the 3rd October, 1974 and in another Hindi Daily dated the 12th October, 1974 regarding appointment of Hindi Officer in C.W. & P.C. ;

(b) if so, whether any enquiries have been made from all the Ministries in this regard and if so, the results thereof ;

(c) whether there was provision earlier for conducting a written test and latter the provision for written test was abolished in the circulars which were sent to a few Ministries only and if so, the reasons therefor; and

(d) the measures taken so far to remove these irregularities ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) The vacancy was circulated to all Ministries/Departments of the Government of India prescribing the qualifications and experience to be possessed by the candidates for appointment to the post. As recruitment was to be made on an ad-hoc basis, it was decided not to have any written test.

(d) Does not arise as no irregularity has been committed.

Representation regarding filling up the post of Hindi Officer in Power Wing of Ministry of Energy

1296. Shri Chandra Shailani : Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) whether some outside and ministerial candidates represented against the interview taken and other procedure adopted in the Power Wing of the Ministry for filling the post of Hindi Officer ;

(b) if so, the objections raised and the action taken for removing them ;

(c) whether only one post was advertised and now two or three posts of Hindi Officers are being filled on the basis of the interview dated 13th September, 1974 ; and

(b) the reasons for filling the other posts of Hindi Officers in the Ministry on the basis of the advertisement of the Power Wing and the so called selection made by the board constituted under the Chairmanship of the Chairman of the Power Wing ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) to (c) Some representations were received against the selection. The main objections were that the questions asked at the interview were not similar and no written test was held. These objections were found invalid. For the present, no other post of Hindi Officer is proposed to be filled on the basis of the selection made on 13-9-1974.

योजना आयोग द्वारा कक्कड़ पन-बिजली योजना को अभी स्वीकृति न दिया जाना

1297. **श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कक्कड़ पन-बिजली योजना को अभी तक स्वीकृति नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) केरल राज्य सरकार ने योजना आयोग को इस स्कीम की परियोजना रिपोर्ट जो कक्कड़, बिजलीघर पर 35 मेगावाट वाले दो सेट स्थापित करने से संबंधित थी, अप्रैल 1974 में भेजी थी । इस स्कीम की अनुमानित लागत 1568 लाख रुपये हैं । अभी इस परियोजना रिपोर्ट पर सम्बन्धित मंत्रालयों में तकनीकी दृष्टि से विचार किया जा रहा है । उसके बाद तकनीकी सलाहकार समिति इस पर विचार करेगी । योजना आयोग इस स्कीम को योजना में सम्मिलित करने की स्वीकृति उसी सूरत में देगा यदि तकनीकी सलाहकार समिति इस स्कीम की सिफारिश कर दे और धन उपलब्ध हो ।

Transfer of Chandigarh and Areas of Fazilka Tehsil and Commission to go into Border Disputes

1299. **Shri Sher Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Chandigarh is being transferred to Punjab on 29th January, 1975 in pursuance of the decision of the Prime Minister and if not, the period for which this transfer is being advanced ;

(b) whether the implementation of the decision of the Prime Minister regarding transfer of certain areas of Fazilka tehsil to Haryana will also be deferred till the transfer of Chandigarh ;

(c) what action has been taken so far by the Government in consultation with Punjab, Haryana and Himachal Pradesh for the appointment of a Commission to go into the border disputes and when this Commission will be appointed ; and

(d) whether Government propose to declare the areas of Fazilka Tehsil as Centrally administered areas ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (d) Consultations with the State Governments concerned on matters arising out of Government's decisions on Punjab disputes, which were announced in the Press Communique dated the 29th January, 1970 , are presently in progress.

भारत द्वारा परमाणु ईंधन के प्रयोग के बारे में अमरीकी जांच

1300. **श्री के० लकप्पा :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री आर० वी० स्वामिनाथन :

श्री दशरथ देव :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की परमाणु नीति को देखते हुए अमरीका ने भारत से उक्त परमाणु नीति के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने तक भारत को यूरेनियम ईंधन की सप्लाई स्थगित कर दी है;

(ख) क्या उन्होंने भारत सरकार से तारापुर-करार के अन्तर्गत अमरीका द्वारा की गई परमाणु ईंधन की सप्लाई के उपयोग के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या ईंधन की अगली खेप अक्तूबर में आनी थी परन्तु वह अभी तक भारत को सप्लाई नहीं की गई है?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) जी नहीं।

(ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर जिसमें अमरीका द्वारा सप्लाई किया गया समृद्ध यूरेनियम काम में लाया जाता है, पर पहले से ही अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सेफगार्ड व्यवस्था लागू है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) अक्तूबर में आने वाला ईंधन समुद्र के रास्ते रवाना किया जा चुका है।

वर्ष 1974-75 में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए केरल को वित्तीय सहायता

1301. **श्री वयालार रवि**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल सरकार ने वर्ष 1974-75 के दौरान शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए कितनी वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) वर्ष 1974-75 के रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत, 5883 शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों, 3000 कुशल कामगारों और लगभग 10,000 अकुशल कामगारों को रोजगार देने के लिए 215.16 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है।

(ख) राज्य सरकार के प्रस्ताव योजना आयोग में नवम्बर, 1974 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुए थे। राज्य सरकार के अधिकारियों से बातचीत करते समय यह देखा गया कि राज्य के लिए निर्दिष्ट 165 लाख रुपये की अधिकतम राशि के लिए फिर से प्रस्ताव तैयार करने की आवश्यकता है।

कोयला खनन उद्योग के लिए ब्रिटिश सहायता

1302. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री राम सहाय पाण्डे :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन सरकार ने कोयला खनन उद्योग के लिए सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सहायता की मुख्य बातें क्या हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ब्रिटिश सहायता राशि में से कोयला खनन उद्योग के लिए कोई विशेष राशि नियत नहीं की गई है। तथापि, प्राप्त ब्रिटिश सहायता राशि में से कोयला उद्योग के लिए ब्रिटेन से आयातित सामान आदि का मूल्य चुकाया जा सकता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि शीघ्र ही एक ब्रिटिश शिष्टमंडल भारत आने वाला है जो हमारे कोयला खनन उद्योग के क्षेत्रवार मांग का मूल्यांकन करेगा और हमारे विकास कार्यक्रमों के संभावित क्षेत्रों का पता लगाएगा जिनमें उनके द्वारा दी जाने वाली भावी सहायता का उपयोग किया जा सके।

मूल्यों को स्थिर करना

1303. **श्री धामनकर : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम आदमी द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली अति आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसको क्रियान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पांचवीं योजना में राजस्थान में हथकरघा उद्योग का विकास

1304. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में हथकरघा उद्योग के विकास हेतु पांचवीं योजना के दौरान कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ख) विभिन्न वस्तुओं के नाम क्या हैं तथा इस उद्देश्य के लिए किन-किन लेखाशीर्षों के अन्तर्गत राशि आवंटित की गई हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राजस्थान में पांचवीं योजना के प्रारूप में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए 6.5 लाख रुपये के अस्थाई परिव्यय की व्यवस्था है। पांचवीं योजना को अंतिम रूप देते समय इस अस्थाई परिव्यय में संशोधन किया जा सकता है। हथकरघा उद्योग के लिए राज्य की पांचवीं योजना के प्रारूप में जिस विकास कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है उसमें बुनकरों के लिए आवासीय बस्तियों के निर्माण को पूरा करने, उन्नत उपकरणों की पूर्ति तथा डिजाइन केन्द्र से संबंधित स्कीमें शामिल हैं।

राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन-पत्र

1305. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय सरकार के पास राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिए कितने आवेदन पत्र निर्णयाधीन पड़े हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : राजस्थान राज्य में 1-11-74 को अनिर्णीत पड़ी अर्जियों की संख्या 9085 थी।

बिजली की सप्लाई बन्द करने का राजस्थान के औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव

1306. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान के औद्योगिक कस्बों में बिजली की सप्लाई बन्द करने से उस राज्य के औद्योगिक उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : भारत सरकार को प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान में बिजली में कटौती नहीं की गई है अथवा बिजली देने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

गोआ में बिजली की सप्लाई बन्द करने से औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव

1307. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ के औद्योगिक कस्बों में बिजली की सप्लाई बन्द करने के साथ के औद्योगिक उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : हालांकि गोवा में कुछ हद तक बिजली की कटौती रही है फिर भी तकनीकी विकास के महानिदेशालय में दर्ज गोवा स्थित 8 से 10 औद्योगिक एककों के इस कारण उत्पादन में किसी प्रकार की गिरावट की सूचना नहीं दी है।

गोआ में विद्युत योजनाओं की मंजूरी

1308. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 और वर्ष 1973-74 तथा वर्ष 1974 के अक्तूबर तक केन्द्र द्वारा गोआ में कोई बिजली योजनाएं मंजूर की गई हैं और उनकी विद्युत क्षमता क्या है; और

(ख) यदि हां, तो इनके जिलावार आंकड़े क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गोआ में टेलीफोनों के लिए आवेदन

1309. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री चरण दास अनादि :
क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकार के पास गोआ में टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिये कितने आवेदन पत्र निर्णयाधीन पड़े हैं;

(ख) ऐसे आवेदकों की संख्या कितनी है जिनके नाम एक वर्ष से अधिक समय से प्रतीक्षा सूची में हैं तथा उन्हें टेलीफोन कनेक्शन कब दिये जायेंगे; और

(ग) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान गोआ को कुल कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) गोआ में इस समय टेलीफोन कनेक्शनों की अनिर्णीत अर्जियों की संख्या 1635 है।

(ख) प्रतीक्षा सूची में एक वर्ष से अधिक समय से दर्ज आवेदकों की संख्या 1236 है।

टेलीफोन कनेक्शन देने में विलम्ब का कारण है:—एक्सचेंज उपस्कर और जमींदोज़ केबुलों की सामान्य कमी। लगातार ऐसी कोशिशें की जाती हैं कि उपलब्ध सीमित साधनों के अंतर्गत जहां तक संभव हो सके, ज्यादा से ज्यादा टेलीफोनों की मांगें पूरी की जाएं।

(ग) गोआ में वर्ष 1972-73 में कुल 634 और 1973-74 में 437 नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए थे।

Data about heavy industries

1310. Shri B.S. Chowhan : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the number of heavy industries in the country ; and

(b) the number of industries in private and public sectors out of them separately ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.C. George): (a) & (b) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Decline in Power Generation During last three years

1311. Shri B.S. Chowhan : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether power generation declined during the last three years ; and

(b) if so, the decline registered each year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddeshwar Prasad) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Supply of Power to Agriculture and Industry

1312. Shri B.S. Chowhan : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the percentage of power now being supplied for agriculture, industry and lighting separately, keeping in view the power shortage ; and

(b) the steps being taken by Government to increase this percentage of power supply for agriculture and industry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddeshwar Prasad) : (a) The pattern of consumption of energy for agriculture, industries and lighting and other loads expressed as a percentage of total consumption for the country as a whole is 12.05, 65.68 and 22.27% respectively.

(b) The State Governments have been advised to curb the use of power for ostentatious and non-productive purposes and divert the power so saved for use in industry and agriculture.

आसाम, पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों में डाक टेलीफोन तथा तार सेवाएं

1314. **श्री नूरुल हुडा :**
श्री समर गुह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम, पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों में डाक, टेलीफोन तथा तार सेवाएं गंभीर रूप से बिगड़ी हैं; और

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) **डाक सवाएँ**: असम में सेवाएं गंभीर रूप से अस्त-व्यस्त नहीं हुई। हां, पश्चिम बंगाल सर्किल के कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा धीमे काम करो रवैया अपनाने, कर्मचारियों के बड़ी तादाद में गैरहाजिर होने और समयोपरि भत्ते के लिए सीमित निधि उपलब्ध होने के कारण कलकत्ते में डाक इकट्ठा हो गई थी। यह स्थिति पूजा की अवधि से पहले उत्पन्न हुई थी और पूजा की अवधि में डाक की पोस्टिंग की मात्रा योभीं और ज्यादा बढ़ जाती है। किन्तु अब स्थिति सामान्य हो गई है।

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, कानपुर और मेरठ जैसे कुछ स्थानों में भी अल्पावधि के लिए डाक इकट्ठी हो गई थी। इस स्थिति पर तुरन्त ही काबू पा लिया गया। अब इन सभी स्थानों पर स्थिति सामान्य है।

टेलीफोन सेवाएं: जहां तक टेलीफोन एक्सचेंजों का संबंध है, असम, पश्चिम बंगाल और देश के अन्य भागों में कहीं भी टेलीफोन सेवा के स्तर में ज्यादा गिरावट नहीं आई है।

तार सेवाएं: पिछले कुछ समय के दौरान असम, पश्चिम बंगाल और देश के अन्य कई भागों में संचार सेवा में कोई खास गिरावट नहीं आई। फिर भी, बिहार बंद आन्दोलन से कोएक्सिएल प्रणाली को काफी क्षति पहुंचने के कारण अक्तूबर 1974 के पहले सप्ताह में असम और पश्चिम बंगाल से बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बम्बई, गुजरात और दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण स्थानों के लिए दूरसंचार सेवाएं जरूर अस्त-व्यस्त हो गई थीं। गतिरोध के इन कारणों का प्रभाव तारों के निपटारे पर भी पड़ा था। इनके अतिरिक्त बिजली की कटौती और बिजली बन्द होने की वजह से भी तार सेवाओं पर बुरा असर पड़ा। अभी हाल ही में त्यौहार के दिनों में निपटाई जाने वाली तारों की संख्या में असामान्य वृद्धि हुई। कर्मचारी भी इन दिनों 25 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत के बीच गैरहाजिर रहे जबकि छुट्टी रिजर्व कर्मचारी सिर्फ 10 प्रतिशत ही होते हैं। सिगनलिंग और डिलीवरी कर्मचारी प्रोत्साहन राशि अर्जित करने के हकदार हैं, जिससे सीमित संख्या में उपलब्ध कर्मचारियों को अधिकाधिक तारों का निपटारा करने के लिए बढ़ावा मिलता है। किन्तु समयोपरि काम के लिए इन काडरों तथा क्लर्कों के लिए निधि सुलभ नहीं थी।

(क) डाक सेवाएं : पोस्टमास्टर जनरल, कलकत्ता ने अनुमोदित सूची के लोअर-ग्रेड कर्मचारियों को अस्थायी सार्टरों के तौर पेर नियुक्त किया। अल्पकालिक सार्टरों की भी नियुक्ति की गई और प्रतिबंधित तौर पर समयोपरि भत्ते पर भी काम कराया गया। इसके अलावा, पोस्टमास्टर जनरल, कलकत्ता के कार्यालय से अधिकारियों को काम-काज की देख-रेख बढ़ाने के लिए भेंजा गया। इन व्यवस्थाओं से एकत्रित डाक का निपटारा किया गया।

टेलीफोन सेवाएं : इसका प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि एक्सचेंजों के संतोषजनक रख-रखाव के लिए एक्सचेंजों को स्थायी हिदायतें दी जा चुकी हैं, जिनका वे पालन करते हैं। एक्सचेंजों के रख-रखाव की जांच के लिए स्थानीय अधिकारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक्सचेंजों का निरीक्षण करते हैं। एक्सचेंजों के रख-रखाव के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए निदेशालय से निरीक्षण दल भी हर साल बड़े एक्सचेंजों का दौरा करते हैं और जहां कहीं कोई गिरावट नजर में आती है, वे कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए सुझाव देते हैं।

तार सेवाएं : असम और पश्चिम बंगाल से देश के कई भागों के लिए मौजूदा दूरसंचार सेवाएं मूलरूप से कोएक्सिएल केबुल या माइक्रोवेव प्रणालियों पर दी गई हैं। बिजली गिरने, सड़क पर काम करने वाली पार्टियों द्वारा क्षति पहुंचने और बाढ़ तथा जमीन धंसकने जसे अन्य प्राकृतिक कारणों से समय-समय पर जमींदोज केबुलों में खराबी आना स्वाभाविक है। इन मार्गों की सेवा और अधिक विश्वसनीय हो सके इसके लिए अतिरिक्त माइक्रोवेव या कोएक्सिएल प्रणालियों की व्यवस्था पर वैकल्पिक संचार साधन जुटाने का प्रस्ताव है।

स्थिति का भलीभांति सामना करने के लिए तारों के निपटारे का काम करने वाले तारघरों के अनुभागों को और मजबूत बनाया गया है। जिन स्थानों में तार बहुत ज्यादा होते थे, वहां से अधिक तेजी से निकासी वाले नये मार्ग खोले गए और उन मार्गों से तार भेजे गए।

अखबारी कागज के व्यापार में चोर बाजारी

1315. **सरदार स्वर्ण सिंह सोंखी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश में सभी समाचारपत्रों ने संकट का सामना करने के नाम पर अपने बिक्री मूल्य तथा विज्ञापन दरों में अनेक बार वृद्धि की है; और

(ख) क्या अखबारी कागज के व्यापार में चोर बाजारी बड़े जोर-शोर से चल रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना तथा समाचारपत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत दो वर्षों के दौरान 215 समाचारपत्रों ने अपनी कीमतों में वृद्धि की है। इनमें से सात पत्रों ने अपनी कीमतें तीन बार, और 15 ने दो बार बढ़ाई है। अखबारी कागज के संकट के बाद अधिकांश समाचारपत्रों ने व्यापारिक विज्ञापनों की अपनी दरों में वृद्धि की है।

(ख) यह कहना ठीक नहीं है कि अखबारी कागज के व्यापार में खूब चोरबाजारी है। अखबारी कागज का कोटा निर्धारित प्रक्रिया तथा चार्टर्ड लेखाकार द्वारा विधिवत् जांचे गये खपत के विवरणों के आधार पर आबंटित किया जाता है। तथापि, अखबारी कागज की चोरबाजारी के बारे में तीन शिकायतें इस मंत्रालय को मिली थी जो मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात, इन्फोर्समैंट प्रभाग को उपयुक्त कार्रवाई के लिये भेज दी गई थी।

"औरंगजेब और हिज टाईम्स" नामक पुस्तक में अपमानजनक टिप्पणियां

1316 सरदार **स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा में 7 सितम्बर, 1974 को दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक, 1974 पर वाद-विवाद का उत्तर देते समय गृह मंत्रालय में उपमंत्री ने सदन को यह आश्वासन दिया था कि सरकार "औरंगजेब एण्ड हिज टाइम्स" पुस्तक, जिसमें तथाकथित रूप से श्री गुरुगोविन्द सिंह जी महाराज के विरूद्ध अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, की जांच करेंगी, और इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई करेंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रकाशक के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है तथा उक्त पुस्तक की प्रतियां जब्त कर ली गई हैं; और

(ग) क्या पुस्तक में आगामी प्रकाशनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसीन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार को 19 नवम्बर, 1974 को सूचित किया गया है कि पंजाब सरकार ने जिसने पुस्तक की जांच की है दंड प्रक्रिया की धारा 95 के अधीन उसको जब्त करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश को कानून की उक्त धारा के अधीन आगे कार्यवाही करने के लिए सभी राज्य सरकारों को भेजा जाएगा।

इलैक्ट्रोनिक्स आयोग के मुख्यालय का दिल्ली स्थानान्तरण

1317. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलैक्ट्रोनिकस आयोग के मुख्यालय को दिल्ली में लाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) इलेक्ट्रोनिक्स आयोग को बंबई से दिल्ली लाने के विषय में एक निर्णय हाल ही में किया गया है। 1971 में जब आयोग का मूल गठन हुआ, तब इसके मुख्यालय को बंबई में स्थित किया गया, परन्तु यह प्रबंध स्थायी हल के आशय से नहीं किया गया था और कार्य की रफ्तार में वृद्धि के अनुसार समय-समय पर इसका पुनर्विलोकन होना था। इलैक्ट्रानिक्स विभाग (जो दिल्ली में हैं) तथा इलैक्ट्रोनिक्स आयोग के बीच अन्योन्यक्रिया के आवश्यक हाल के महीनों में अधिक महसूस की गयी है। इसके अलावा, इलैक्ट्रोनिक्स आयोग के अध्यक्ष को रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के पद का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। फलतः यह वांछनीय समझा गया है कि आयोग का मुख्यालय दिल्ली लाया जाय जिससे इलैक्ट्रोनिक्स आयोग, इलैक्ट्रोनिक्स विभाग तथा अन्य संगठनों के बीच और अधिक समन्वय संभव हो सके। आयोग के एक संघटक एकक को जिसका संबंध सूचना, आयोजन एवं विश्लेषण से है, पहले ही दिल्ली लाया जा चुका है।

राज्य बिजली बोर्डों को ओर भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० को देय बकाया राशि

1318. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बिजली बोर्डों की ओर भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स की 82 करोड़ रुपये से अधिक राशि बकाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) जी, हां। 31-10-1974 को राज्य विद्युत बोर्डों की ओर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की 84.11 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। विद्युत बोर्डों द्वारा दी जाने वाली इन राशियों को वसूल करने और ऐसी पद्धति बनाने, जिसके द्वारा जैसे ही राशि देय होगी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० को राशि मिलेगी, इस प्रश्न पर संबंधित प्राधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर बातचीत की जा रही है।

ईदिक्की विद्युत परियोजना

1319. **श्री वयालार रवि** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईदिक्की विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार हो रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना को यथासंभव शीघ्र पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) इदिक्की विद्युत परियोजना के कार्य में मुख्यतया बारम्बार श्रमिक अशांति, हाल में आई बाढ़ों तथा वित्तीय कठिनाइयों के कारण देरी हुई है। बहरहाल, परियोजना पर निर्माण कार्य में तीव्रता लाकर इस देरी को प्रभावहीन करने तथा इसके प्रथम यूनिट को जून, 1975 में चालू करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के बारे में राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग का प्रतिवेदन

1320. **श्री वयालार रवि** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा की भावी आवश्यकताओं तथा ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के बारे में राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या हैं; और

(ग) आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग की नियुक्ति अभी नहीं हुई है। ईंधन नीति समिति ने अपनी रिपोर्ट 22-8-1974 को प्रस्तुत कर दी है।

(ख) ईंधन नीति समिति की खास-खास सिफारिशों की एक सूची अतारांकित प्रश्न संख्या 1334 के उत्तर में सभा पटल पर रखी गई है।

(ग) रिपोर्ट अभी भी सरकार के विचाराधीन है और कोई फैसला नहीं हुआ है।

केरल सर्किल में डाक और तार औषधालयों को खोलना

1321. **श्री वयालार रवि** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल सर्किल में डाक और तार औषधालय कुल कितने हैं और ये औषधालय किन-किन स्थानों में स्थित हैं; और

(ख) क्या इस सर्किल में कर्मचारियों के कल्याण के लिये और औषधालय खोलने संबंधी कोई योजना है और यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) केरल सर्किल में अभी तक कोई नियमित डाक-तार औषधालय नहीं खोला गया है ।

(ख) डाक-तार औषधालय इस समय सिर्फ उन जगहों के लिए मंजूर किए जाते हैं जहां यह उम्मीद की जाती है कि डाक-तार औषधालय खोलने पर चिकित्सा सुविधा देने पर आने वाले खर्च में बचत होगी। केरल सर्किल में डाक-तार औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि डाक-तार निदेशालय में उपलब्ध सूचना के मुताबिक केरल सर्किल के किसी भी स्थान पर उपर्युक्त मानदण्ड पूरा नहीं उतरता ।

मिजोरम में विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम लागू करने का प्रस्ताव

1322. **श्री धामनकर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम में कानून और व्यवस्था की लगातार बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार मिजो नेशनल फ्रन्ट तथा इसके उग्र विंग पर रोक लगाते हुए विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो मिजो नेशनल फ्रन्ट और इसके उग्र विंग के विधि विरूद्ध क्रियाकलापों को रोकने के लिए क्या कोई दूसरी कार्यवाही की गई है तथा करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सरकार ने सुरक्षा उपाय कड़े करने तथा भूमिगत विद्रोही गतिविधियों से सख्ती से निपटने के लिये जुलाई/अगस्त, 1974 में मिजोरम के उप-राज्यपाल तथा मुख्य मंत्री के साथ मिजोरम की स्थिति पर पुनर्विचार किया है। मिजो विद्रोहियों से निपटने के लिये विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम लागू करने की संभावना पर भी विचार किया गया है। मिजोरम के प्रशासक द्वारा सारे मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र को 1 सितम्बर, 1974 से छः महीने की अवधि के लिये असम दंगाग्रस्त क्षेत्र अधिनियम, 1955 के अधीन "दंगाग्रस्त क्षेत्र" घोषित किया गया है। आगे, सशस्त्र सेनाएं (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मिजोरम के प्रशासक ने 20 सितम्बर, 1974 के छः महीने की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सारे मिजोरम को "दंगाग्रस्त क्षेत्र" घोषित किया है ।

मिजोरम की स्थिति का पूरी तरह तथा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और इन क्षेत्रों में विद्रोही तत्वों से सख्ती से निपटने के लिये अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है।

भारतीय गणतंत्र के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में स्मारक डाक टिकट

1323. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग जनवरी, 1975 में भारतीय गणतंत्र के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में स्मारक डाक टिकट जारी करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका मूल्य क्या होगा तथा प्रस्तावित डाक टिकट का डिजाइन क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां। 26 जनवरी, 1975 को।

(ख) यह डाक टिकट 25 पैसे के मूल्य का जारी किया जाएगा। इसका डिजाइन तैयार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की उपलब्धियां

1324. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की गत वर्ष की उपलब्धियां क्या हैं तथा पूर्व के दो वर्षों की तुलना में यह कितनी न्यूनाधिक हैं;

(ख) चालू वष में इसकी क्या संभावनाएं हैं; और

(ग) क्या 1975 में मंदी की आशंकाएं हैं; और यदि हां, तो इस यूनिट में काम को बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की गत तीन वर्षों की कार्यकुशलता और कार्य परिणाम निम्न प्रकार हैं :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	उत्पादन	लाभ/हानि
1971-72	2861	(+)112
1972-73	3123	(+) 78
1973-74	3942	(+)196

(ख) कम्पनी को आशा है कि वर्ष 1974-75 में 6831 लाख रुपये का उत्पादन होगा जिससे 582 लाख रुपये के लाभ होने की संभावना है।

(ग) 1975 में संभावित मंदी के बारे में अनुमान लगाना इस अवस्था में समय पूर्व प्रतीत होता है।

स्कूटर और मोपेड की निर्माण-क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव

1325. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल को बचाने की अत्यधिक आवश्यकता और भारी मांग को देखते हुए स्कूटर और मोपेड की निर्माण की क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) तीन विद्यमान निर्माताओं को स्कूटरों का निर्माण करने के लिए प्रतिवर्ष 1,26,000 स्कूटरों तक अपनी क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, प्रतिवर्ष 4,25,000 की क्षमता में स्कूटरों का निर्माण करने के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगमों सहित अनेक नये उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्र जारी किए गए हैं।

सरकार प्रतिवर्ष 1,00,000 की क्षमता में स्कूटरों का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना भी स्थापित कर रही है। राज्य औद्योगिक विकास निगमों को प्रतिवर्ष 2,28,000 की कुल क्षमता में स्कूटरों का निर्माण करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्र दिए गए हैं। इनमें से छः ने उसी माडल और डिजाइन के स्कूटरों का निर्माण करने के लिए जैसे कि मै० स्कूटर्स इण्डिया लि० द्वारा बनाये जायेंगे, मै० स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के साथ लाइसेंसिंग प्रबन्ध किए हैं।

प्रतिवर्ष 67,500 मोपेडों की विद्यमान क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से सरकार ने प्रतिवर्ष 2,16,000 की कुल क्षमता से मोपेडों (आटो-साइकिलों सहित) का निर्माण करने के लिए अनेक नये उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंस/आश्यपत्र दिए हैं।

सरकार को विश्वास है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देशी उत्पादन से स्कूटरों और मोपेडों की संपूर्ण मांग पूरी हो जायेगी।

राज्यों में ग्रामीण बिजली के वितरण के लिए सहकारी समितियों का पंजीकरण

1326. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग चार वर्ष पूर्व देश के पांच विभिन्न राज्यों में वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का वितरण करने के लिए मार्गदर्शी आधार पर पांच ग्रामीण बिजली सहकारी समितियां पंजीकृत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इन सहकारी समितियों की स्थापना की गई हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन सहकारी समितियों में कुल कितनी पूंजी लगाई है तथा प्रत्येक ने कितनी-कितनी बिजली का वितरण किया है; और

(घ) क्या उनके कार्य का सामान्य मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी ऐसी सहकारी समितियों की स्थापना करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। 1969 में पांच ग्राम बिजली सहकारी समितियां पंजीकृत की गई थीं।

(ख) ये सहकारी समितियां आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थापित की गई हैं।

(ग) भारत सरकार ने इन सहकारी समितियों में प्रत्यक्ष रूप से कोई धनराशि नहीं लगाई है। बहरहाल, ग्राम विद्युतीकरण निगम ने, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, इन सहकारी समितियों को ऋण स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत ऋणों, वितरित धनराशि और सप्लाई की गई बिजली की मात्रा का ब्यौरा उपाबन्ध एक में दिया गया है **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8515/74]**

(घ) ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा फरवरी, 1972 में नियुक्त की गई ग्राम बिजली सहकारी समितियों संबंधी समिति ने इन सहकारी समितियों के कार्य की एक सामान्य जानकारी दी थी। उपर्युक्त समिति को सहायता देने के उद्देश्य से इन सहकारी समितियों के क्रियाकलापों के कुछ पहलुओं के अध्ययन संबंधी कार्य को ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के परियोजना जानकारी समन्वय और मूल्यांकन प्रभाग, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद और बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पूना को भी सौंपा गया था।

इन जानकारियों से पता चला है कि आमतौर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहकारी समितियों का कार्य-निष्पादन, यद्यपि परिकल्पित लक्ष्यों को देखते हुए यह अपर्याप्त था, संबंधित राज्य बिजली बोर्डों की तुलना में अच्छा था। सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति के बारे में समिति ने समुचित ऋण-नीति अनुपात अपनाने के बारे में तथा उनकी वित्तीय व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य विजली बोर्डों द्वारा थोक सप्लाई की व्यवहार्य दर निर्धारित करने के लिए विशिष्ट सिफारिशें की हैं।

संसाधनों की उपलब्धता तथा राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों की प्रतिक्रिया के आधार पर पांचवीं योजना के अन्त तक लगभग 20-25 नई सहकारी समितियों के स्थापित किए जाने की प्रत्याशा है।

उपभोक्ता उद्योगों के उत्पादन में कमी

1327. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974 के पहली छमाही के दौरान औद्योगिक उत्पादन में पहले के वर्षों की तुलना में केवल सीमान्त वृद्धि ही हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो वस्तुतः कितना सुधार हुआ और किन-किन उद्योगों में यह सुधार दृष्टव्य था ;

(ग) क्या लगभग 60 प्रतिशत उद्योगों में स्पष्ट ह्रास हुआ और उनमें से उपभोक्ता उद्योग सब से अधिक प्रभावित हुए; और

(घ) यदि हां, तो उपभोक्ता उद्योगों के उत्पादन में कुल कितनी कमी हुई और सप्लाई में कमी का मूल्यों पर कितना प्रभाव पड़ेगा और उपभोक्ता वस्तुओं की दीर्घावधि आधार पर पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारी उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) नागरिक पूर्ति संगठन के सरकारी सूचकांक में जनवरी से अप्रैल 1974 तक का औद्योगिक उत्पादन विवरण उपलब्ध है तथा इससे 1973 की इसी अवधि की तुलना में उत्पादन दर में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है।

निम्नलिखित औद्योगिक वर्गों और उप-वर्गों जिनका कुल योग 56.50 प्रतिशत है के उत्पादन सूचकांक में जनवरी से अप्रैल 1974 की अवधि में वृद्धि दर्ज की गई :

विद्युत जनित्रण
खान और उत्खनन
पेय पदार्थ और तम्बाकू
सूती कपड़े का उत्पादन
लकड़ी और कार्क उत्पादन
कागज और कागज से बनी वस्तुएं
चमड़ा और फर उत्पाद, रबड़ उत्पादन,
पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पाद
अधात्वीय खनिज
गैर विद्युतीय मशीनों का निर्माण
विद्युत मशीनें
विविध उद्योग

निम्नलिखित औद्योगिक वर्गों और उप-वर्गों में जिनका कुल योग 41.19 प्रतिशत है के उत्पादन सूचकांक में इसी अवधि में गिरावट आई :

खाद्य उत्पादन
जूट का वस्त्र उत्पादन
जूतों का उत्पादन
रसायनों का उत्पादन
मूल धात्वीय उद्योग
धात्वीय उत्पादों का उत्पादन
परिवहन उपकरण

उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों के जनवरी-अगस्त 1974 की अवधि के उत्पादन के एक विश्लेषण से स्पष्ट है कि चीनी, चाय, शुष्क-बैटरियों, दियासलाई, बाइसाइकिल के टायर और ट्यूबों, मोटर साइकिल और स्कूटर के टायर और ट्यूबों, सिन्थेटिक डिटरजेन्टों, फ्ल्यूरेसेन्ट ट्यूबों, बिजली के पंखों, रेडियों और सिगेरटों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। ये उद्योग जिनके उत्पादन में वृद्धि हुई है का औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक के कुल योग 25 प्रतिशत है।

दूसरी ओर जनवरी-अगस्त 1974 की इसी अवधि में आटा पीसने वाली मिलों, वनस्पति, साबुन, नमक, जूतों, शिशुदुग्ध आहार, इन्कैंडेसेन्ट लैम्पों और टूथपेस्टों का उत्पादन करने वाले उद्योगों के उत्पादन में गिरावट आई है। इन उद्योगों का जिनके उत्पादन में गिरावट आई है औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में उत्पादन .14 प्रतिशत के करीब है।

अधिकतम उत्पादन करने तथा विद्यमान औद्योगिक क्षमता के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने संबंधी कार्यक्रम के रूप में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के पर्याप्त क्षेत्र के उत्पादन में तेजी लाने का विचार है।

तस्करों की गिरफ्तारी का फिल्म उद्योग पर प्रभाव

1328 **श्री डी० बी० चन्नगौडा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चोटी के तस्करों की गिरफ्तारी के कारण फिल्मों की शूटिंग पचास प्रतिशत तक रुक गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन तस्करों के नाम क्या हैं जो फिल्म उद्योग में धन लगा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) भारत में फिल्मों का निर्माण गैर-सरकारी क्षेत्र में है और सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि फिल्मों की शूटिंग 50 प्रतिशत कम हो गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Ban on the use of paper for sub-standard books and posters

1329. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether India has been facing acute shortage of paper for sometime back ; and

(b) if so, the reasons for which Government is not imposing a ban on the use of paper for sub-standard books and useless posters ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : (a) There has been a shortage of certain varieties of paper for some time.

(b) With a view to curbing the non-essential uses of paper, Government have already issued the Paper (Conservation and Regulation of Use) Order 1974, under the Essential Commodities Act. This Order places certain restrictions on the use of paper for the manufacture of calendars, diaries, posters and greeting/invitation cards.

Indian Films Awarded International Awards

1330. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the number of Indian films which got international awards during the last one year and the language-wise titles and number thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : A Statement is attached. **[Placed in Library. See No. L. T. 8516/74].**

Assistance to Family of Netaji Subhas Chandra Bose

1331. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state.

(a) whether any assistance has been given to the family of Netaji Subhas Chandra Bose on behalf of the Government of India ; and

(b) if so, the facts thereof and the present whereabout of each member of the family of Netaji ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the table of the House as soon as possible.

Circulation of Newspapers in the Country

1332. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the present number of newspapers being brought out in the entire country, language-wise as also the number of dailies, weeklies, fortnightlies, monthlies and quarterlies among them ; and

(b) the number of newspapers which got themselves registered with the Registrar of Newspapers during the last one year and the particulars thereof, language-wise ?

The **Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha)** ; (a) The total number of newspapers published in the country during 1973 was 12,653. A statement (Appendix I) giving the number of dailies, weeklies, forthnightlies, etc. in each language is attached. **[Placed in Library. See No. L.T. 8517/74]**

(b) During 1973, 1,409 newspapers were registered. A statement (Appendix II) showing the language-wise break-up of these papers is attached. **[Placed in library. See No. L.T. 8517/74]**

ईंधन नीति समिति का प्रतिवेदन

1334. **श्री बसन्त साठे :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री डी० वी० चन्द्रगौडा :

श्री डी० पी० जदेजा :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन नीति समिति ने सरकार को अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने सामान्य रूप से तथा विशेषकर राजसहायता देने के बारे में क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और प्रतिवेदन पर विचार किस स्थिति में है तथा प्रतिवेदन की जांच करने में कितना समय लगेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) महत्वपूर्ण सिफारिशों की एक सूची संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8518/74]

(ग) संबन्धित विभागों/संगठनों के साथ परामर्श से रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

सितम्बर 1974 में दिल्ली में विद्युत संकट

1335. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1974 के दौरान दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को बिजली दिये जाने के कारण दिल्ली विद्युत संकट से बुरी तरह प्रभावित हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के औद्योगिक उत्पादन पर इसका कितना प्रभाव पड़ा।

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों को सहायता देने के लिए दिल्ली में 17 सितम्बर, 1974 तक 10 प्रतिशत कटौती लागू की गई थी और 18 सितम्बर, 1974 को इसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया था ताकि मानसून के अभाव के कारण खरीफ की फसलों को बचाने के लिए इन राज्यों को अतिरिक्त बिजली सप्लाई की जा सके ।

(ख) बिजली की इन कटौतियों के कारण औद्योगिक उत्पादन में हुई सही हानि का मूल्यांकन करना संभव नहीं है ।

उत्तरी भारत के उद्योगों की कोयला संबंधी आवश्यकताओं के बारे में कार्यकारी दल की सिफारिशें

1336 **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी भारत के उद्योगों की कोयला संबन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयला भंडार बनाने तथा इसके प्रबन्ध के बारे में कार्यकारी दल की सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) उत्तर भारत में उद्योगों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयला टालों की स्थापना तथा उनके प्रबन्ध के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यकारी दल गठित नहीं किया गया है । कोयला टालों संबन्धी योजना कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है । हाल ही में कुछ चुने हुए स्थानों, जैसे---वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर तथा लखनऊ में कोयला टालें खोली गई है, सड़क द्वारा कोयला पहुंचाया जाता है । ये टालें उन लघु उद्योगों, ईंट भट्टों तथा घरेलू उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी जिन्हें माल डिब्बों के आवंटन में कम प्राथमिकता मिलती है ।

छापे मारे जाने के दौरान पाये गये लेखाबाह्य गेहूं के लिए मोदी मिल्स के विरुद्ध आरोप

1337. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** :
श्री एम० कल्यामुतु :

क्या गृह मंत्री 7 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1714 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखाबद्ध 4,133 बोरी गेहूं के बारे में मोदी मिल्स के डायरेक्टर तथा अन्य दो व्यक्तियों के विरुद्ध इस बीच आरोप लगा दिये गये हैं ;

(ख) आरोप किस धारा तथा किस अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये हैं ; और

(ग) मुकदमें को शीघ्रता से निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उच्च न्यायालय ने विलम्ब पर ध्यान दिया है जो मुकदमें को शीघ्र निपटाने के लिए यथोचित कार्यवाही कर रहा है ।

दिल्ली में तदर्थ आधार पर काम कर रहे डाक-तार कर्मचारी

1338. **श्री विजयपाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सर्किल में 5,000 से अधिक डाक-तार कर्मचारी गत वर्ष के प्रारम्भ से अस्थायी अथवा तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके पदों के नियमित बनाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें कितना समय लगेगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) से (ग) दिल्ली टेलीफोन जिले में काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 31-3-74 को 4,000 से कम थी। वे पहले से ही नियमित कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं । इन कर्मचारियों को नियमित करने या खपाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

1339. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में सितम्बर और अक्तूबर, 1974 के दौरान पुलिस ने अनेक बार गोलियां चलाई थीं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी बार गोली चलाई गई और उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मरे तथा घायल हुये , और

(ग) क्या राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद उस राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरी है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सरकार को सितम्बर तथा अक्टूबर, 1974 के महीनों के दौरान गुजरात में पुलिस द्वारा गोली चलाने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । राज्य प्रशासन से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ग) राष्ट्रपति शासन लागू करने के पश्चात् राज्य में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति में पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है और अब पूरी तरह नियंत्रण में हैं।

गैर-वाणिज्यिक ईंधनों से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग

1340. **डा० के० एल० राव** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रयोग की जा रही ऊर्जा तथा गैर-वाणिज्यिक ईंधनों से प्राप्त ऊर्जा का सही अनुमान लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) उक्त आंकड़े कब तक एकत्र कर लिए जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा स्थापित ईंधन नीति समिति ने गैर-वाणिज्यिक ईंधनों से प्राप्त ऊर्जा का मूल्यांकन किया है । समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिन पर सरकार विचार कर रही है ।

परमाणु बिजलीघर से कम मात्रा में बिजली की सप्लाई

1341. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में परमाणु बिजलीघरों से कम मात्रा में बिजली की सप्लाई किए जाने के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार परमाणु बिजलीघरों पर नियंत्रण करती है और ट्रांसमिशन लाइनों पर राज्य बिजली बोर्ड नियंत्रण रखता है जिससे पड़ोसी राज्यों को बिजली के वितरण में बाधा पहुंचती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) न्यूक्लीय केन्द्रों से बिजली का उत्पादन काफी संतोषजनक रहा है । तारापुर में 220 कि० वा० पारेषण लाइनों तथा 220 कि० वो० स्विचयार्ड पर समुद्री प्रदुषण के कारण कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई थीं। स्विचयार्ड परमाणु विद्युत प्राधिकरण द्वारा पहले ही अपने अधिकार में ले लिया गया है । समुद्री प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए हाट लाइन वाशिंग आदि जैसे उपायों को अपनाया जा रहा है । पिछले वर्ष के दौरान इस कारण से कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जमाखोरों के लिए गिरफ्तारियां

1342. **श्री डी० के० पण्डा** :
श्री समर गुहा :
श्री मोहम्मद शरीफ :
श्री शशि भूषण :
श्री मूल चन्द डागा :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल के जमाखोरी विरोधी अभियान के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ;

(ख) उनसे बरामद हुए माल का क्या ब्यौरा है ;

(ग) कितने लोगों को जेल की सजा हुई और जुर्माना किया गया और हिरासत में रखा गया ; और

(घ) क्या कुछ समाचारपत्रों ने राजनीतिज्ञों और प्रशासकीय कर्मचारियों पर जमाखोरों के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाया है और यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गत तीन महीनों के दौरान राज्यों में बिजली की कमी

1343. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन्** :
श्री के० लकप्पा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान देश में बिजली की भारी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य बिजली की कमी से बहुत प्रभावित हुए हैं ;

(ग) उसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) कमी वाले राज्यों को बिजली देने के लिए फालतू बिजली वाले राज्यों ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पिछले तीन महीनों के दौरान विद्युत की कमी जारी रही है । ये हैं:—उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तथा दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अक्तूबर, 1974 से महाराष्ट्र और उड़ीसा भी विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं । तमिलनाडु को अगस्त, 1974 तक विद्युत की कमी का सामना करना पड़ा। दामोदर घाटी निगम भी सितम्बर, 1974 तक विद्युत की कमी का सामना करता रहा था परन्तु वहां तब से लेकर स्थिति संतोषजनक रही है ।

(ग) देश में विद्युत की कमी का मुख्य कारण लोड की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता की वृद्धियों में कमी होना है । देश के विभिन्न भागों में मानसून के अभाव के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई है ।

(घ) जहां कहीं संभव होता है, अतिरिक्त विद्युत वाले क्षेत्रों से कमी वाले राज्यों को ऊर्जा उपलब्ध की जा रही है । उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, दिल्ली के बदरपुर केन्द्र और बिहार/दामोदर घाटी निगम की प्रणालियों से सहायता ले रहा है । इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा भी बदरपुर केन्द्र से सहायता ले रहे हैं । पंजाब हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से भी सहायता ले रहा है । पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश विद्युत की उपलभ्यता के अनुसार महाराष्ट्र प्रणाली को सहायता दे रहा है । दक्षिणी क्षेत्र में केरल तमिलनाडु को राहत देता है और आंध्र प्रदेश उड़ीसा से, जब भी उस राज्य के पास अतिरिक्त विद्युत होती है, राहत प्राप्त करता रहा है । पूर्वी क्षेत्र में दामोदर घाटी निगम पश्चिम बंगाल/कलकत्ता क्षेत्र को सहायता देता रहा है । इस समय यह रुरकेला इस्पात संयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी उड़ीसा को सहायता दे रहा है ।

भारतीय सीमाओं को पार करते हुये बंगलादेश से अनधिकृत रूप से आने वाले व्यक्तियों में पाकिस्तानी जासूसों का पाया जाना

1344. **श्री वरके जार्ज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमाओं को पार करते हुये बंगलादेश से अनधिकृत रूप से आने वाले व्यक्तियों में कोई पाकिस्तानी जासूस भी पकड़े गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

उड़ीसा के टायर उद्योग पर यार्न की कमी का प्रभाव

1345. **श्री अनादि चरण दास :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल की यार्न की कमी से उड़ीसा के टायर उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य में मोटरगाड़ी के टायरों और ट्यूबों का उत्पादन करने वाला कोई एकक नहीं है ।

Use of English Language in Supreme Court and High Courts

1346. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether English continues to be the language of various High Courts and Supreme Court even after twenty-seven years of our Independence ;

(b) if so, whether Government propose to set a deadline for swtiching over to Hindi or the regional languages in the said Courts ; and

(c) if so, the facts thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta) : (a) Under Article 348(2) of the Constitution and Section 7 of the Official Languages Act, 1963, the Governor of a State may, with the previous consent of the Preseident, authorise the use of Hindi or the official language of the State, in addition to the English language, in proceedings in the High Court or for the purpose of any judgment, decree or order passed or made by the High Court for that State. The initiative for the use of Hindi or the regional languages in the High Courts has, therefore, to come from the State Governments themselves under the aforesaid provisions of the Constitution and the Official Languages Act, 1963. The Central Government comes in the picture only when the question of obtaining the previous consent of the President under the said provisions of the Constitution and the Official Languages Act arises.

The President has already accorded consent to the optional use of Hindi in the proceedings and judgments etc. of the High Courts of Allahabad, Patna, Rajasthan and Madhya Pradesh. However, where any judgment, decree or order is passed or made in Hindi, it shall be accompanied by a translation of the same in the English language issued under the authority of the concerned High Court.

Under Sub-clause (a) of Clause (1) of Article 348 of the Constitution, unless Parliament by law otherwise provides, all proceedings in the Supreme Court shall be in the English language.

(b) and (c) Under Section 4 of the Official Languages Act, 1963, a Committee of Parliament on Official Language is to be constituted after 26th January, 1975. The Committee will review the progress made in the use of Hindi for the Official purposes of the Union and submit a report to the President making recommendations thereon and the President shall cause the report to be laid before each House of Parliament, and sent to all the State Governments.

गोआ के टायर उद्योग पर यार्न की कमी का प्रभाव

1347. **श्री अनादि चरण दास** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल की यार्न की कमी का गोआ के टायर उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कैप्रोलेक्टम और लकड़ी की लुग्दी मिलने की कठिन स्थिति के कारण रेयन (नायलोन रेशों की स्वदेशी उपलब्धि में गिरावट हुई है जिसके परिणामस्वरूप देश में इन उद्योगों के लिए धागे की मामूली कमी है । किन्तु गोआ में मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब बनाने वाले एककों से धागे की कमी के बारे में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) नियोन और रेयन के धागों का आयात करने के लिए टायर एककों को प्रतिबन्धित आधार पर स्वीकृति दे दी गई है ।

कोयले को गैस और तेल में बदलने संबंधी योजना

1346. **श्री बोरेन एंगलो :**
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले को गैस और तेल में बदलने की कोई योजना है ;

(ख) क्या कोयले की कीमतों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण उक्त योजना अलाभकारी हो गई है ; और

(ग) क्या इसे ध्यान में रखते हुए इस योजना को अब छोड़ा जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) कोयले पर आधारित कृत्रिम पेट्रोलियम संयंत्र की स्थापना का एक प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त हुआ है । सरकार ने कोयले से तेल बनाने सबन्धी प्रौद्योगिकी पर विचार करने के लिए हाल ही में एक विशेषज्ञ दल गठित किया है ।

कोयले के स्टाकयार्डों का स्थापित किया जाना

1350. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वितरण को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से कोयले के स्टाकयार्ड स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके स्थान, स्टाक की मात्रा और प्रशासन के लागत-व्यय संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस व्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं में प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई है और यदि हां, तो उनकी क्या आपत्तियां हैं और उनके बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) छोटे उद्योगों, ईंट भट्ठों तथा घरेलू उपयोग के लिए कोयला भेजने के लिए रेल परिवहन की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण देश के कुछ चुने हुए स्थानों में कोयला टालों के खोलने की योजना शुरू की गयी है । कोयला खान प्राधिकरण ने अब तक कलकत्ता (हावड़ा) वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ में ऐसी टालें खोली हैं। कानपुर, मेरठ और आगरा में भी टालें खोलने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं । रेल परिवहन में सुधार होने पर कुछ अन्य स्थानों पर और भी टालें खोली जाएंगी ।

कलकत्ता की टाल कोयला खान प्राधिकरण द्वारा स्वयं चलाई जा रही है, उत्तर प्रदेश की टालें यू० पी० राज्य सहकारी संघ द्वारा चलाई जा रही हैं जो प्राधिकरण के एजेंट के रूप में कार्य करता है । इन टालों से दिए जाने वाले कोयले का मूल्य राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है और कोयले का वितरण भी उनकी सिफारिशों के आधार पर किया जाता है । इन टालों के प्रशासनिक खर्च तथा स्टाक में कोयले की मात्रा के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही पेश कर दी जाएगी ।

(ग) चूंकि पर्याप्त रेल सुविधा के अभाव में उत्तर प्रदेश की टालों को सड़क द्वारा कोयला पहुंचाया जाता है, अतः इन टालों पर कोयले के मूल्य को कुछ उपभोक्ताओं द्वारा अधिक बताया गया है । इन टालों को रेल द्वारा कोयला पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

Price of Coal

1351. **Shri B.S. Chowhan :**
Shri Chandulal Chandrakar :

Will the Minister of Energy be pleased to State : the prices of various types of coal at the time of nationalisation *vis-a-vis* the prices in September this year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Shri Siddheshwar Prasad) : The prices of coking coal before the nationalisation of the coking coal mines on 1st May 1972 ranged from Rs. 30.23 per tonne to Rs. 45 per tonne for different grades. The prices for non-coking coal prior to the nationalisation of the non-coking coal mines on 1-5-73 ranged between Rs. 31.45 and 48.00 per tonne for different grades and sizes. The prices as prevailing in September 1974 are given in the annexed statement. [Placed in Library. *See* No. L.T. 8519/74]

पश्चिम क्षेत्र परमाणु बिजली परियोजनाओं के लिए स्थल चयन समिति का प्रतिवेदन

1352. **श्री वसंत साठे** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम क्षेत्र में भावी परमाणु बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए केंन्द्रीय स्थल चयन समिति ने महाराष्ट्र, गोआ और गुजरात क्षेत्रों का अपना दौरा पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने इन क्षेत्रों में किन-किन स्थानों का निरीक्षण अध्ययन किया है ; और

(ग) क्या समिति ने अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ एसे स्थलों के अलावा जहां केवल प्रारम्भिक जांच की गई थी, इस समिति ने गुजरात (सौराष्ट्र सहित) के तीन स्थलों, नामतः महुआ, बालना एवं काकड़ापार तथा महाराष्ट्र के दो स्थलों नामतः तारापुर के विस्तार एवं भीमा और गोआ के एक स्थल-लोलाइम के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है ।

(ग) गोवा को छोड़कर शेष पश्चिमी क्षेत्र के बारे में समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जहां तक गोवा का संबन्ध है, समिति अलग से एक प्रतिवेदन तैयार कर रही है । यह समिति, जो कि सरकार को निर्णय लेने में सहायता करने के लिए एक आन्तरिक निकाय के रूप में स्थापित की गई है, जिन प्रमुख निष्कर्षों पर पहुंची है उन पर विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के सिंगरोली कोयला क्षेत्रों में कोयला वैगनों का लदान

1353. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास नियम के सिंगरौली कोयला क्षेत्रों में कोयला वैगनों का लदान ठेके के आधार पर किया जाता है ;

(ख) क्या इस प्रक्रिया से उन ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों का अत्यधिक शोषण किया जाता है, जो भारी मुनाफा कमाते हैं ;

(ग) क्या इस प्रक्रिया से लदान करने वाले श्रमिक महीने में 20 दिन बेरोजगार रहते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सिंगरौली कोयला क्षेत्र में कुछ कोयले का लदान ठेके के आधार पर किया जा रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी नहीं। लदान मजदूर केवल उन दिनों में ही खाली रहते हैं जिन दिनों में रेलवे से वैगन प्राप्त नहीं होते ।

(घ) ठेका प्रणाली को क्रमशः समाप्त करने का प्रस्ताव है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को गोरबी कोयला खानों के सुरक्षा गार्डों को समयोपरि भत्ता

1354. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समयोपरि भत्ते के भुगतान के बारे में सिंगरौली स्थित राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की गोरबी कोयला खानो के सुरक्षागार्डो के अभ्यावेदन पर सरकार ने कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निणय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को गोरबी परियोजना में सुरक्षा गार्डों को समयोपरि भत्ता दिया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेणुकुट स्थित बिड़ला फर्म को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोयले की सप्लाई

1356. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेणुकूट स्थित बिड़ला फर्म को, जहां मोटरिंग व्यवस्था खराब थी, सिंगरौली स्थित राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयला क्षेत्रों से भारी मात्रा में कोयले की सप्लाई की गई थी ;

(ख) सप्लाई किए गए कोयले की मात्रा को किस प्रकार आंका गया था ; और

(ग) मोटरिंग व्यवस्था के खराब हो जाने के ऐसे मामले में सरकार को घाटा होने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) सिंगरौली कोयला क्षेत्र से हवाई रज्जू मार्ग द्वारा रेणुसागर स्थित बिड़ला के रेणुसागर बिजलीघर को कोयला पहुचाया जाता है और रेणुसागर पर लगी वेस्ट ढुलाई मशीन द्वारा उसकी ढुलाई की जाती है । रेणुसागर की मशीन के खराब होने पर दिए गए कोयले की मात्रा का निर्धारण भरे हुए कोयला झाबों की कुल संख्या के आधार पर किया जाता है। कोयले की सही मात्रा को ठीक-ठीक जानकारी रखने के लिए लदान केन्द्र पर भी एक तोल मशीन लगाई जा रही है ।

Industry in North Bihar

1356. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Ministry of **Industry and Civil Supplies** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9564 on the 8th May, 1974 regarding Development of North Bihar and state :

(a) whether the Central Government have since made any effort to set up any industry in North Bihar; and

(b) whether Government propose to set up suitable industry in each district of North Bihar ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya): (a) and (b) The following measures have been taken by the Central Government to encourage setting up of industries in North Bihar :

Five districts viz. ; Champaran, Darbhanga, Muzzafarpur, Purnea fand Saharsa have been identified as industrially backward for purposes of eligibility of industrial projects located there for concessionary finance from National Financial Institutions and relief from income tax.

Three districts, namely, Champaran, Darbhanga and Saharasa have been selected as backward districts to qualify for grant of out right Central Subsidy on fixed investment and special import facilities to small scale industries in the year 1974-75. Subsidy amounting to Rs. 10,67,257 is sanctioned and disbursed in these backward districts.

The small Industries Service Institute, Patna along with the extension centre at Muzaffarpur provide comprehensive consultancy and other extention services for promoting development of small scale industries. These services include industrial potentiallity surveys, intensive campaigns, seminars, recommending units for purchase of machines from NSIC, assisting in procurement of financial assistance from Banks etc.

Techno-economic surveys of districts Monghyr, Saharsa, Saran, Darbhanga, Muzaffarpur, Champaran and Purnea have been conducted by SISI, Patna, Besides, the Lead Banks are known to have published survey reports for all the districts.

An intensive industrial development compaign has been aorganised in Saharsa by SISI, Patna.

Under the Centrally sponsored RIP programme, 100% Central assistance is provided to the State Government. Or the 5 projects allotted to Bihar in the first series, one project in Darbhanga is located in North Bihar. Upto March 1973, 745 industrial units generating employment aopportunities for 2,302 persons have been assisted in Darbhanga project. Of the five new projects taken up for the Fifth Plan, three projects, namely, Purnea Champaran and Muzaffarpur are in North Bihar.

As regards measures to be taken during the Fifth Plan, it is proposed to establish a new Branch Institute in North Bihar. It is also proposed to set up a Central Backward Area Industrial Development Corporation primarily for developing infra-structure facilities in backward areas. Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. is also known to be setting up a basic drug project at Bettiah in West Champaran district.

Salient features of the measures proposed to be taken by the State Government for industrialising North Bihar are :

(A) Large and Medium industries

In the public sector, the following projects are proposed to be set up by Bihar State Industrial Development Corporation in North Bihar :

Textile Mills at Siwan and Madhubhani.

Graphite Electrode Project at Samastipur.

Jute Mills at Kishanganj and Forbesganj.

Jute Twine Factory at Saharsa.

Paper Plant based on jute sticks at Saharsa.

In addition, Bihar State Co-operative Marketing Union is also proposing to set up a Jute Mill in the Cooperative Sector at Banmankhi in Purnea. There is also a proposal to set up a new sugar mill in the Co-operative Sector at Dhabad (Champaran).

(B) Small Scale Sector

With a view to developing small scale ancillary and auxiliary industries, it is proposed to set up an Industrial Area Development Authority for North Bihar during the Fifth Plan. The authority will be entrusted with specific responsibility for development of infra-structure and establishment of industries.

Industrial Estates :

Industrial Estates are already in existence at Darbhanga, Muzaffarpur, Purnea, Murliganj and Ramnagar. These will be developed further and in addition, new industrial estates will be set up at Darbhanga, Saharsa, Barauni, Hajipur, Muzaffarpur, Bettiah, Kishanganj, Samastipur, Motihari, Katihar, Rexaul, Siwan and Marhowrah. Two new Corporations set up by the State Government namely "Bihar State Leather Industries Development Corporation" and "Bihar State handloom, Powerloom and Handicrafts Development Corporation" will play an important role in development of this sector.

The State Government have also initiated discussions with important Cigarette and Tabacco manufacturing companies for revival of the industry in North Bihar. Dalsingsarai can be a possible location for a factory.

Fall in prices of Essential Consumer Goods

1357. **Shri Chandu Lal Chandrakar :**
Shri N.K. Sanghi :
Shri Narain Chand Parashar :
Shri C.K. Jaffer Shariff :
Shri G.Y. Krishnan :

Will the Minister of **Industry & Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether the prices of certain essential consumer goods have gone down as a result of rounding up of smugglers and hoarders in the recent past ;

(b) if so, the particulars of the commodities ; and

(c) whether the prices are likely to be stabilished and the Factors influencing this phenomenon ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.C. George) (a) to (c) A statement showing the Index Number of Wholesale Prices of certain essential consumer goods, which have shown a declining trend, during the period from 28-9-1974 to 12-10-1974 is attached. Although it is too early to forecast the likely trend in the movement of prices, Government have taken a number of anti-inflationary measures already and are keeping a constant watch over the price situation.

Statement

(Base : 1961-62 = 100)

Commodity	Wholesale Price Index for the week : 28-9-1974	12-10-1974
Rice	406.7	403.3
Jowar	433.0	419.2
Bajra	399.1	397.1
Maize	504.5	446.9
Barley	474.6	457.4
Gram	629.6	617.5
Mung	415.1	411.2
Urad	338.8	325.2
Potatoes	247.2	242.0
Groundnut oil	399.6	399.3
Gingelly oil	340.7	362.9
Coconut oil	465.4	464.1
Sugar	264.0	261.4
Gur	499.8	487.6
Khandsari	536.8	501.7
Salt	188.0	180.4
Cloth (Mills)	253.5	252.8

Availability of Essential Commodities at Cheaper Rates

1358. **Shri Jagannath Rao Joshi :**

Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the fiscal measures being taken to make essential commodities available to common people on cheaper rates; and

(b) whether the States would be given financial assistance similar to that being given to Jammu & Kashmir to enable them to supply these commodities to poor people of backward areas at cheaper rates and if not, the reasons for this kind of discrimination ?

The Minister of State in the Ministry of Industry & Civil Supplies (Shri A. C. George) (a) No fresh fiscal measures are under consideration at present.

(b) The information is being collected & will be laid on the table of the House.

Economy in Expenditure Incurred on Union Ministers

1359. **Shri Jagannathrao Joshi :**

Shri R. V. Bade :

Shri Atal Bihari Bajpayee :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) what impact the special economy drive launched in August, 1973 had on each item of expenditure incurred on the Prime Minister and each Central Minister;

(b) the extent to which this expenditure is proposed to be brought down during the next year in view of the present crisis; and

(c) the extent to which expenditure has increased on each occasion following Cabinet reshuffles since 1971 Lok Sabha Elections to date and the increase in expenditure estimated for one year following the last reshuffle ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Hosue.

महाराष्ट्र राज्य कपड़ा निगम द्वारा बीमार कपड़ा मिलों को नियंत्रण में लेना

1360. **श्री मधु दण्डवते :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है कि 21 सितम्बर, के अध्यादेश के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बीमार कपड़ा मिलों के प्रबन्ध को महाराष्ट्र राज्य कपड़ा निगम को सौंप दिया जाय ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव पर अन्तिम रूप से विचार किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि समूचे देश में समान ढांचे पर कुशलतापूर्वक एवं समन्वित प्रबन्ध करने तथा वृहत् राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए संकटग्रस्त कपड़ा उपक्रमों का प्रबन्ध नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड के सहायक कारपोरेशनों को सौंप दिया जायेगा। राज्य सरकारों को 49 प्रतिशत इक्विटी पूंजी देकर नियन्त्रित कारपोरेशनों को चलाये जाने में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया हैं इनमें सहायक निगमों में प्रमुख कार्यकारी की नियुक्ति करने के सबन्ध में भी परामर्श लिया जायेगा।

अवैध वायदा व्यापार

1361. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में अवैध वायदा व्यापार (फार्वर्ड ट्रेड) को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : अवैध वायदा व्यापार (फार्वड ट्रेड) को रोकने के लिये हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं । जहां वायदा व्यापार कानूनी तौर पर अनुमत नहीं है, लेकिन ऐसे व्यापार के दृष्टांत सरकार की जानकारी में आते हैं, वहां अग्रिम सौदा (विनियम) अधिनियम 1952 के उपबन्धों के अधीन अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए कार्यवाही की जाती है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम को हानि

1362. **श्री के० मालन्ना :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत कार्य कर रही 96 मिलों में से 14 कपड़ा मिलें निरन्तर हानि में चल रही हैं यद्यपि सरकार ने इनका प्रबन्ध अपने अधिकार में ले लिया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की संशोधित नीति क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लि० की 1973-74 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वर्ष उत्पादन कर रही 96 मिलों में से 14 मिलों में कुल मिला कर घाटा हुआ था।

(ख) इन मिलों में लाभ की दृष्टि से सुधार करने हेतु आधुनिकीकरण के कार्यक्रम बनाये जा रहें हैं । कुछ मामलों में ऐसे कार्यक्रमों के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है ।

जमाखोरों और मुनाफाखोरों पर छापे

1363. **श्री के० मालन्ना : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में सरकार ने अनाज तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिये राज्यवार और नगरवार कितने छापे मारे, और

(ख) उक्त छापों के परिणामस्वरूप कितनी धनराशि, जेवरात तथा कितनी मात्रा में अत्यावश्यक वस्तुएं पकड़ी गई और कितने लाइसेंस निलम्बित अथवा रद्द किये गये ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन की गई कार्यवाही के बारे में राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

छोटे व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा उचित मूल्यों पर सामान की बिक्री

1364. श्री एस० सी० सामन्त :
श्री नारकेश्वर पांडे :
श्री छत्रपति अम्बेश :

क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने की कोई योजना है कि छोटे व्यापारी और खुदरा विक्रेता विभिन्न वस्तुओं को उचित मूल्य पर बेचे और केवल सीमान्त लाभ कमायें तथा वे उपभोक्ताओं से अत्याधिक कीमत वसूल न करें;

(ख) क्या अत्यधिक कीमत वाले व्यापारियों के विरूद्ध कोई कठोर कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) इस बुराई के कारण अब तक कितने व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) नियंत्रित मूल्य और बाजार मूल्य के अन्तर को कम करने के लिए उनके मंत्रालय की क्या योजनाएं हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। तथा प आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन सरकार मूल्य को नियंत्रित करने के आदेश जारी कर सकती है, जिस पर कोई भी आवश्यक वस्तु खरीदी अथवा बेची जाये।

(ख) और (ग) इस प्रकार के आदेश का कोई अतिलंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अपराध करने की कोटि में आएगा और परिणामस्वरूप उसके लिये उस अधिनियम के दण्ड उपबन्ध लागू होंगे। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को समय-समय पर यह सलाह दी है कि विभिन्न नियंत्रण आदेशों को कठोरता से लागू किया जाए। मुनाफाखोरों और काला-बाजारी करने वालों की समाज-विरोधी गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से इस अधिनियम में हाल में संशोधन किये गये हैं और इसके दण्ड उपबन्धों को और अधिक कठोर बनाया गया है। यह सूचना कि कितने व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है, तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(घ) जिन मामलों में 'दोहरे भाव' चल रहे हैं उनमें नियंत्रित मूल्य और बाजार मूल्य के बीच के अन्तर को मिटाने की ऐसी कोई योजना नहीं है और इसका हल उत्पादन को बढ़ाना है।

Monthly income of peo e l v .g below poverty line in 1973-74

1365. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the minimum monthly income of people living below poverty line during 1973-74; and

(b) the number of such persons during that year ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) It is possible to estimate the proportion of persons living below the poverty line with the help of National Sample Survey data on Consumer expenditure. But, these results are available only upto the year 1970-71 and similar information for the year 1973-74 is not yet available.

उत्तर प्रदेश में कालागढ़ बांध से बिजली

1367. श्री एस० एन० मिश्र : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कालागढ़ बांध का निर्माण पूरा हो जाने के बाद उस बांध से कितनी बिजली उपलब्ध होगी; और

(ख) बिजली-घर कब तक चालू हो जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कालागढ़ बांध परियोजना (रामगंगा परियोजना) की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 180 मैगावाट है (जिसमें 60-60 मैगावाट के तीन यूनिट शामिल हैं) और उसकी वार्षिक ऊर्जा शक्यता 404 मिलियन यूनिट है।

(ख) निर्माण की वर्तमान अनुसूची के अनुसार 60 मैगावाट का पहला उत्पादन यूनिट मार्च, 1975 के आसपास और दूसरे दो यूनिटों के 1976 में चालू होने की संभावना है।

Welfare Schemes for Adivasis in Madhya Pradesh

1368. Shri R. V. Bade : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the funds spent on the welfare schemes for Adivasis in Madhya Pradesh durin the last three years; and

(b) the amount of the above funds that represents the administrative expenses ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) (a) The anticipated expenditure under the Backward Classes Sector for the welfare of Schedule Tribes during the last three years is Rs. 479.03 lakhs under Central Sector and Rs. 861.6 lakhs under State Sector.

(b) The funds given by the Government of India to the State Governments are of supplemental nature. The schemes are implemented by the usual machinery of the State Governments. However, there is a provision for Vehicle, Project Office and Personnel under the Tribal Development Block Programme which may not exceed one-fifth of the total allocation. Hence separate figures for administrative expenditure out of the funds as mentioned above are not available.

विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक, तकनीकीविद् और इंजीनियर

1369. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार विदेशों में कुल कितने भारतीय हैं; और

(ख) उनमें से वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीकीविदों एवं चिकित्सा कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) 1-9-74 को राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रवासी भारतीय अनुभाग में 18,689 भारतीय वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी विद् और चिकित्सा कार्मिक पंजीकृत थे। जिनमें 33.62 प्रतिशत वैज्ञानिक, 39.69 प्रतिशत इंजीनियर, 6.33 प्रतिशत प्रौद्योगिकीविद् और 20.43 प्रतिशत चिकित्सा कार्मिक हैं। फिर भी, इनका पंजीकरण स्वैच्छिक हैं।

Scholarships to Scheduled Caste Students for S es Abroad

1370. Shri Hari Singh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the amount of scholarship given to the students, belonging to Scheduled Castes for studies abroad is less and whether such student studying abroad have complained against it ; and

(b) if so, the action taken by Government on their complaint ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) The rates of scholarships have been increased last year with effect from 1st June, 1973, as under :——

Country	From p. a.	To p. a.
U. K.	£ 600	£700
	£600	£750 (in Oxford & Cambri dge Universities).
U.S.A.	$2250	$2520
Canada	$2250	$2520

Expenditure involved in tuition and other fees payable to the institutions, health and insurance charges, cost of books, study tours, etc. cost of passage—both ways, incidental journey expenses and equipment allowance are also borne by Government.

Some representations have been received for enhancement of the amount for books study-tours, etc. which are being looked into.

Help in Energy Crisis From U.S.A.

1371. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether U.S.A. has shown its willingness to extend cooperation to all the scarcity countries in the removal of energy crisis as orted in a local daily dated 18th September 1974;

(b) Indian Government's reaction thereto; and

(c) whether negotiations with U.S.A. have been initiated in this regard ?

The Minister of Energy (Shri K. C. Pant) : (a) to (c) In terms of the agreement between the Government of India and the Government of the United States of America, al- Joint Commission on Economic, Commercial, Scientific, Technological, Educational and Cu tural Cooperation has been established. Sub-commissions set up by the Joint Commission would identify and investigate areas for closer cooperation between the two countries in the

"ड्रेन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार प्रतिभा पलायन के बारे में डा० खुराना के कथित वक्तव्य

1372. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 अक्तूबर, 1974 के एक स्थानीय समाचार पत्र में "खुराना कीप ब्रेन्स बीजी टू एवर्ट ड्रेन" शीर्षक से डा० हरगोविन्द खुराना के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) सरकार ने समाचार की सूचना को देखा है और डा० खुराना के निरीक्षणों को नोट कर लिया है।

योजना मंत्री द्वारा जर्मन जनवादी गणराज्य का हाल ही का दौरा

1373. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना मंत्री ने सितम्बर, 1974 के अपने जर्मन जनवादी गणराज्य के दौरे के दौरान किन-किन विषयों पर चर्चा की; और

(ख) क्या इस देश ने और अधिक आर्थिक सहायता देने का वचन दिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जिन विषयों पर चर्चा हुई वे थे : आयोजन के क्षेत्र में अनुभव तथा इनका आदान-प्रदान तथा जर्मन जनवादी गणराज्य मंत्री परिषद् के उपाध्यक्ष तथा राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष की अक्तूबर, 1973 की भारत यात्रा के दौरान निर्धारित क्षेत्रों में आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग की समीक्षा।

(ख) यह विषय चर्चित विषयों में शामिल नहीं था।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का पुनर्गठन

1374. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का पुनर्गठन किया जा रहा है;

(ख) क्या प्रस्तावित पुनर्गठन से यह आयोग अधिक सक्रिय हो जाएगा; **और**

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित पुनर्गठन की मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) से (ग) एक नए ऊर्जा मंत्रालय के सृजन, जिसमें (1) विद्युत विभाग और (2) कोयला विभाग होंगे तथा कृषि मंत्रालय के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, जिसके अधीन सिंचाई एक पृथक विभाग के रूप में होगा, भूतपूर्व केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग को इस प्रकार से पुनर्गठित किया जा रहा है जिससे कि वह (1) सिंचाई विभाग के अधीन केन्द्रीय जल आयोग तथा (2) विद्युत विभाग के अधीन केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के रूप में कार्य कर सके।

स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री का रक्त विश्लेषण की डाक्टरी रिपोर्ट

1375. **श्री समर मुखर्जी :**
श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अक्तूबर, 1974 के समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी गुप्तचर विभाग ने, अपनी फाइल बनाने के लिये स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के रक्त विश्लेषण की विस्तृत डाक्टरी रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधान मंत्री के बारे में अपनी फाइल बनाने के लिये, 1965 में चुरा लिया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) और (ख) सरकार ने तत्संबंधी समाचार देखा है। उनके पास इस आरोप की पुष्टि करने के लिये कोई सूचना नहीं है।

ट्रैक्टरों के पुर्जों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा

1376. **श्री एस० आर०दामणी:** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रैक्टरों के महत्वपूर्ण पुर्जों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है और निर्माण लागत की यह कितनी प्रतिशत है; और

(ख) आयात की पूर्णतया समाप्त करने के उद्देश्य से देश की ही प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1973-74 में निर्मित्त 24,209 ट्रैक्टरों का कारखाने से निकलते समय का कुल मूल्य 5210 लाख रुपये है। सुव्यवस्थित मेकों के ट्रैक्टरों में आयातित अंश 10-15 प्रतिशत से जिन ट्रैक्टरों का उत्पादन हाल ही में शुरू हुआ है उनमें लगभग 40 प्रतिशत तक भिन्न भिन्न होता है।

(ख) सुव्यवस्थित मेकों में आयात हाइड्रोलिक और विशेष श्रेणियों के गियरों तक ही सीमित है। निकट भविष्य में ये आयात बिल्कुल समाप्त कर दिए जाएंगे। वास्तव में पूर्ण रूप से स्वदेशी डिजाईन और मेक के ट्रैक्टर का उत्पादन आरंभ हो गया है।

जमाखोरों और चोर बाजारियों के विरुद्ध कार्यवाही

1377. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जमाखोरों, चोर बाजारियों, कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि जमा न करने वालों और अस्पृश्यता संबंधी अपराधियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अधीन कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही हैं और सभा पटल पर रखी जाएगी।

केन्द्रीय मंत्रियों के दौरों पर व्यय

1378. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 में और 1 अप्रैल, 1974 से 31 अक्तूबर, 1974 तक केन्द्रीय मंत्रियों के देश में दौरों पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन

1379. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अबोहर और फाजिल्का क्षेत्र को हरियाणा में मिलाने के उद्देश्य हेतु सरकार का विचार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

Postal Life Insurance

1380. **Shri Atal Bihari Bajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the rates of various kinds of premium of Postal Life Insurance when these rates were prescribed and the basis therefor ;

(b) the amount of bonus paid to the policy holders each year during the last three years; comparative position of premium and of these rates of bonus vis-a-vis the rates of Life Insurance Corporation;

(c) whether Postal Life Insurance service would be extended to the common citizen if so, and if not, the reasons therefor ;

(d) the number of persons insured under the Postal Life Insurance Service upto August, 1974; and

(e) whether those employees would also be benefited by the Postal Life Insurance service who are employed in the organisations receiving Government aid and if not the reason therefor ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) The rates of various kinds of premia under the Postal Life Insurance Scheme are given in Annexure. [Placed in Library. See No. L. T. 8520/74] The basic premium rates which have been recast in table I & II of the annexure for Whole-life and Endowment Assurance polices were fixed in April, 1967. Premium rates for convertible whole-life polices under table III were introduced from 1st Sept. 1971.

The premium rates are fixed in consultation with the Controller of Insurance, Simla (under the Ministry of Finance) who is the actuary for the Post Office Insurance Fund and other connected PLI matters.

The rates of premia are fixed on the basis of mortality experience, the cost of running the PLI scheme, and interest earnings of the PLI Fund.

(b) Bonus @Rs. 32/- and Rs. 24/- per thousand of sum assured per annum is allowed from 1-4-69 to 31-3-72 on Whole-life and Endowment Assurance policies respectively. These rates are also applicable in respect of those policies which find exit from 1-4-72 to date of next valuation.

The comparative rates of monthly premium and bonus allowed for assurance of Rs.1000 charged by the Life Insurance Corporation and Postal Life Insurance authority are given below :—

I. Whole Life Limited payment policies (with profit)

Age at entry	Term (Premium paying) Years					
	15		20		30	
	P.L.I. Rs.	L.I.C.* Rs.	P.L.I. Rs.	L.I.C.* Rs.	P.L.I. Rs.	L.I.C.* Rs.
20	—	3.49	—	2.81	1.70	2.15
25	—	3.76	—	3.03	1.85	2.33
30	—	4.07	2.70	3.29	2.10	2.57
35	3.65	4.44	3.00	3.60	—	2.88
40	4.10	4.87	3.40	4.01	2.75	3.29
45	4.60	5.38	—	4.52	—	—
50	—	6.05	4.45	5.22	—	—
Endowment Assurance (With profits)						
20	5.50	5.90*	4.00	4.35*	2.55	2.84*
25	5.50	5.92	4.00	4.38	2.60	2.90
30	5.50	5.95	4.05	4.43	2.65	3.00
35	5.55	6.02	4.10	4.53	—	3.18
40	5.65	6.16	4.25	4.71	—	3.50
45	5.85	6.40	—	5.04	—	—
50	—	6.82	—	5.59	—	—

*Monthly premium under Salary Savings eme of L.I.C.

II. The rates of bonus per thousand sum assured per annum declared by the Life Insurance Corporation and the Postal Life Insurance are given below :—

	Valuation period	Whole Life Assurance	Endowment Assurance
Life Insurance Corporation . .	1-4-1969 to 31-3-1971 & 1-4-1971 to 31-3-1972	Rs. 22.00	Rs. 17.60
Postal Life Insurance	1-4-1969 to 31-3-1972	Rs. 32.00	Rs. 24.00

Note : In the Life Insurance Corporation the valuation is conducted every two years in the Postal Life Insurance every three years.

(c) The question for extending the scope of Postal Life Insurance to general public has been examined from time to time but found unworkable.

(d) The total number of persons insured under P.L.I. Scheme is 3,12,067 upto 31st March, 1974. The figures upto 31st August, 74 are not available as the Post Office Insurance Fund is reviewed every year upto 31st March.

(e) Employees of organisations receiving Government aid and eligible for benefits of P.L.I. have been mentioned in Rule 2 of Post Office Insurance Fund Rules which is published material. The question of extending the benefits of P.L.I. scheme to other organisations including semi-government under-takings and autonomous bodies etc. was examined from time to time but found unworkable as the scheme is specially designed for Government servants as an amentiy.

Demands for Autonomy for States

1381. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the policy of Government towards the demands for autonomy for Nagaland by rebel Nagas and by Sheikh Abdullah for Kashmir ;

(b) the similarities and difference between both these demands and Government reaction to each of them ;

(c) the preventive measures taken to supress raising of such demands in other parts of India ; and

(d) the steps being taken to meet the situation arising out of such demands being made in both the areas ?

The Minister of Home Affairs (Shri K. Brahmananda Reddy): (a) & (b) In the light of the statements made by Sheikh Mohamad Abdullah to the effect that he regarded himself committed to the act of accession of the State of Jammu and Kashmir to India, Government of India, after consulting the State Government, agreed that Shri G. Parthasarthy and Sheikh Abdullah's nominee, Shri Afzal Beg, could meet with a view to exchanging ideas. These talks are continuing and, therefore, at this stage, it would not be possible for Government to indicate their further reactions.

So far as Nagaland is concerned, some underground associations in Nagaland have been advocating secession and in furtherance of bringing about such secession have been indulging in violent activities. In the light of their secessionist activities, these underground associations have been declared as unlawful associations under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 from the 1st September, 1974. Thus, there are no similarities between Kashmir and Nagaland.

(c) The recommendations of the Administrative Reforms Commission on Centre-State relations are under examination in consultation with the State Governments. The National Integration Council has also been examining and reviewing various aspects of communal harmony, regional tensions and grievances of backward classes. Constant efforts are being made through the Zonal Council meetings and other media for consultation with State Governments, to ensure an atmosphere and environment of harmony and well being.

(d) Utmost vigilance is maintained to counter the anti-national activities in these areas and maintain law and order.

हिन्दुस्तान समाचार के कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतें

1382. **श्री इन्द्रजीत गुप्तः क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान समाचार एक न्यूज़ एजेंसी के कुप्रबन्ध के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :(क) से (ग) जी, हां। शिकायतें श्रम मंत्रालय को कार्रवाई के लिये भेज दी गई थी।

स्वर्ण हिन्दुओं द्वारा चंडलोडिया, अहमदाबाद के हरिजनों को सताया जाना

1383. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद नगर के समीपस्थ चंडोलोडिया गांव में लगभग 70 हरिजनों ने 8 अक्तूबर, 1974 को राज्यपाल के सचिव के साथ मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां तो क्या उन्होंने प्राधिकारियों को बताया है कि सवर्ण हिन्दू उन्हें गांव खाली करने पर बाध्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त गांव के हरिजनों के तीन प्रतिनिधि राज्यपाल के सचिव से मिले और शिकायत की कि गांव के सवर्ण हिन्दुओं ने उनका बहिष्कार कर दिया है और गांव को वापस जाना खतरनाक है।

(ग) राज्य सरकार ने गांव में पुलिस बन्दोबस्त किया है और स्थिति शान्तिपूर्ण बताई जाती है।

रीवा में आकाशवाणी केन्द्र के रिहायशी मकानों का निर्माण

1384. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा में आकाशवाणी केन्द्र के रिहायशी मकानों के निर्माण हेतु 1.5 लाख पये की राशि को स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या नए निर्माण पर लगाए गए प्रतिबन्ध को हटाया नहीं गया है जिसके परिणामस्वरूप काम ठप्प हो गया है; और

(ग) इन मकानों के निर्माण में विलम्ब से उक्त स्टेशन के चालू होने में कितना विलम्ब होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) सेवा स्थित आकाशवाणी केन्द्र के स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु अप्रैल, 1972 में 4 लाख 57 हजार रुपये की राशि मंजूर की गई थी। काम सौंप दिया गया था, किन्तु इस बीच अव्यवसायिक भवनों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगने के कारण निर्माण-कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

(ख) सरकार ने इस बीच मामले पर पुनर्विचार कर प्रतिबन्ध में ढील करके इन स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण की अनुमति दे दी है। तदनुसार आकाशवाणी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वह निर्माण कार्य आरंभ करें।

(ग) स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण में विलम्ब से रेडियो केन्द्र के चालू होने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राष्ट्रीयकृत सकटग्रस्त मिलों से ऋणों की वसूली

1385. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक कुछ राष्ट्रीयकृत संकटग्रस्त मिलों को सरकार द्वारा उनका प्रबंध अपने हाथ में लिये जाने से पूर्व, दिये गये ऋणों को वसूल करने के लिये राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड और भारत सरकार के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा करने पर विचार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और, इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं है जिसमें किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० अथवा केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीयकृत संकटग्रस्त वस्त्र मिलों को दिये गये ऋण की वसूली के लिए कोई मुकदमा दायर किया हो।

Information Centre for Bhojpuri Region in N. Bihar

1386. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Information & Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have opened any information centre for the Bhojpuri region in North Bihar; and

(b) if not, whether Government propose to open an information centre there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharm Bir Sinha) : (a) & (b) The Central Government have not yet set up an Information Centre in North Bihar. Subject to availability of financial resources, it is, however, under consideration of Government to open Information Centres in backward areas where newspaper coverage is inadequate.

बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति

1387. **श्री विभूति मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 11 अक्तूबर, 1974 के एक अंग्रेजी दैनिक में 'ए' डैन्जरस ट्रेड शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार में कानून और व्यवस्था नहीं है; और क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के तैनात किये जाने के बावजूद भी राज्य सरकार व्यवस्था स्थापित करने में असफल रही है; जैसा कि उक्त समाचार में आरोप लगाया गया है; और

(ग) राज्य में शान्ति की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 'इंडियन नेशन' में 11 अक्तूबर, 1974 के अंक में 'ए डेन्जरस ट्रेड' शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार देखने में आया है।

(ख) और (ग) यह सच नहीं है कि बिहार में कोई विधि और व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार, जो प्राथमिक रूप से इस मामले से संबंधित है, शान्ति बनाये रखने के लिये सभी संभव उपाय कर रही है और स्थिति नियंत्रण में है। राज्य सरकार द्वारा पूरी सतर्कता रखी जा रही है। केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकार के लगातार सम्पर्क में है और विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सहायता कर रही है।

एच० एम० टी०. बिक्री कार्यालय, दिल्ली के अधिकारियों का तबादला

1388. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के एच० एम० टी० बिक्री कार्यालय के उच्च अधिकारियों को दिल्ली शाखा में कार्य करते हुए तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया है और उन्हें यहां स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) यदि उन्हें स्थायी रूप से यहां नियुक्त नहीं किया गया तो उनको दिल्ली के बिक्री कार्यालय से अन्य स्थानों को तबादला न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) मशीनी औजारों का विपणन एक बहुत ही जटिल काम है जिसमें विपणन कर्मचारियों का खरीदार के साथ संपर्क और विश्वास का होना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए नीति के रूप में विभिन्न शाखा कार्यालयों में हिमटू के विपणन प्रभागों में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होगी, इसकी कोई सीमा नहीं रखी गई है। दिल्ली के बिक्री कार्यालय के अधिकारियों जिन्हें यहां तीन वर्ष से अधिक हो गये है, का स्थानान्तरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

भाखड़ा नांगल परियोजना से विद्युत प्रजनन

1389. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा नांगल परियोजना से आगामी वर्षाकाल तक बहुत कम बिजली पैदा होगी;

(ख) क्या भाखड़ा नांगल बोर्ड की तकनीकी समिति ने इस गंभीर स्थिति का पुनर्विलोकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) भाखड़ा परियोजना की स्थिर विद्युत शक्यता लगभग 8.8 मिलियन यूनिट/दिन है। इसके मुकाबले भाखड़ा नंगल सम्मिश्र से वर्तमान विद्युत उत्पादन 10.0 मिलियन यूनिट/दिन होता है। उत्पादन के इस स्तर के लगभग 10 दिसम्बर, 1974 तक जारी रहने की संभावना है जिसके पश्चात्, यदि नदी के अन्तर्वाह में, जोकि इस समय शुष्क वर्ष के अन्तर्वाह से भी कम है, कोई विशेष सुधार नहीं होता, तो उत्पादन के घट कर लगभग 8 मिलियन यूनिट/दिन तक हो जाने की संभावना है।

(ख) जी, हां।

(ग) पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय की गंभीर स्थिति पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रयत्न किए जा रहे हैं :--

(1) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान तथा बदरपुर ताप-विद्युत केन्द्रों में उत्पादन को अधिकतम करना;

(2) पंजाब में गुरु नानक ताप-विद्युत केन्द्र के पहले यूनिट से, जिसे हाल में चालू किया गया है, उत्पादन को स्थिर करना;

(3) फरीदाबाद में 60 मेगावाट के पहले उत्पादन यूनिट तथा बदरपुर में 100 मेगावाट के तीसरे उत्पादन यूनिट को शीघ्रतापूर्वक चालू करना; और

(4) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना से कुछ अतिरिक्त ऊर्जा का भाखड़ा-नंगल के सप्लाई क्षेत्र में अन्तरण करने के लिए भाखड़ा-नंगल प्रणाली का चम्बल-सतपुड़ा प्रणाली के साथ समानान्तर प्रचालन करने की व्यवस्था करना।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबन्धी अधिनियम और भारत रक्षा नियमों के अधीन संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों की गिरफ्तारियां

1390. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद और विधान सभाओं के उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें गत छः महीनों में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम तथा भारत रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) वे किन-किन राजनीतिक दलों से संबंधित हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मिजो विद्रोहियों की गतिविधियां

1391. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो विद्रोही आक्रमणात्मक रवैये के स्थान पर अपने अड्डे के विस्तार में व्यस्त हैं;

(ख) क्या विद्रोहियों के साथ बातचीत करके कुछ समझौता करने के लिये कोई कार्यवाही की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) मिजो विद्रोहियों की हिंसात्मक गतिविधियों में कोई कमी नजर नहीं आती है परन्तु यह ध्यान में आया है कि वे युवकों को अपनी ओर भर्ती कर रहे हैं और अपने अड्डों का विस्तार करने के प्रयत्नों के लिये शराब के विरुद्ध अपना प्रचार कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) सरकार समझती है कि जब तक मिजो विद्रोही अपनी पृथकतावादी मांग पर अड़े रहते हैं और अपनी देशद्रोही गतिविधियां जारी रखते हैं तब तक भूमिगत मिजो लोगों से बातचीत करने से कोई लाभ नहीं होगा ।

Construction of Atomic Power Station at Narora (U.P.)

1392. Shri Hari Sibgh : Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) the progress so far made in the construction of atomic power station at Narora in Uttar Pradesh;

(b) whether this atomic power station is facing financial difficulties and

(c) if so, the time likely to be taken in its completion ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Preliminary works such as construction of warehouses, concrete laboratory, approach roads, etc. have been taken up at the site. A large portion of the area falling within the half-mile radius around the project-site and the land required for the township have been acuuired. The design work relating to the main plant is under progress. Letters of intent for the manufacture of turbogenerator and steam-generators have been issued. Action to procure imported materials for long-delivery items like Calendria, end-fittings, etc. has been initiated.

(b) No, Sir.

(c) The first unit of the Narora Atomic Power Project is expected to attain criticality in 1981 and the second unit in 1982. Full commissioning can be expected some months thereafter.

Scheduled Castes Artists in A. I. R.

1393. Shri Hari Singh : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of permanent artistes in the All India Radio and of those among them who belong to Scheduled Castes and whether their number corresponds to the quaota reserved for them; and

(b) if not, when and how their remaining quota is proposed to be filled be Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) & (b) As Staff Artists are not apponted against regular civil posts and as these are contract appointments, Government orders on reservation of posts for Scheduled Castes etc. do not normally apply. However, Government have extended the reservation orders to the non-specialist categories of Staff Artists on sound side with effect fro m January, 1971 and TV side with effect from May, 1974.

Out of 570 Staff Artists of non-specialist categories, 35 belong to Scheduled Castes. The shortfall in the number as copmared to the quota prescribed is due to the fact that, as stated above, the rules relating to the reservation were extedned to Staff Artists only in January, 1971 and May, 1974 respectively. The vacancies in the non-specialist categories are now being filled strictly in accordance with the reservation orders.

आवश्यक मदों का उत्पादन करने वाले एककों पर लेवी

1394. **श्री धामनकर :**

श्री बसन्त साठे :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 अक्तूबर, 1974 के एक अंग्रेजी दैनिक में "लेवीं लाइकली आन यूनिट्स प्राड्यूसिंग एसंशियल आइटम्ज" (आवश्यक मदों का उत्पादन करने वाले एककों पर लेवी लगाने की संभावना) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां. तो उसमें दी गई टिप्पणी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) बढ़ते हुए उत्पादन के संदर्भ में, सरकार उत्पादन पर दंडात्मक उपाय के रूप में नहीं अपितु वास्तविक वितरण के लिए अधिक उत्पादन करने के उपाय के रूप में सामाजिक नियंत्रण के प्रश्न की जांच कर रही है। सार्वजनिक वितरण के लिए उपयुक्त संभरण करने के विचार से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन कर्ताओं पर लेवी लगाने के प्रश्न पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

"फिफ्थ प्लान में बी नान स्टार्टर नैक्सट यीअर आलसो" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1395. **श्री धामनकर :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 अक्तूबर के एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में "फिफ्थ प्लान मे बी नान स्टार्टर नैक्सट यीअर आलसों" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को इस समाचार की जानकारी है।

(ख) पांचवीं योजना में समायोजन लाने के लिए योजना आयोग कतिपय अभ्यास कर रहा है। इन अभ्यासों को पूरा होने में कुछ समय लगेगा। बहरहाल, इन अभ्यासों को शीघ्र पूरा करने और अन्तिम पांचवीं योजना को जल्दी प्रकाशित करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे।

बिहार सर्किल में टेलीफोन सुविधाओं का विकास

1396. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना तथा बिहार के अन्य कस्बों में कितने आवेदन पत्र 31 अक्तूबर, 1974 को "ओ० वाई० टी०" तथा नान 'ओ० वाई० टी०' योजना के अन्तर्गत विचाराधीन थे,

(ख) 31 मार्च, 1975 तक सभी आवेदकों को टेलिफोन कनेक्शन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है,

(ग) गया और भागलपुर के एक्सचेंजों में मानवचालित प्रणाली को स्वचालित बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है तथा उसकी सम्भावित तिथि क्या है,

(घ) क्या बिहार सर्किल में टेलिफोन के पुर्जों, सहायक पुर्जों आदि को देर से सप्लाई करने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को असुविधाएं हो रही हैं, और

(ङ) पटना में 'प्लान 103 टेलिफोन' इंस्ट्रमेंट्स लगाने के लिए प्रतिक्षारत उपभोक्ताओं की संख्या क्या है और दिसम्बर, 1974 तक इसे उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) पटना में टेलिफोन कनेक्शनों के लिए प्रतिक्षा कर रहे आवेदकों की संख्या 31-10-1974 को ओ० वाई० टी० श्रेणी में 207 और गैर ओ० वाई० टी० श्रेणी में 1226 थी।

दूसरे कस्बों में प्रतिक्षा कर रहे आवेदकों की संख्या ओ० वाई० टी० श्रेणी में 180 तथा गैर ओ० वाई० टी० श्रेणी में 4729 है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पटना के लिए कोई विस्तार कार्यक्रम नहीं है।

आरा, बेगूसराय, बेनिया, भागलपुर, छपरा, गया, सीतामडी, चिरकुंडा, दरभंगा, डालवंदगंज, हजारीबाग, कटिहार, आदित्यपुर, टेल्को, चाइबासा, लेहरियासराय, धुरवा, रांची, मुजफ्फरपुर, और धनबाद के एक्सचेंजों का विस्तार कार्यक्रम वर्ष 74-75 के लिए मंजूर किया गया है।

सीमित मात्रा में साधनों के उपलब्ध न होने के कारण टेलिफोन कनेक्शन देने में समय लगाता है।

(ग) भागलपुर एक्सचेंज को स्वचालित बनाने से संबंधित योजनाओं पर विचार किया गया है। यह योजना वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है। गया एक्सचेंज गो स्वचालित बनाने से संबंधित परियोजना विचाराधीन है।

(घ) देश में उपकरणों और साज-समान की आम कमी है। देश भर में ऐसी मदों की सप्लाई में विलम्ब का अनुभव किया जा रहा है।

(ङ) पटना में प्लान 103 टेलिफोन उपकरणों के लिए प्रतीक्षा कर रहे उपभोक्ताओं की संख्या 89 है। एक्सटेंशन उपकरण प्राप्त होते ही ये दे दिए जाएंगे।

बिहार सर्किल में रिक्त पद

1397. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एम० जी० बिहार सर्किल/जी० एम० टी० बिहार सर्किल/डी० एम० टी० बिहार सर्किल के प्रत्येक यूनिट के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत श्रेणी 3 और 4 संवर्गों (प्रत्येक संवर्ग का नाम बताते हुए) में 31 अक्तूबर, 1974 को रिक्त पड़े मदों की संख्या क्या थी ;

(ख) पी० एम० जी० पटना/जी० एम० टी० पटना/डी० एम० टी० पटना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रत्येक यूनिट में 31 अक्तूबर, 1974 को कितने उम्मीदवार प्रशिक्षण प्राप्त करने की प्रतीक्षा में थे ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे रिक्त पदों के भरने अथवा अतिरिक्त पद बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(घ) सरकार द्वारा सेवाओं को कुशलता से चलाने के लिए सभी रिक्त पदों को भरने और अतिरिक्त न्यायोचित पद बनाने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8521/74] चतुर्थ श्रेणी के पदों और डाकियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) प्रचालन पदों के सम्बन्ध में कोई प्रतिबंध नहीं है।

(घ) आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त प्रचालन पदों को मंजूरी जहां औचित्य सिद्ध हो, अनुमोदित पैमानों और मानदंडों के अनुसार दी जाती है और ये पद भर्ती नियमों के मुताबिक तुरंत भरे जाते हैं।

पटना में डाक-तार विभाग के औषधालयों में अपर्याप्त कर्मचारी

1398. श्री रामावतार शास्त्री : क्या संचार मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में डाक-तार विभाग के औषधालयों में डाक्टरों और कम्पाउंडरों की कमी है और क्या इनकी अपर्याप्त संख्या के बारे में डाक व तार यूनियन ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन भी किया था ;

(ख) क्या पटना में पोस्टमास्टर जनरल ने दोनों स्थानों के औषधालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए आश्वसन दिया था तथा इस संबंध में प्रस्ताव, महानिदेशक, डाक-तार विभाग की स्वीकृति हेतु भेजे थे, और

(ग) यदि हां, तो महानिदेशक, डाक-तार विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) पटना के दोनों औषधालयों में डाक्टरों और कम्पाउंडरों (फार्मासिस्टों) की संख्या कर्मचारी नियुक्त करने के मौजूदा मानदंडों के अनुसार है। अलबत्ता प्रथम औषधालय में रोजाना आने वाले रोगियों की । । संख्या को मद्देनजर रखते हुए उस औषधालय के लिये अतिरिक्त डाक्टरों और फार्मसिस्टों की मांग प्राप्त हुई थी। तथापि, औषधालय में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त न होने के विरोध में कोई प्रदर्शन होने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रथम औषधालय के लिये अतिरिक्त डाक्टरों और फार्मसिस्टों की मंजूरी के लिये पटना के पोस्टमास्टर जनरल से हाल ही में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) यह प्रस्ताव विचाराधीन है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि गैर-योजना क्षेत्र में नए पद बनाने पर पाबंदी लगी हुई है।

स्वतंत्रता सेनानियों की ऐसोसियेशनों को अनुदान

1399. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर स्वतन्त्रता सेनानियों की विभिन्न ऐसोसियेशनों द्वारा प्रस्तुत परीक्षित लेखों की जिनकों गृह मंत्रालय चालू और प्रत्येक विगत वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान देता रहा है विभिन्न वर्षों में अलग-अलग चार्टर्ड एकाऊंटेंटों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है या हर वर्ष एक ही एकाऊंटेट द्वारा की गई है ;

(ख) जरूरतमंद स्वतन्त्रता सेनानियों को राहत देने पर कितनी धनराशि खर्च की गई और प्रत्येक ऐसोसियेशन द्वारा स्मारिका (सोवेनीर) प्रकाशित किये जाने पर कितनी धनराशि खर्ज की गई ; और

(ग) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी सभी ऐसोसियेशनें अनेक स्वतन्त्रता सेनानियों की कठिन स्थिति में सुधार करने के लिए पर्याप्त कार्य कर रही हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) केवल एक ऐसोसियेशन को अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी सम्मेलनों के आयोजन के लिये एक वर्ष से ज्यादा अर्थात् 1969 और 1970 में अनुदान दिये गये थे। चार्टर्ड एकाऊंटेंटों की उसी फर्म ने दोनों वर्षों के लेखा की लेखा परीक्षा की थी।

(ख) अनुदानों की सारी राशि सम्मेलन के आयोजन करने पर खर्च की गई थी और इसका कोई भाग स्मारिकाओं (सोवेनीर) के प्रकाशन पर व्यय नहीं किया गया था।

(ग) सरकार ने अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों को सहायता देने के लिये किसी ऐसोसियेशन को अनुदान नहीं दिये गये हैं।

शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के प्रयोग हेतु ताप-नाभिकीय (थरमो-न्यूक्लियर) विस्फोट

1400. **श्री वीरेन एंगती :**
श्री बनमाली पटनायक :
श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोखरन परमाणु परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों से हमारे परमाणु वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के प्रयोग की पूरी सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए लगभग 200 किलो टन का एक ताप-नाभिकीय (थरमो-न्यूक्लियर) विस्फोट किया जाना आवश्यक है।

(ख) क्या बड़ी परमाणु शक्तियों ने अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति एजेंसी के अधीन सुरक्षा की गारंटी दिये बिना परमाणु ईंधन और उपकरण की सप्लाई बन्द करने का निर्णय किया है ; और

(ग) क्या परमाणु शक्ति कार्यक्रम तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 18 मई, 1974 को शान्तिमय प्रयोजनों के लिए किए गए परमाणु परीक्षण के परिणामों का विस्तृत अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है। इस प्रश्न पर कि भविष्य में और परीक्षण किए जायें या नहीं, तब ही विचार किया जाएगा जब यह पूरी तरह से निश्चित हो जाता है कि इस प्रकार के परीक्षणों को करना आवश्यक है।

(ख) कुछ देशों ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सूचित किया है कि वे परमाणु बिजलीघरों में काम में आने वाले विशिष्ट उपकरण तथा सुविधाएं तब तक नही देंगे जब तक कि विचाराधीन परमाणु बिजलीघरों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा नियंत्रित सेफगार्ड व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं रख दिया जाता है।

(ग) जी, हां।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

Re : Questions of Privilege

आयात लाइसेंस का मामला

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं एक मिनट के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही ध्यान दिलाने वाली सूचना की अनुमति दे दी है। (**व्यवधान**) कार्यवाही वृत्तान्त में कोई बात शामिल नहीं की जायेगी। अनेक विशेषाधिकार प्रस्ताव एक जैसे हैं। उनमें से कुछ बिल्कुल अलग भी हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रस्ताव इतना स्पष्ट है कि वह निश्चय ही विशेषाधिकार का उल्लंघन है।

अध्यक्ष महोदय : उसके साथ अन्य कई प्रस्ताव सम्बद्ध है। स्थिति कुछ असाधारण सी हैं। सर्वश्री लिमये, बसु, श्यामनन्दन मिश्र और अटल बिहारी वाजपेयी के प्रस्ताव हैं।

मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। मेरे पास श्री तुलमोहन राम का 14 नवम्बर का एक पत्र है। यह पत्र लोक सभा के अध्यक्ष महोदय को विचारार्थ भेजा गया है। उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि वह भी संसद सदस्य होने के कारण सदन की प्रतिष्ठा और विशेषाधिकारों के बारे में काफी चिन्तित हैं उनका कहना है कि जब तक उनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है तब तक कोई ऐसी बात न कही जाये जिसका उनके मुकदमे पर प्रभाव पड़े। उन्होंने स्थान स्थान पर मेरे उन विचारों को उद्धृत किया है जो मैंने इस सम्बन्ध में सभा में व्यक्त किये थे। उन्होंने आगे लिखा है कि उनको पूरा विश्वास है कि उनके हित मेरे हाथ में सुरक्षित हैं। मेरे से तात्पर्य आप सबसे है। फिर उन्होंने यह भी कहा है कि यदि

न्यायालय में मुकदमा दायर करने से पूर्व सभा में इस मामले पर चर्चा की जाती है तो वह सभा को संतुष्ट कर सकते थे। परन्तु यदि अब इस मामले पर सभा में चर्चा की जाती है तो उसका मुकदमें पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार इस स्थिति में इस मामले पर चर्चा करना ठीक नहीं होगा। यदि वह मुझ से मिलते तो मैं उनको स्पष्ट कर देता कि हम संसद सदस्यों के सम्मान की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The subject-matter is the same but there are different aspects and the number of Members and Ministers accused of contempt of the House is also quite high . First of all I would like to place a list of such persons and the Home Minister is on the top of the list. Shri Uma Shankar Dixit gave an assurance but Shri Brahmananda Reddy has not kept it. So both of them can be clubbed. The next in the list is Shri H. R. Gokhale. Then fourth and fifth are Shri Chattopadhyaya and Shri Tul Mohan Ram. Now, Shri Dixit had given an assurance that "after the investigation is over, the first thing that we will do is to come to Parliament" and ask for suggestions. Then, Shri H. R. Gokhale had also stated that the House shall be taken into confidence after the results of the investigation are available. "The whole matter is open to the House to consider at that stage", he said. He had stated on 9th September last that licences were issued for the sake of justice and equity but later on the House was informed that these licences have been impounded. In case they were given for the sake of justice why were they impounded then ? The House was told that there has been no trafficking in these licences. Although I had stated on 28th August, last that attempts were being made to sell these licences through the Indo-Bangladesh Trading Corporation and Shri Siddiqui, the House has not so far been taken into confidence in regard to the results of the said raid conducted on aforesaid Corporation. Inspite of repeated demands made by the House for making available the chargesheet, the same has not been done so far. Therefore, the Minister of Commerce is also guilty of contempt of the House.

Shri Brahmananda Reddy had made a statement that the investigation did not disclose that any of the officers who dealt with the matter were involved in the commission of the offence but it has appeared in the press that Shri Tul Mohan Ram tried to influence public servants and accepted money for the same. So the fact remains that through the efforts of Shri Tul Mohan Ram and others including Shri L. N. Mishra, public servants were influenced and we have got proof for the same. There are two types of charges against Shri N. K. Singh, Special Assistant or Adviser to Shri L. N. Mishra. One was that Shri Tul Mohan Ram had said that Shri Singh had suggested that if another petition is admitted it will strengthen the Ministers hands. It has also been revealed that Shri Chattopadhyaya agreed to keep Shri Singh in his Ministry on the request of Shri L. N. Mishra. The chargesheet has not so far been made available to us. Why should they hesitate in making a public document available to us ?

It has been stated more than once that the matter is *sub-judice* but who is responsible for making it so ? It was done on the advice of Shri H. R. Gokhale who had categorically stated that after investigations they will come before Parliament and ask for suggestions with regard to further action to be taken in the matter. The C.B.I. could have filed the case after due consideration by Parliament but that was delibrately not done. The Political Affairs Committee under the leadership of the Prime Minister had decided to adopt this strategy of making this case *sub-judice*. Therefore, all the Members of the Politcal affairs Committee including the Prime Minister are guilty of *mala fide* action. Therefore the matter is serious.

Now, in case the matter is considered **sub-judice** will Parliament be deprived of its right to take a decision in regard to the conduct of its Members ? Now Shri Tul Mohan Ram has committed forgery and if members have faith in C.B.I. Report, I would suggest that let Privileges Committee of parliament called the Handwriting Experts and take a decision. The case of forgery can however be decided by the court.

Shri Tul Mohan Ram has written the letter in English whereas he had admitted before the journalists that he does not know English. May I know whether the letter was drafted by Shri L. N. Mishra or the Attorney General or the Shri H. R. Gokhale ?

Mr. Speaker, Sir, I now request you to consider all the points put forth by me separately and give your ruling as to whether the Home Minister, Commerce Minister and the Law Minister have misled the House or not ? The Commerce Minister has admitted in reply to one of my letters that some officers were sent for on the spot study. Their report should have been laid on the table of the House. Let the House decide whether there is justice and equity in the matter or there has been some bungling. Many of the firms are bogus and have not been carrying on any business for the last 17 or 18 years. All the cases should go to the Privileges committee separately so that the guilty persons are found out and brought to book. We have nothing to do with the Court case. We should proceed according to the rules of Parliament.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : गृह मंत्री ने इस सभा में दो आश्वासन दिये थे। उन्होंने सभा में कहा था "मैं वचन देता हूं। मैं आश्वासन देता हूं कि जांच समाप्त होने के बाद हम संसद को को बतायेंगे कि हम कहां पर पहुंचे हैं और क्या से पूछेंगे कि आगे क्या कार्यवाही की जानी चाहिये।" यदि सरकार का इरादा ठीक होता तो वह न्यायालय में जाने से पहले केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन को परिचालित करते और सभा में वाद-विवाद आरम्भ करते। वे सभा का पथ प्रदर्शन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे। फिर विधि मंत्री ने 3 सितम्बर को कहा था कि जांच पूरी होने के बाद सभा इस बारे में निर्णय कर सकती है। इन दो मंत्रियों द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद इस मामले को सभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने के लिये इस मामले को न्यायालय में ले जाया गया। क्या यह सदन की मान हानि नहीं है ? मैंने इस मामले में अध्यक्ष महोदय और वाणिज्य मंत्री को भी पत्र लिखे थे। उपरोक्त प्रतिवेदन म स्पष्ट लिखा है कि 21 व्यक्तियों के हस्ताक्षरों में से 11 हस्ताक्षर जाली हैं। अब प्रश्न यह है कि शेष 10 हस्ताक्षरों के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ? किसी एक व्यक्ति को बलि का बकरा बनाना ठीक नहीं है, हम स्वीकार करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है परन्तु इस कांड के पीछे विदेश व्यापार मंत्री का हाथ है परन्तु अन्य 10 व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : सभा में कुछ गलतफहमी है। मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा था कि सभी हस्ताक्षर जाली हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। यह कहा गया था कि 14 हस्ताक्षर श्री योगेन्द्र झा और 2 हस्ताक्षर श्री तुल मोहन राम ने जाली रूप से किये। शेष चार के बारे में जी० ई० क्यू० डी० की राय निश्चित नहीं बन सकी।

श्री मधु लिमये : ये चार कौन हैं ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं इनके नाम बता दूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : (बेगूसराय) : हम गत सत्र से इनके नाम पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे नाम जानना चाहते हैं। आप इस पर विचार कर लें। इस बीच मैं श्री बसु को अपना भाषण जारी रखने की अनुमति देता हूं ताकि समय बच जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरी जानकारी के अनुसार मंत्री महोदय का साक्ष्य ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : साक्ष्य नहीं, विवरण।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी नहीं। तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्री का एक स्पेशल असिस्टेन्ट दिल्ली के एक नर्सिंग होम में गया जहां पर संसद सदस्यों को उसके हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिये भेजा जाता है। मुझे यह भी पता चला है कि समस्त कार्यवाही मंत्री महोदय के अकबर रोड के निवास स्थान पर

पूरी हुई। मैं चाहता हूं कि वह पूरी फाइल सभा-पटल पर रखी जाये जिसमें श्री मिश्रा ने आदेश दे रखे हैं ताकि सदस्यगण स्वयं उन्हें देख सकें। मेरी जानकारी यह है कि वे फाइलें मंत्री महोदय ने इस लिए नष्ट कर दी थी क्योंकि बहुत सी बातें प्रकाश में आने की आशंका थी।

हस्तलेख विशेषज्ञों की रिपोर्ट सदस्यों की जांच के लिए सभा पटल पर रखी जानी चाहिये क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जबकि एक सदस्य उपस्थित रहता है लेकिन उसके नाम के सामने कोई अन्य सदस्य हस्ताक्षर कर देता है। इन लाइसेंसों को बाजार में कम से कम 400 प्रतिशत लाभ पर बेचा गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार का मामला है। इस सम्बन्ध में गुण-अवगुण की ओर ध्यान न दें। इस अवसर का उपयोग सब प्रकार की बातों के लिये न करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस सम्बन्ध में संक्षिप्त में बता रहा हूं।

मैं हाल ही में इस मामले के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये पांडिचेरी गया था। वहां मुझे इस बात का संतोष हो गया कि ये लाइसेंसों से सम्बन्धित सभी दस्तावेज़ जाली थे। तत्कालीन फ्रांसीसी सरकार के सचिव श्री पियरो वहां उपस्थित थे। उनके जाली हस्ताक्षर किये गये थे क्योंकि वह फ्रांसीसी सरकार की ओर से लाइसेंस जारी करने वाले अन्तिम व्यक्ति थे। इन जाली हस्ताक्षरों के आधार पर लाइसेंस जारी किये गये। (**व्यवधान**)।

प्रीसाइडिंग अधिकारी ने श्री तुल मोहन राम को वास्तव में इसका शिकार बनाया। है। यदि इस सम्बन्ध में संसदीय जांच की जाये तो पता लगेगा कि इस कांड में श्री ललित नारायण मिश्र का प्रमुख हाथ है।

वे चार नाम कौन कौन से हैं। मैं यह बताने की शर्त पर बैठा था।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी। जांच अधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार वे नाम हैं—सर्वश्री बसरा, चिरंजीव झा, मोहम्मद यूसुफ और आर० पी० यादव।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मैंने विशेषधिकार का उल्लंघन करने के बारे में एक नोटिस श्री तुलमोहन राम के विरुद्ध दिया था। अब गृह मंत्री ने विचार व्यक्त किया है कि श्री तुलमोहन राम के विरुद्ध प्रथम दृष्टि से मामला बनता है।

मेरा दूसरा नोटिस गृह मंत्री से सम्बन्धित है क्योंकि उन्होंने यह कह कर कि इस घोटाले में कोई अधिकारी शामिल नहीं है, सदन को धोखे में रखा है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि इस मामले से कुछ अधिकारी वास्तव में सम्बन्धित हैं और इसकी पुष्टि अनेक स्थानों पर मारे गये छापों से हो जाती है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट न दिखाकर इस मामले में रूचि रखने वाले सदस्यों के साथ घोर अन्याय किया गया है। सरकार ने हमें न तो पूरी रिपोर्ट दी है और न ही विभिन्न स्थानों पर मारे गये छापों के बारे में कोई जानकारी दी गई है। (**व्यवधान**)

समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपने 'आरोप-पत्र' में उल्लेख किया है कि विदेश व्यापार मंत्रालय में इस मामले से सम्बन्धित कार्य करने वाले अधिकारी

ने दो अभियुक्तो को सलाह दी है कि मामले को पुनः चालू करने हेतु मंत्री महोदय की स्थिति स्पष्ट करने के लिये व्यापारियों को लाईसेंस देने की सिफारिश करने के लिये कुछ संसद-सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कराकर अभ्यावेदन दिया जाये लेकिन "आरोप-पत्र" में मंत्री महोदय की बात से बिल्कुल भिन्न बात कही गई है। अतः यह विशेषाधिकार उल्लंघन का स्पष्ट मामला है।

जैसाकि माननीय मंत्री ने सूचित किया है श्री तुलमोहन राम पर स्पष्ट अपराध का आरोप लगाया गया है। इसीलिये उन्हें गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ा गया था। इस मामले पर कार्यवाही करते समय इन सब बातों पर विचार किया जाना चाहिये कि सदस्य के विरुद्ध प्रथम दृष्टि से ही सदन की गरिमा का हनन करने का मामला बनता है या नहीं। सदन को इस मामले में न्याय करना है जबकि न्यायालय अन्य अपराधों में न्याय करते हैं। ऐसी ही घटना श्री रतनलाल गुप्त के मामले में घटी थी, जिसने हाल ही में सदन का अवमान किया था।

श्री निक्सन के मामले में भी कांग्रेस और न्यायालय की प्रक्रियाएं समानान्तर चलीं थीं। इन दोनों में कोई विरोध नहीं था। अतः यह कहना उचित नहीं है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

ऐसे मामले पर न्यायालय में विचार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार प्रशासनिक, राजनीतिक और मंत्रियों की जिम्मेवारियों पर भी किसी न्यायालय में विचार नहीं किया जा सकता। किसी मंत्री की जिम्मेवारी नियत करने हेतु संसदीय जांच समिति नियुक्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अब यह मामला पूर्णतया सदन के अधिकार में है। अतः जब यह मामला जांच करने से पूर्व ही प्रथम दृष्टया मामला बन गया है तो आगे सच्चाई का पता लगाने और उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये यदि सदन उचित कार्यवाही नहीं करता है तो वह अपने दायित्व का पालन नहीं करेगा और अपनी गरिमा को कम करेगा।

वर्तमान परिस्थितियों में सदन के सामने दो विकल्प है। एक का संकेत 1951 में मुदगल के मामले में दिया गया है। जब उस मामले की जांच करने के लिये तदर्थ संसदीय समिति गठित की गई थी। इस मामले में प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने यह कहा था "कि मेरे विचार से इस सम्बन्ध में सबसे उचित रास्ता यह होगा कि सब तथ्यों को सभा में रख दिया जाये और सभा इस बात का निर्णय करे कि इस मामले में कोई जांच समिति नियुक्त की जाये अथवा नहीं"। वह इस मामले में स्वयं कार्यवाही नहीं करना चाहते थे। इस मामले के कुछ पहलुओं पर न्यायालय में विचार नहीं किया जा सकता और उन पर विशेषाधिकार समिति को ही जांच करनी चाहिये। संविधान में यह व्यवस्था है कि हमें 'हाउस आफ कामन्स' में अपनाया गई प्रक्रिया को मार्ग-दर्शी सिद्धान्त बनाना चाहिये।

मेरे विचार से इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये, विशेष समिति को नहीं। यद्यपि मुझे ऐसा करने पर कोई आपत्ति नहीं है। मुदगल सम्बन्धी मामला भी सदन की विशेष समिति को सौंपा गया था क्योंकि यह मामला न्यायालय में नहीं गया था। लेकिन इस मामले में कुछ बातें न्यायालय तक पहुंच गई हैं। लेकिन अपराध जैसी कुछ बातों पर सदन ही निर्णय कर सकता है। न्यायसंगत बात तो तब ही होगी जब सम्पूर्ण मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।

सदन की सभी समितियों की कार्यवाही गोपनीय होती है। अतः यह कोई नहीं कह सकता कि समिति की कार्यवाही से न्यायालय की कार्यवाही पर प्रभाव पड़ेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : With the passage of time, this case of import licenses has become more complicated and mysterious. It does not simply involve a question of an MP's conduct but also the conduct of several Ministers. The former Commerce Minister has admitted that he has received the representation. But it is still not clear as to how the former Minister disposed of the representation. C.B.I. has not made any inquiry in this matter.

Shri L. N. Mishra's conduct has to be viewed from the view point of Parliamentray propriety. When a mention was made about the construction of school building in the village of Shri L. N. Mishra, Shri Mishra told Lok Sabha that he had no information about it. Shri Mishra has told and utter lie in this House and he has been guilty of misleading the House. Who is going to enquire into the conduct of Shri Mishra ? It is perfectly within the jurisdiction of the speaker to refer all these issues to the Privileges Committee.

May I know whether the Government can stand fair by concealing these facts. On Sept., 9, the Government put off every question on the pretext that the C.B.I. was inquiring into the matter and now they say that the matter is subjudice. In my opinion a parliamentary Committee could also go into this matter alongwith or after the C.B.I. investigations. Thus this case is being suppressed deliberately and it is not meant to save Shri Tul mohan Ram but it is aimed at saving Shri L.N. Mishra. The then Home Minister Shri Dixit had promised to put the matter before the House after the C.B.I. inquiry but the Present Home Minister has said that the matter was to go to the Court forthwith as per the Criminal Procedure Code. Was it necessary to go to the Court minutes after the C.B.I. inquiry was over ? The arguments put forth by the Law Minister are very weak. I would like to cite him from his statement. He had said :

कृपया मेरी टिप्पणियां देखिये। मैंने कहा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जांच के बाद हम सारा मामला सभा के सामने रखेंगे, सभा को विश्वास में लेंगे और फिर यह सभा चाहे जो निर्णय करे।

At that time I had expressed my fear that the C.B.I. inquiry was aimed at preventing this House to go into the case. And, today my predictions have come true. Now they have callously said that the House could not discuss it since the matter is subjudice. This is a well calculated conspiracy by the Government.

On 5th Shri Gokhale had stated :

"केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कहा गया कि वे यथासंभव शीघ्र अपनी जांच पूरी करें। मैं यह नहीं कहना चाहता कि केवल सरकार ही उक्त जांच के परिणामों पर विचार करेगी। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के बाद सरकार इस सभा को विश्वास में लेगी तथा फिर यह सभा जो कुछ उचित समझे निर्णय करे। सरकार कह चुकी है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के बाद आधारभूत तथ्य प्राप्त हो जायेंगे।

Then, the Home Minister did not give a statement on 11th for which we had insisted on so much. He came, before the House only on 12th Nov., when the case had already gone into the Court on 11th Nov., This was a deliberate action to ignore the House and he is guilty of the contempt of the Hosue.

Commerce Minister Shri Chattopadhyaya is also getting his neck poked into to save the neck of Shri L. N. Mishra. Why is he misleading the House ? The other day he had said :

ये फर्में जाली सूची में नही थी, प्रतिबन्धित अथवा अास्तत्वहीन भी नहीं थी। हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं होने दी गई जिनसे हमें यह शक भी होता कि इन लाइसेंसों का दुरूपयोग होगा।"

But the Home Minister has stated that their licences have been impounded. Now if there has not been any irregularity and that the goods imported were not sold out at higher

rates and that the licences were also not sold out, why were then the licences impounded? Had there been no irregularity then this action was totally unjustified, unfair and a man like our Commerce Minister can never tolerate such an injustice. But now every thing is being put behind the curtain.

Mr. Speaker, Sir, you please ask the Government to lay the entire investigation report and the charge sheet prepared by the C.B.I. It has been reported in the newspapers that not only were these licences granted to benami parties but were in turn, been sold at a premium. The C.B.I. has asked the Commerce Ministry to seize goods worth about Rs. 25,000 to 30,000 which had been imported against licences obtained through Mr. Tul Mohan Ram.

So we want to know the full details of the entire case. Also we seek your guidance whether there should be an inquiry by a Parliamentary Committee or the Previlege Committee The Government want to decide upon everything on the strengths of their members in this House, but we warn them that until the full details of the case and the C.B.I. inquiry is put before the House, we would not allow any proceedings to go in this House. We would not permit this blot to come on the forehead of our Parliament. They cannot hush up the case by sacrificing only Sh. Tul Mohan Ram. Who would investigate into the conduct of Shri L. N. Mishra as a Minister ? Shri Dikshit has misled the House and so Shri Gokhale. They are not allowing the facts to come to light. The Commerce Minister is also guilty.

I repeat that the Prime Minister has not brought a resolution for referring the matter to the Privileges Committee. Therefore, you yourself should refer it and bring out the justice in the matter.

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : Otherwise we would demonstrate our full might.

Mr. Speaker : If something is to be done through might, then what remains for me to do ? What is the use of saying such things ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : गृह मंत्री, विधि मंत्री, तथा वाणिज्य मंत्री, तीनों यहां बैठे हैं, और यदि वे चाहें तो कुछ कहें, हम यहां आधी रात तक बैठने को तैयार हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : In case the hon. Minister wants to say something and you want to hear them before giving your decision, let them be given opportunity.

Mr. Speaker : Let them say if they want. Now it is about two O'Clock. Would you continue sitting here.

The Minister of Home Affairs
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं तो अधिक समय नहीं लूंगा ।

Mr. Speaker : Let us have it then tomorrow.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यदि आप मुझे अभी उत्तर देने को कहते हैं तो मैं दे दूंगा । अन्यथा मैं कल दे दूंगा ।

Mr. Speaker : You are all here. Let us have it again tomorrow.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Paper laid on the Table

अध्यक्ष महोदय : हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दोपहर बाद विचार करेंगे । अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन अधिसूचना

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): श्री टी० ए० पाई की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन), अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग (पांचवां संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक, 17 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 392 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए एल० टी० संख्या 8506/74]

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियमन, 1974 तथा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अधीन अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : श्री ओम मेहता की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियमन, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 14 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 465(ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8506/74]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 24 अगस्त, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 890 में प्रकाति हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) तेरहवां संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 26 अगस्त, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 373 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 26 अगस्त, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 374 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) बारहवां संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 26 अगस्त, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 375 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 26 अगस्त, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 376 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) चौदहवां संशोधन विनियमन, 1974 जो दिनांक 26 अगस्त, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 377 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रसशासनिक सेवा (वेतन) बारहवां संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 26 अगस्त, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 378 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 7 सिम्बर, 1974 के भारत के रापजत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 944 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 7 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 945 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभ) तीसरा संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 7 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०सां०नि० 946 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सां० सां० नि० 948 जो दिनांक 7 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें दिनांक 29 जून, 1974 की अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 660 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) पन्द्रहवां संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 975 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तेरहवां संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 976 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) सा० सां० नि० 977 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें दिनांक 16 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 270 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(पन्द्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) सोलहवां संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 978 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौदहवां संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 979 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) सत्रहवां संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 980 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) अठारहवां संशोधन विनियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 21 सितम्बर, 1974 में अधिसूचना संख्या सां०सा०नि० 1012 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय प्रशासनिक सेंवा (वेतन) प्रन्द्रहवां संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1013 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) उन्नीसवां संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 5 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1065 में प्रकाशित हुये थे।

(इक्कीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सोलहवां संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक, 5 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 1066 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 10 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 416(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 10 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 417 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) बीसवां संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 426 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) भारतीय प्रशानिसक सेवा (वेतन) सत्रहवां संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में, अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 427 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) इक्कीसवां संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 17 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 429 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) अठारहवां संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 17 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां०नि० 430 (ङ) में काशित हुए थे।

(अठाईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 434 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(उनतीस) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 435 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) बत्तीसवां संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 2 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 1152 में प्रकाशित हुए थे ।

(इकत्तीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) तेईसवां संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 16 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 1201 में प्राकाशित हुए थे ।

(बत्तीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) उन्नीसवां संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 16 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 1202 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 8507/74]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अधीन अधिसूचना तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972-73 के अनुपूरक प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 448 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 6 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 8508/74]

संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के वर्ष 1972-73 के अनुपूरक प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 8509/74]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन अधिसूचना

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधियनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण तथा लायसेंसिंग (छठा संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 23 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 399 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 8510/74]

जांच आयोग अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जांच आयोग (केन्द्रीय) (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 987 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये एल० टी० संख्या 8511/74]

भारतीय तार अधिनियम के अधीन अधिसूचना

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (आठवां संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 21 सितम्बर, 1974 के भारत कें राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1036 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 8512/74]

मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण :—

चौथी लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 39	दसवां सत्र, 1970
(दो) विवरण संख्या 25	ग्यारहवां सत्र, 1970
(तीन) विवरण संख्या 30	बारहवां सत्र, 1970

पांचवीं लोक सभा

(चार) विवरण संख्या 33	दूसरा सत्र, 1971
(पांच) विवरण संख्या 21	तीसरा सत्र, 1971
(छः) विवरण संख्या 24	चौथा सत्र, 1972

(सात) विवरण संख्या 16	पांचवां सत्र, 1972
(आठ) विवरण संख्या 14	छठा सत्र, 1972
(नौ) विवरण संख्या 17	सातवां सत्र, 1973
(दस) विवरण संख्या 11	आठवां सत्र, 1973
(ग्यारहवां) विवरण संख्या 9	नवां सत्र, 1973
(बारह) विवरण संख्या 9	दसवां सत्र, 1974
(तेरह) विवरण संख्या 10	दसवां सत्र, 1974
(चौदह) विवरण संख्या 3	ग्यारहवां सत्र, 1974

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8512/74]

कोयला बोर्ड का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : मैं कोयला बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 8512/74]

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं मद संख्या 8 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आपका कोई नोट नहीं पहुंचा है । केवल श्री मधु लिमये का मिला है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : आज पहली बार मेरे निवास पर मेरे संसदीय पत्र नहीं पहुंचे और संसद भवन में ग्यारह पत्र आकर प्राप्त किये । इसलिये समय से पहले नोट नहीं दे सका । क्या इन परिस्थितियों में आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : निश्चय ही ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I have given notice thereon. I do not know whether the statement of assurances includes replies to my 14 months old questions about Maruti Ltd. If that is there, I would sit down forthwith.

Shri B. Shankaranand : It is there.

Mr. Speaker : Please check up properly lest you should say different things later.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Lest Maruti should be found missing.

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्रीगण प्रायः यह कहते रहते हैं कि कतिपय आश्वासनों की क्रियान्विति हो रही है तथा इनकी सूचना सभा पटल पर रखी गई है । मैं सभा का ध्यान दो महत्वपूर्ण बातों की ओर दिलाना चाहता हूं ।

इस वर्ष के बजट सत्र में मैंने निशिष्ट रूप से पूछा था कि क्या गुजरात सरकार ने एक विशेष आदेश जारी किया है कि अहमदाबाद के लोग 30 जनवरी 1974 को महात्मा गांधी का शहीद दिवस न मनाये ? उस समय कहा गया था कि जानकारी एकत्रित की जा रही है । सत्र के बाद कुछ जानकारी एकत्रित की गई थी क्या अपर्याप्त तथ्य तथा काफी सच्ची बातें सभा पटल पर रखी गई जब मैं अहमदाबाद गया तो हरिजन आश्रम के प्रबंध ट्रस्टियों से पता किया....

अध्यक्ष महोदय : पत्रों के सभा पटल पर रखे जाने के समय आप यह सब कुछ नहीं कह सकते। यदि कोई कठिनाई है तो आप आश्वासन समिति को लिखिये।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं वह भी करूंगा।

दूसरे, गत सत्र में प्रो० नूरूल हसन ने अनेक शब्दों में मुझे आश्वासन दिया था कि पी० वी० जोन समिति का प्रतिवेदन . . . .

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जाने वाले विवरणों के दौरान यह बात कहने की गुंजाईश नहीं है। आप इस बारे में आश्वासन समिति को पत्र लिखिये। आपको उत्तर मिलेगा। फिर यदि इसका उत्तर आपको इन विवरणों में नहीं मिलता है तो आप मुझे लिखिये।

श्री पी० जी० मावलंकर : यदि मैं आप को या आश्वासन समिति को लिखूंतो उसमें बड़ा समय लग जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : शंकरानन्द जी, आप इसे देखिये तथा उन्हें सूचित कीजिये।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अधीन अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 152/74-सी०ई० की एक प्रति, जो दिनांक 20 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। अधिसूचना में उन चीनी कारखानों के लिये, जिनमें वर्ष 1971-72 में पहली बार उत्पादन शुरू किया गया है प्रोत्साहन के रूप में उत्पाद-शुल्क में छूट की व्यवस्था है।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 8512/74]

सदस्यों की रिहाई

Release of Members

(सर्वश्री जम्बूवन्त धोते और राम हेडाऊ)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को पुलिस आयुक्त, नागपुर से प्राप्त दिनांक 19 नवम्बर, 1974 के डाक तार के बारे में सूचित करता हूं जिसमें लिखा है :

"कि सर्वश्री जम्बुवन्त धोते और राम हेडाऊ, संसद् सदस्यों को, जिन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 342 और दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1932 की धारा 7 के अन्तर्गत अपराधों के लिये 19 नवम्बर, 1974 को नागपुर में गिरफ्तार किया गया था, न्यायिक मजिस्ट्रेट सैकेंड कोर्ट, नागपुर में उस दिन मध्याह्न पश्चात् 4 बजे पेश किया गया और उन्हें वैयक्तिक मुचलके पर न्यायालय द्वारा रिहा किया गया।"

अध्यक्ष महोदय : हम मद संख्या 10, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मध्याह्न भोजन काल के बाद विचार करेंगे। इस समय हम औपचारिक मद संख्या 11 को निपटा लेते हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को तथा संकल्पों संबन्धी समिति
Committee on Private Members' Bills and Resolutions

सैंतालिसवां प्रतिवेदन

श्री जी०जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 47वां प्रतिवेदन पेश करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : हम अन्य मदों पर तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मध्याह्न भोजन काल के बाद विचार करेंगे । ये नित्य की बातें हैं । पहले ये बातें 12½ बजे होती थीं फिर एक बजने लगा अब दो बज जाते हैं ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : दो बजे बाद सरकारी कार्य पर विचार होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कभी सरकारी पक्ष में होते, तो आपको पता चलता ।

अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होती है फिर हम तीन बजे म०प० पर पुनः समवेत होंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह् भोजन के लिये तीन बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

[The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen of the Clock]

लोक सभा मध्याहन भोजन के पश्चात् तीन बजकर तीन मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha reassembled after lunch at three minutes past fifteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

हिन्द महासागर के उत्तरी भाग में "नाटो" सेनाओं की नौसैनिक अभ्यास करने की योजना के समाचार

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : श्रीमन्, मैं रक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न बिषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें:

"हिन्दमहासागर के उत्तरी भाग में 'नाटो' सेनाओं की नौसैनिक अभ्यास करने की योजना के समाचार तथा उससे उत्पन्न गंभीर खतरा है ।"

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास इस बात की सूचना है कि अमरीका, इंगलैंड, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान की नौसेनाएं तथा वायुसेनाएं हिन्द महासागर के उत्तरी भाग में 19 नवम्बर, 1974 से 30 नवम्बर, 1974 तक नौसेना और वायुसेना के संयुक्त अभ्यासों में भाग लेंगी । यह अभ्यास सेंटो के तत्वावधान में हो रहा है और इसका सांकेकित नाम "मिडिलिक

1974" है । **पाकिस्तान इस अभ्यास का आतिथेय कर रहा है** । इसमें भाग लेने वाले तीन देश अमरीका इंगलैंड और तुर्की नाटो सन्धि के भी सदस्य हैं । ऐसे अभ्यास सेंटो द्वारा इससे पहले भी आयोजित किये गये थे लेकिन इस वर्ष आयोजित अभ्यास इस सन्धि देशों द्वारा आयोजित अब तक के अभ्यासों में सबसे बड़ा अभ्यास है । इन गतिविधियों से हमें चिंता होती है । इससे हिंद महासागर में बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा की सम्भावना में वृद्धि होना अपरिहार्य हो जाता है । इस संबंध में भारत केवल हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में पायी जाने वाली भय की भावना को दुहरा सकता है।

हम लगातार यह कहते आ रहे हैं कि हिन्द महासागर में कुछ देशों की नौसेना की भारी मात्रा में उपस्थिति से अन्य देशों की नौसेनाओं का आकर्षित होना स्वाभाविक है । साथ ही ऐसे अभ्यासों से पुराने पड़ते जा रहे सैनिक गठजोड़ों को दृढ़ करने की भावना पैदा होती है; और इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है । अभी पिछले ही दिन मैंने हिन्द माहासगर में इन नौसेनिकों अभ्यासों के संबंध में भारत के कड़े विरोध का सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया है ।

हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये रखने और इसे बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा और सैनिक वृद्धि से मुक्त बनाने के प्रयासों की भारत सदा से हिमायत करता आ रहा है । इन उद्वेश्यों की प्राप्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग संगठित करने के लिये हम अन्य देशों के साथ सम्पर्क कर रहे हैं । अपने पड़ोस में होने वाली इन गतिविधियों के प्रति गहरी चिन्ता प्रकट करते हुए मैं इस बात पर पुनः बल देना चाहूंगा कि हिन्द महासागर में तनाव कम करने के लिये अधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहानभूति प्राप्त करने के लिये हमारे प्रयास जारी रहेंगे ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं यह तो अनुभव करता हूं कि 19 से 30 नवम्बर तक होने वाले इससे सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास के प्रति गहरी चिन्ता प्रकट की जा रही है परन्तु क्या सरकार को मालूम नहीं है कि उक्त अभ्यास आरम्भ हो चुका है क्योंकि उनकी योजनानुसार 19 से 30 नवम्बर तक अभ्यास होना है । अतः न तो आरम्भ हो ही चुके हैं जबकि रक्षा मंत्री कहते हैं कि उन्हें इस योजना की केवल सूचना मिली है । क्या सरकार देश के चारों ओर के समुद्र में हो रही घटनाओं से अवगत नहीं रहती है।

बंगला देश के गठन के बाद भारत सरकार ने कुछ समय से अमरीका से अपने संबंध सुधारने के प्रयास किये है तथा इस अभ्यास में अमरीका ही प्रमुख रूप से भाग ले रहा है । अतिथेय कोई भी कर रहा हो, परन्तु अमरीका इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है । फिर पता नहीं कि अमरीकी विदेश मंत्री डा० किसिंजर का कुछ दिन पूर्व इतना शानदार स्वागत क्यों किया गया था तथा ईरान के शाह के साथ भी बड़े बड़े करार किये गये थे जोकि सब जानते हैं पश्चिम एशिया में अमरीका का गहरा सहयोग है।

श्री स्वर्णसिंह की कोरिया यात्रा तथा भारत सरकार द्वारा अमरीका के साथ नये सिरे से फिर से बातचीत के संकेत से क्या देश की प्रभुसत्ता तथा स्वाधीनता को खतरा तथा पड़ौसी देशों के साथ हमारे संबंधों में कड़ुवाहट का खतरा नहीं पैदा होता है।

अमरीका भारतीय उपमहाद्वीप को तनाव का क्षेत्र बनाना चाहता है। सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है । अमेरीका दिएगो गार्सिया में स्थायी तौर पर नौसेनिक तथा वायुसैनिक अड्डा स्थापित करने के लिए कदम उठा रहा है । सरकार तुष्टीकरण की नीती क्यों अपना रही है । क्या श्री चव्हाण ने श्री लंका की सरकार के साथ इस संबंध में बाचतीत की थी तथा उनकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है । सरकार हिंद महासागर में इस प्रकार के अभ्याससों के विरुद्ध विश्व जनमत बनाने

के लिए क्या कदम उठा रही है ? अमेरिका ने वहां आज से ही नौसैनिक अभ्यास आरम्भ कर दिया है और सरकार ने केवल औपचारिक वक्तव्य देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली है, ऐसा समाचार है कि ब्रिटेन ने अमरीका को दिएगोगासिया में स्थायी नौसैनिक तथा हवाई अड्डा बनाने की अनुमति दी है। सरकार को ब्रिटन से वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिये बातचीत करनी चाहिए, बिड़ला जैसे कुछ एकाधिकारियों ने यह बात करना आरम्भ कर दिया है कि यदि हम जापान से अपने संबंध सुधारेंगे तो इससे हमारा आर्थिक संकट दूर हो जाएगा, क्या यह सच है कि कुछ उद्योगपति अमरीका से संबंध बनाए रखने के लिये सरकार पर दबाव डाल रहे हैं ।

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : माननीय सदस्य कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। सदस्यगण जानते हैं कि हमने कुछ वर्ष पूर्व यह घोषणा की थी कि ब्रिटेन और अमेरिका दिए गोगार्शिया में अड्डा बनाने पर सहमत हो गये हैं । उन्होंने संचार अड्डे के रूप यहां काम आरम्भ किया । हमने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे अड्डे बाद में नौसैनिक तथा वायुसैनिक अड्डे का रूप धारण कर लेते हैं । ऐसा समाचार मिला था कि नई ब्रिटिश सरकार अमेरिका के साथ पहले संपन्न हुए समझौते पर पुनर्विचार करेगी परन्तु संकेतों से पता चलता है कि ब्रिटेन अमेरिका के इस कदम का विरोध नहीं कर रहा है । हम संयुक्त राष्ट्र संघ तथा गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में श्रीलंका के इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं कि हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाया जाये तथा वहां किसी विदेशी शक्ति का प्रभुत्व न रहे। यह हमारी स्पष्ट नीति है । पाकिस्तान गुट निरपेक्ष देशों के गुट में शामिल होना चाहता था परन्तु हमारा यह कहना है कि यदि पाकिस्तान घोषित करता है कि वह सेन्टो और सीटो गुटों में नहीं है तब हम उसका नाम गुट निरपेक्ष देशों के समूह में शामिल करने की सिफारिश करने वाले पहले देश होंगे, परन्तु वे इन सैनिक अभ्यासों में रुचि ले रहे हैं और हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिये।

जहां तक बड़ी शक्तियों का संबंध है हम हिन्द महासागर में उनकी नौसैनिक शक्तियों की उपस्थिति के विरुद्ध हैं, परन्तु हमें इस तथ्य को जानना चाहिये कि यह खुला समुद्र है जहां भिन्न-भिन्न देशों के जहाज आते-जाते रहते हैं, परन्तु जब इन सन्धियों के देश यहां आकर अभ्यास करते हैं तब हम यह स्थिति स्वीकार नहीं कर सकते हैं । माननीय सदस्य ने भी इसका विरोध किया है । उन्होंने बहुत से प्रश्न पूछे हैं कि यह प्रश्न श्री चव्हाण से पूछ सकते हैं कि अमेरिका के इस रवैये के बावजूद भी हम उनसे संबंध क्यों सुधारना चाहते हैं। मेरा उत्तर सीधा है। चूंकि उनसे संबंध सुधारने की गुंजाइश है इसलिये हम उनसे संबंध सुधारने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। हम इसके मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करने की कोशिश करेंगे, हमारा ध्येय यह होना चाहिये कि हम उन देशों के साथ भी अपना संबंध सुधारें जिनके साथ हमारे संबंध ठीक नहीं हैं, परन्तु अचरज की बात यह है कि सेन्टो और सीटो अचानक ही इस प्रकार के अभ्यासों को आरम्भ कर रहे हैं जब कि वे तनाव को दूर करने की बात करते हैं । यह एक बड़ी असंगत बात है कि एक ओर तो बड़े देश आपस में तनाव शैथिल्य की बात करें और दूसरी ओर अरब सागर में अपने जहाजी बेड़े लाकर तटवर्ती देशों को डरायें, यह एक बड़ी आपत्तिजनक बात है और हम इसके विरुद्ध हैं ।

हिन्द महासागर से घिरे हुए जितने भी तटवर्ती देश हैं, वे सब गुट निरपेक्ष देश हैं, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलनों में इस बात पर जोर दिया गया था कि हिन्द महासागर को शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाया जाये । हमने भी इस मामले में दिलचस्पी दिखाई है, हम इस बारे में संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं । वहां भी अधिकांश देश इस बात का समर्थन करते हैं कि हिन्द महासागर को शांति-

पूर्ण क्षेत्र बनाया जाये । उन्होंने श्रीलंका सरकार के साथ श्री चव्हाण की बातचीत के बारे में पूछा है । श्री चव्हाण अभी श्रीलंका में ही हैं और वे वहां से आने के उपरान्त ही कुछ बता सकेंगे । हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाये रखने के बारे में भारत और श्रीलंका के विचार समान हैं, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिंद महासागर में नौसैनिक अभ्यास वस्तुतः 19 ता० को आरम्भ हुआ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकल) : हिन्द महासागर में सेन्टो द्वारा नौसैनिक अभ्यास करने का उद्देश्य तटवर्ती देशों को भयभीत करना है तथा उपमहाद्वीप की शांति को खतरा पहुंचाना है । यह एक जानबूझकर उठाया गया कदम है । अमेरिका का उद्देश्य दिएगोगार्शिया में अपने अड्डे का विस्तार करना है । क्या मंत्री महोदय इस बात को जानते हैं कि कुछ समय पूर्व अमेरिकियों ने रेगिस्तान में युद्ध प्रशिक्षण का अभ्यास किया था । वे कृपया तेल क्षेत्रों में सैनिक आक्रमण के बारे में एंडरसन की रिपोर्टों को देखें। क्या वे समझते हैं कि नौसैनिक अभ्यास से दक्षिण अफ्रीका का हौसला बढ़ेगा क्योंकि इस अभ्यास में साइमतस्टोन अड्डे का भी उपयोग किया जायेगा ? क्या यहां डा० किसींजर के आगमन से कोई लाभ पहुंचा है ? पाकिस्तान इस नौसैनिक अभ्यासों का आयोजन करा रहा है । क्या यह धमकी नहीं है ? क्या मंत्री महोदय मेरी इस बात से सहमत हैं ? क्या हमारी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से नौसैनिक अभ्यास के बारे में अपनी चिन्ता प्रकट की है ? क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त तदर्थ समिति में यह मामला उठायेगी ? क्या सरकार ने इस अभ्यास में भाग लेने वाले देशों को अपनी नाराजी जाहिर की है ?

श्री स्वर्ण सिंह : डा० किसीजर की भारत यात्रा के दौरान दियेगोगार्शिया के प्रश्न पर उनसे बातचीत हुई थी। श्री चव्हाण ने इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया है तथा डा० किसीजर ने भी इस बात को स्वीकार किया है। चूंकि पाकिस्तान नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहा है इसलिये यह कहना उचित नहीं लगता कि इससे उपमहाद्वीप को खतरा पैदा होगा।.परन्तु हम इसके विरुद्ध हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में गैर-तटवर्ती देशों द्वारा नौसैनिक अभ्यास करना तनाव की स्थिति पैदा कर सकता है। जहां तक नौसैनिक अभ्यास से पाकिस्तान के मनोबल का ऊंचा उठने का प्रश्न है, इससे पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने के हमारे प्रयासों को धक्का पहुंचेगा और हमारे तथा पाकिस्तान के बीच चल रही बातचीत में रुकावट पैदा होगी। सेन्टो ने नौसैनिक अभ्यास के बारे में पहिले ही सूचना दे दी है। जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ को इसके बारे में विरोध करने का सवाल है, मैं यह बता देना चाहता हूं कि नाटो, सीटो आदि के देश यदा कदा इस तरह का अभ्यास करते रहते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में पारस्परिक रक्षा सम्बन्धी सन्धियां करने की व्यवस्था है । परन्तु सवाल गैर-तटवर्ती देशों का इतनी बड़ी संख्या में न केवल दियेगोगार्सिया में अपितु अन्य स्थानों में अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने का है। हमारा विरोध इसी मुद्दे पर है। हम संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य मंचों से इसके विरुद्ध अपनी आवाज उठा रहे हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : हिंद महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के बारे में दो मत नहीं हो सकते हैं। इसी सन्दर्भ में मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के उस वक्तव्य की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके देश का विरोध करने वाली सरकार को गिराने में अमेरिकी गुप्तचर विभाग का उपयोग किया जायेगा। इसी आशय का वक्तव्य श्री किसींजर ने भी दिया है। जहां तक अन्य देशों की सरकारों को गिराने का प्रश्न है। सभी जानते है कि चाइल में क्या हुआ है जहां एलेन्दे की हत्या हुई तथा उसका समर्थन करने वाले दलों तथा व्यक्तियों का दमन किया गया।

समाचारपत्रों में कहा गया है कि अमरीका यात्रा के दौरान मंत्री महोदय को श्री किसीजर ने यह आश्वासन दिया था कि भारत में जासूसी के आरोप में किसी भी अधिकारी के पकड़े जाने पर उसे अमरीका वापिस बुला लिया जायेगा। इससे यह साबित होता है कि इस प्रकार की कार्यवाहियों को करना अमेरिका अपना अधिकार समझता है बस इतना ही है कि पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति को वापिस बुला लिया जायेगा।

क्या ऐसी स्थिति में हिन्द महासागर में होनेवाले सैनिक अभ्यास संदेह उत्पन्न नहीं करते हैं? क्या पाकिस्तान को भारत की बराबरी पर रखने का प्रयत्न और अधिक तनाव पैदा नहीं करेगा? क्या नौसैनिक अभ्यास दक्षिण पूर्व एशिया का शक्ति सन्तुलन नहीं बिगाड़ेगा। डा० किसीजर की भारत की यात्रा का उद्देश्य यह देखना था कि भारत कहां तक विरोध करेगा और तब उन्होंने सातवें जहाजी बेड़े को हिन्द महासागर में आने की अनुमति दी। ऐसी स्थिति में मेरा प्रश्न है कि क्या यह सच है कि सोवियत रूस के हिन्द महासागर में सैनिक अड्डे है तथा क्या सोवियत रूस हिन्द महासागर में शांति बनाये रखने के पक्ष में हैं। क्या सरकार ब्रिटेन को यह कहेगी कि यदि उसने अमेरिका को अड्डा बनाने को सुविधा दी ै वह राष्ट्रमंडल को छोड़ देगा?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने क्या विशिष्ट प्रश्न पूछा है इसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। फिर भी मैं उनके द्वारा उठाये गये एक दो बातों का उत्तर दूंगा। उन्होंने सोवियत रूस के अड्डे और उनकी उपस्थिति के बारे में कहा है। सोवियत रूस का यह कहना स्वाभाविक है कि यदि अमरीकी तथा अन्य शक्तियां अपने अड्डे इस क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में बनाती हैं तो उन्हें भी आगे आने को बाध्य होना पड़ेगा। अनुभव यह बताता है कि एक बड़ी शक्ति के इस प्रकार आने से अन्य बड़ी शक्तियां भी आना चाहती हैं। हम हिन्द महासागर को इस प्रकार की स्थिति से मुक्त रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि अन्य महासागरों में जिस प्रकार की तनाव की स्थिति है वह यहां भी हो। इसीलिये तटवर्ती देश भी अड्डों की स्थापना के विरुद्ध हैं। अमरीका और ब्रिटेन में भी हिन्द महासागर में अड्डे बनाने के विरोध में आवाजें उठ रही हैं। हमें इन विरोध के स्वरों को प्रोत्साहित करना चाहिये ताकि बड़ी शक्तियों पर ऐसा न करने के लिये दबाव डाला जा सके। इन बड़ी शक्तियों का कहना है कि वे तेल की सप्लाई के कार्य को बनाये रखने के लिये अपने अड्डे स्थापित करना चाहते हैं, परन्तु सारा विश्व जानता है कि गत तीस वर्षों में अड्डों के वहां न होने के बावजूद भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि सोवियत रूस ने यह स्पष्ट आश्वासन दिया है कि हिन्द महासागर के किसी भी तटवर्ती देश में उनके कोई अड्डे नहीं हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee(Gwalior) : I want to ask three questions. The hon. Minister has stated that he had spoken against the Naval exercises at a public meeting. Does he think it sufficient ? Why not he called the envoys of concerned Countries' embassies and conveyed protests formally to them ? Secondly, the participation of Pakistan in this naval exercises bears deep singnificant. She also tries to be associated with non-aligned countries' meeting. What steps we have taken to protest Pakistan ? We are talking with them on resumption of flights and other matters. Why not such talks are postponed till the exercises are going on. Thirdly, it has been reported in the Press that Soviet Russia has brought its naval warships in the Indian Ocean and has established bases at Somalia, Aden and Iraq. Soviet Russia is our friend and when she wants to keep Indian Ocean free from any tension then can't we ask them not to bring its naval forces in the Indian Ocean inspite of the presence of other country's naval forces there. Will the Defence Minister convey this advice to Russia ?

श्री स्वर्ण सिंह : वक्तव्य देने का भी अपना महत्व है, मेरे द्वारा वक्तव्य देने पर ही उन देशों को अपने नौसैनिक अभ्यासों के बारे में सूचना देने के लिये विवश होना पड़ा है। चूंकि अब मैं विदेश

मंत्रालय में नहीं हूं इसलिये यह कह नहीं सकता हूं कि क्या चार तटवर्ती देशों को विरोध प्रकट किया गया है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: सरकार संयुक्त जिम्मेदारी के अन्तर्गत काम करती है । वे अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूं ।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : राष्ट्रमंडल के बारे में भी मैं भारत सरकार के विचार जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय सरकार की ओर से बोल सकते हैं, परन्तु मैं तो प्रश्न के संगत असंगत होने पर भी ध्यान रखता हूं। मैं नहीं समझता कि विदेश मंत्री की ओर से किसी अन्य मंत्री द्वारा उत्तर देना उचित होगा।

श्री स्वर्ण सिंह: मैं संयुक्त जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहता, इसीलिये अनेक प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया है। राजदूतों को विदेश मंत्रालय में बुलाकर उन्हें अपनी भावनाओं से अवगत कराने सम्बन्धी सुझाव को मैं विदेश मंत्रालय के विचारार्थ भेज दूंगा। पाकिस्तान से चल रही बातचीत के बारे में वाजपेयी जी ने दो प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं--वह पाकिस्तान से सम्बन्ध सुधारने का समर्थन करते हैं और यह भी कहते हैं कि 10 दिन या 15 दिन के लिये बातचीत स्थगित कर दी जानी चाहिये थी। मैं उनसे इस बारे में सहमत नहीं हूं। सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिये बातचीत स्थगित करने से सहायता नहीं मिलेगी।

सोवियत संघ के जलयानों की उपस्थिति की भी उन्होंने सूचना दी है। मैं सही संख्या नहीं बता सकता। रूसी जलयान समय-समय पर हिन्द महासागर में उपस्थित रहे हैं । ब्लादीवोस्तोक से काला सागर तक जाते हुये वे जलयान हिन्द महासागर से होकर गुजरते हैं।

नौसैनिक पोतों की उपस्थिति और सुविधायें उपलब्ध करने वाले निश्चित अड्डों के बीच निश्चित रूप से अन्तर है। सोमालिया, दक्षिणी दमन और इराक में सोवियत संघ के नौसैनिक अड्डे बनाये गये हैं। इन तीनों देशों ने भी अड्डे होने का खण्डन किया है। वाजपेयी ने कहा कि क्या सोवियत संघ स्वतः ही इस बात की घोषणा कर सकता है कि वह अपने जलयानों को इस क्षेत्र में नहीं लायेगा। सोवियत संघ की ओर से मैं उत्तर नहीं दे सकता।

श्री शंकर देव (बीपर) : **

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : नौसैनिक अभ्यास में पाकिस्तान के 20 युद्धपोत भाग ले रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि युद्धपोत किस जल मार्ग से अभ्यास स्थल पर गये थे। पहले भी ऐसे युद्धाभ्यास होते रहे हैं, क्या उनमें भी पाकिस्तान ने भाग लिया था? गाजी पनडुब्बी को

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded.

हमने डुबो दिया था, इसीलिये पाकिस्तान विश्व को यह दिखाना चाहता है कि वह अब भी एक नौसैनिक शक्ति है और सम्भव है इसलिये पाकिस्तान ने अपने खर्च पर इन देशों को नौसैनिक अभ्यास के लिये आमंत्रित किया हो। क्या पहले भी इन पांच देशों ने संयुक्त अभ्यास किया था? क्या इन पांच देशों ने तटवर्ती देशों को नौसैनिक अभ्यास की पूर्व सूचना दे दी थी? अगर सूचना नहीं दी थी, तो वहां से गुजरने वाले जहाजों का क्या होगा?

श्री स्वर्ण सिंह: यह कहा गया है कि क्या इस नौसैनिक अभ्यास से पाकिस्तान की शक्ति में वृद्धि होगी। वस्तुतः जब तक कोई भी देश अपने युद्धपोत पाकिस्तान को नहीं देता, पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत में वृद्धि नहीं हो सकती। पाकिस्तान और अधिक युद्धपोत पाने के लिये भरसक प्रयास कर रहा है और उसमें आंशिक रूप से वह सफल भी हुआ है। रक्षा मंत्री के नाते मैं यह कह सकता हूं कि हम भी चुपचाप नहीं बैठे हैं। मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान कोई दुस्साहसपूर्ण कदम नहीं उठायेगा। भारत अपनी प्रभुसत्ता और अखण्डता की रक्षा के लिये पूर्णतः तैयार है।

अगर कोई जलयान हमारी समुद्री सीमा से होकर गुजरता है, तो हमें ज्यादा भावुक नहीं होन चाहिये जब तक कि गुजरने के अलावा अन्य कोई इरादा नहीं हो। गहरे समुद्र से नौसैनिक पोतों के गुजरने के बारे में कुछ नियम हैं और जब तक उनका पालन किया जाता, तब तक कोई चिन्ता की बात नहीं है। हमारे युद्धपोत भी अन्य देशों में जाते हैं, और उनके पोत हमारे देश में आते हैं । नौसैनिक अभ्यास के बारे में तटवर्ती देशों को कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

सोमा शुल्क टैरिफ विधेयक
CUSTOMS TARIFF BILL

प्रवर समिति के सदस्यों की नियुक्ति

श्री महाराज सिंह (मैनपुरी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा सीमा शुल्क टैरिफ विधेयक, 1974 सम्बन्धी प्रवर समिति में सर्वश्री यशवन्तराव चव्हाण और के० आर० गणेश के त्यागपत्रों के कारण रिक्त हुये स्थानों पर सर्वश्री सी0 सुब्रह्मण्यम और शशि भूषण को नियुक्त करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा सीमा शुल्क टैरिफ विधेयक, 1974 सम्बन्धी प्रवर समिति में सर्वश्री यशवन्तराव चव्हाण और के० आर० गणेश के त्यागपत्रों के कारण रिक्त हुये स्थानों पर सर्वश्री सी० सुब्रह्मण्यम और शशि भूषण को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

लोक वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) विधेयक
PUBLIC FINANCIAL INSTITUTION LAWS (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति के सदस्यों की नियुक्ति

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक वित्तीय संस्थान विधि (संसोधन) विधेयक, 1973 सम्बन्धी संयुक्त समिति में सर्वश्री यशवन्त राव, चव्हाण, के० आर० गणेश और ए० के० एम० इसहाक के त्यागपत्र के कारणों रिक्त हुये स्थानों पर सर्वश्री सी० सुब्रह्मण्यम, विक्रम महाजन और बी० के० दास चौधरी को नियुक्त करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा लोक वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) विधेयक, 1973 सम्बन्धी संयुक्त समिति में सर्वश्री यशवन्तराव चव्हाण, के० आर० गणेश और ए० के० एम० इसहाक के त्यागपत्र के कारणों रिक्त हुये स्थानों पर सर्वश्री सी० सुब्रह्मण्यम, विक्रम महाजन और बी० के० दास चौधरी को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

राज्य सभा को एक सदस्य का नाम निर्देशन करने की सिफारिश

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री एच० एम० त्रिवेदी के मंत्री नियुक्त किये जाने से उनके इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का सदस्य न रहने पर समिति के 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाले कार्यकाल की शेष अवधि के लिये उक्त समिति से सम्बद्ध करने के लिये राज्य सभा का एक सदस्य नाम निर्देशित करने के लिये सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री एच० एम० त्रिवेदी के मंत्री नियुक्त किये जाने से उनके इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का सदस्य न रहने पर समिति के 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाले कार्यकाल की शेष अवधि

लिये उक्त समिति से सम्बद्ध करने के लिये राज्य सभा का एक सदस्य नामनिर्देशित रने के लिये सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य का नाम स सभा को सूचित करें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

विशेषाधिकार समिति

Committee of Privileges

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाया जाना

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा न्यू फ्रेण्ड्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के तत्कालीन प्रेसीडेन्ट श्री जगजीत सिंह द्वारा 7 मई, 1974 को दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखे गये पत्र जिसमें, संसद् पर कथित आक्षेप किये गये हैं, के बारे में उनके विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न सम्बन्धी विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा न्यू फ्रेण्ड्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के तत्कालीन प्रेसीडेन्ट श्री जगजीत सिंह द्वारा 7 मई, 1974 को दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखे गये पत्र जिसमें, संसद् पर कथित आक्षेप किये गये हैं, के बारे में उनके विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न सम्बन्धी विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

कार्य मन्त्रणा समिति

Business Advisory Committee

49वां प्रतिवेदन

श्री बी० शंकरानन्द : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 49वें प्रतिवेदन से, जो 19 नवम्बर, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 49 वें प्रतिवेदन से, जो 19 नवम्बर, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was dopted.

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक

Indian Telegraph (Amendment) Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब भारतीय तार (संशोधन) विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में और आगे विचार किया जायेगा।

Shri Chandu Lal Chandrakar (Durg) : I support this Bill. The fees of ten rupees charged for application form of telephone connection is absolutely correct. In cities having population of five lakhs or more, the applicants for new connections should be asked to deposit a sum of Rs. 500/- per connection. Thus the department would have a fund of Crores of rupees, which could be utilized for the purchase of equipments and machinery. Big industrial concerns or rich traders can deposit even a sum of ten thousand rupees for a telephone connection.

The villages having a population of five thousand or ten thousand should be given priority in giving a telephone connection or PCOs. The demands of samll towns are not made for quite a long time.

Jabalpur is a big city having a population of 5 or 6 lakhs, but still there is a manual system of telephones. Automatic system of telephones should be immediately set up there.

Shri Madhu Limaye (Banka) : I had raised this issue of levying a fees on a application form for a telephone connection. This is illegal and unconstitutional. According to Article 265 of the Constitution, no tax shall be levied or collected except by, authority of law. Tax means all sorts of tax, import or fees.

In the statement of objects and Reasons, it has been said that a fees of ten rupees is necessary—

(i) to make the waiting list more realistic and to enable correct planning for expansion of the telephone system.

(ii) to eliminate unnecessary bogus demand for telephone connection.

(iii) on receipt of the application for a telephone, the department has toincur some expenditure in the registration of the application etc.

But the Ministry of Communications should not have violated the Constitution and law in doing so. The Committee on Sub-ordinate Legislation had reprimanded the Government in 1971, but the Government has brought forward this Bill only in 1974 i.e. after three years. The predecessors of the Honourable Minister have shown a disrespect to the Parliament and I would request the Honourable Dy. Speaker to express his observations over it. This matter may also be referred to the Privilege Committee.

There should be an authority of law. There is such a authorisation in the Railway Act, but 100 crores or 150 crores of rupees can not be realised under rule-making power by raising railway fares. Such a matter should come before Lok Sabha.

By levying a fee of Rs. 10/- for an application form, the Government proposes to do away with bogus demand, malpractices and corruption. Is it not a fact that the Telephone Deptt. has provided telephone-connections to at least ten thousand smugglers and their links in Bombay.

Secondly, I would like to know whether Government enquire about the background of the persons whose names are put forwrad before the Government for nomination on the Telephone Advisory Committee. Ram Lal Narang a top smuggler was nominated in the telephone Advisory Committee of Bombay. He was removed only when Shri George Fernandes made a hue and Cry about this matter. I would therefore, demand that high level Committee be appointed, after this bill is passed, to make a thorough enquiry about the telephone connections given to smugglers, black marketeers, hoarders etc. and telephone connections be provided to the bonafide applicants.

अपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ने विधेयक के बारे में जिन संवैधानिक बातों का उल्लेख किया है, उनके बारे में मैंने सोचा नहीं था। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिश के अनुसरण में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, इस बात को सरकार भी स्वीकार करती है। संविधान के अनुच्छेद 117(2) के अनुसार अगर किसी सेवा के लिए कोई शुल्क लगाया जाता है, तो वह कर नहीं है और इसलिए वह धन विधेयक का वित्त विधेयक नहीं है। इसलिए सरकार अधिसूचना जारी करके ही इसे लागू कर सकती थी। प्रश्न यह है कि यह विधेयक बन्य अनुच्छेद 265 के अन्तर्गत आता है जैसा कि श्री लिमये ने तर्क दिया है अगर यह विधेयक अनुच्छेद 117 के अन्तर्गत आता है, तो इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है।

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : यह विधेयक मैंने सूची I, मद 31 और मद 96 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। सातवीं अनुसूची, सूची में करों के बारे में कहा गया है। मद सं० 96 और 97 में शेष बातों का उल्लेख किया गया है।

मद सं० 96 में उस सूची में दर्ज किसी भी मामले के बारे में शुल्क का उल्लेख है, परन्तु किसी भी न्यायालय में उल्लिखित शुल्क शामिल नहीं है। मद सं० 97 में सूची II अथवा सूची III में उल्लिखित किसी अन्य मामले का उल्लेख है, और इन सूचियों में जिन करों का उल्लेख नहीं किया गया है, वे कर भी शामिल हैं।

उच्चतम न्यायालय ने फीस और कर के बीच अन्तर किया है। कर, कानून द्वारा प्राधिकृत रूप से जन कार्यों के प्रयोजनार्थ वसूल किये जाने वाले धन को कहते हैं, जबकि किसी सरकारी एजेन्सी द्वारा किसी विशिष्ट सेवा के लिए प्राप्त किये जाने वाले धन को फीस कहते हैं। यह फीस एक सरकारी विभाग द्वारा एक सेवा के बदले में ली जा रही है। फार्मों को छपाना पड़ता है, उनकी नम्बरिंग करनी होती है, फार्मों का रिकार्ड रखना पड़ता है, पंजीकृत लोगों के साथ पत्र-व्यवहार करना होता है। सेवा के बदले में यह धनराशि ली जाती है, अतः यह कर नहीं है।

1969 में यह देखा गया कि भारी संख्या में आवेदनपत्र प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें अधिकांश वास्तविक नहीं हैं। एक ही आदमी अनेक बार आवेदन पत्र देता था। सरकार को टेलीफोन कनेक्शनों और टेलीफोन एक्सचेंजों के बारे में योजना बनानी होती है और जाली तथा अवास्तविक आवेदनपत्रों से समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए यह सोचा गया कि फार्म के लिये एक फीस लगाई जाए। कानून

मन्त्रालय से भी इस बारे में परामर्श किया गया था, जिसने यह सलाह दी थी कि ऐसा किया जा सकता है।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने यह मत व्यक्त किया था कि अगर सरकार इसे जारी रखना चाहती है, तो सदन की अनुमति लेनी बेहतर होगी। सदन के प्रति प्रतिष्ठा और सम्मान व्यक्त करने के लिए ही यह विधेयक पेश किया गया है। सदन की कोई समिति कोई सुझाव देती है, तो सम्बद्ध मन्त्रालय का यह दायित्व है कि शीघ्रातिशीघ्र सदन के समक्ष अनुमति के लिए आना चाहिए। दायित्व को पूरा करने में कुछ उदासीनता रही है और मैं गलती स्वीकार करता हूं। सदन से मैं अनुरोध करता हूं कि विलम्ब के लिए क्षमा प्रदान की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री डा० शर्मा ने सदन की समिति के प्रति जो सम्मान व्यक्त किया है, उसकी मैं सराहना करता हूं। उपक्रम और सरकार.....

श्री मधु लिमये : या आश्वासनों सम्बन्धी समिति।

अपाध्यक्ष महोदय : चाहे कुछ भी हो। सरकार उन सभी सिफारिशों पर विचार करती है, वह कुछ सिफारिशों को स्वीकार करने योग्य समझती है कुछ को नहीं परन्तु यह उस तक निर्भर है कि वह क्या करती है। परन्तु इस मामले में डा० शर्मा का कहना है कि किसी समिति की किसी सिफारिश का सम्मान किया जाना चाहिये। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या शुल्क लगाने के लिए इस सभा से विधान बनाने के लिए विधेयक के साथ सभा के समक्ष आना आवश्यक है। यदि इसके द्वारा आप पूर्वोदाहरण स्थापित करना चाहते हैं—मैं चाहता हूं कि यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाये— तो अब के बाद सरकार जो भी शुल्क लगायेगी उसके लिये उसे यहां विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं है ——

श्री बयालार रवि (चिरमिकली) : वह केवल शुल्क को निरन्तर बनाये रख रहे हैं।

अपाध्यक्ष महोदय : यह मंत्री महोदय की विनम्रता है कि वह इसे यहां लाये हैं। वह अधिसूचना द्वारा भी ऐसा कर सकते थे।

डा० शंकर दयाल शर्मा : मैं तो यही समझता हूं कि सभा और उसकी समितियों का पूरा-पूरा आदर किया जाना चाहिये। मैं इसे किसी कठिनाई के रूप में नहीं लेता।

Shri Nawal Kishore Sinha (Muzaffarpur) : I rise to support the Bill.

I would like to say that the fee of Rs. 10 was levied in 1969. Since then prices have gone up. I suggest that there is no harm if this fee of Rs. 10 is increased to Rs. 500.

A new system of "Own-your-telephone" was introduced a few years ago. Now thereis a long waiting-list for telephone connections under the "Own-your-telephone" scheme. I want to know whether there may be a special categoey of applicants whereunder the fee of Rs. 5000 for "Own-your-telephone" scheme may be increased to Rs. 10,000 ? So, there should be a special category of applicants who should deposit Rs. 10,000 as fee.

Barauni-Begusarai complex in Bihar is an industrial complex. But it is very difficult to talk on telephone from Patna with a person at Barauni. It is really surprising that there is no telephone exchange in Barauni-Begusarai complex. Barring the cloth-producing centres at Kanpur and Ahmedabad, Muzaffarpur is the biggest cloth-producing centre but there is no communication link between Muzaffarpur and Calcutta. Government should collect money through levy and meet the national requirements.

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : I rise to oppose this Bill.

श्री नवल किशोर सिंह पीठासीन हुए

[Shri Nawal Kishore Sinha in the Chair.]

This Bills aims at making the waiting list more realistic but a fee of Rs. 10 is not likely to have any impact. In fact, this Bill should have been brought forward much earlier.

The telephone subscribers in Kota, Rajasthan, had to pay Rs. 600 more than as usual expense of Rs. 300 because of mechanical defects in telephone lines and when we sent complaints in this regard no action has been taken.

There is no dialling system in Kota. That is an industrial area. The P.M.G. had assured that that would be done by 1975 but still we are waiting. The population of Bundi has just doubled but the condition of the Post-Office still remain the same.

While concluding, I would like to say that direct dialling system should be provided at Kota.

Shri M. C. Daga (Pali) : I would like to know as to how much amount Government has recovered after 1970, when we raised objections, the Government had assured us to discontinue the recovery till a Bill is not brought forward. Why then Government have made the recovery by ignoring the desire of the Committee on Subordinate Legislation ? Why the Government has misused the delegated powers ?

There is a large number of applications for telephone connections pending with Government. I read out excerpts from a report of the Estimates Committee :

"The Government have also admitted that people have been on the waiting list for as long as 9-10 year.....the Committee regret to observe that there is a wide disparity between the projections for demand for telephones and the actual achievements."

The Government has not paid any attention to these applications on the plea that they have no adequate staff. The Committee has felt that they would like to emphasize that the plan projections should be based on scientific basis.

The telephone operators are in league with businessmen and as a result of which the Government has to incur loss of crores of rupees. Government should make efforts to check this loss.

Even if the pay of the employees of the Telephone Department is increased but they should be made to work efficiently and honestly.

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : Undoubtedly the scope of this Bill is limited but inefficiency and callousness is rampant in this Department.

I would like to cite an example based on experience. I got a public telephone installed at my village Madrak in district Aligarh three years ago. This telephone was linked with Hathras exchange. I have been requesting for the last three years to link this telephone with Aligarh as Aligarh is nearer to that place, but inspite of the fact that I have been a Member of the Consultative Committee of the Ministry, no action has yet been taken in this regard.

In Aligarh, the building for automatic exchage has been completed. But the automatic system has not yet been introduced. The hon. Minister should pay attention to that.

Inordinate delay is caused in delivery of telegrams.

The telephone service is not satisfactory. It appears that the hon. Minister cannot take any step to remedy the situation.

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : मेरा सुझाव है कि किसी तार की लाइन, उपकरण आदि देने के लिये जो शुल्क है वह अधिक नहीं है परन्तु इस विधेयक के पारित होते ही उसे बढ़ाया नहीं जाना चाहिये।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अधिकारीगण ईमानदारी से कार्य करें और अपनी मर्जी के मुताबिक कानून की व्याख्या न करें।

डाक तथा तार बोर्ड के अतिरिक्त प्रत्येक डिजीवन में सलाहकार समितियां होनी चाहियें जिनमें विधायक, मुखिया, तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि हों ताकि इस विधेयक के अन्तर्गत कानून को ठीक प्रकार से लागू किया जा सके। समिति की तीन महीने में बैठकें होनी चाहियें। पहले ही बहुत भ्रष्टाचार है और इस विधेयक के बाद अधिकारियों को और अधिक शक्तियां मिल जायेंगी।

दिल्ली के डाक तथा तार विभाग के वर्तमान महा प्रबन्धक के विरुद्ध जनता की बहुत शिकायतें हैं परन्तु अभी तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

टेलीफोन विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से टेलीफोन कनेक्शन काटने की धमकी देकर वसूल की गई अधिक राशि उन्हें वापिस नहीं की जाती है।

वास्तविक आवेदकों को टेलीफोन के कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं और झूठे आवेदक रिश्वत देकर टेलीफोन लगवा लेते हैं।

देश की राजधानी दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था इतनी खराब है कि संसद सदस्यों के टेलीफोन भी खराब रहते हैं और शिकायत करने पर विभागीय प्रमुख कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

सभी जानते हैं कि टेलीफोन विभाग की बिल बनाने की व्यवस्था बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। इसमें इस प्रकार सुधार किया जाये कि अधिक राशि के बिल बनाये जाने को तुरंत रोका जा सके।

यही हालत तारों की भी है : कभी-कभी तो कुछ तार खेद के पत्र के साथ वापस कर दिये जाते हैं। मंत्री महोदय यह सारी बातें समझ कर प्रशासन में सुधार करें।

***श्री जे० माता गौडर** (नीलगिरि) : इस विधेयक के द्वारा 1885 के तार अधिनियम में संशोधन किया जाना है। मूल अधिनियम को अंग्रेजों ने 1885 में बनाया था। मैं यह जानना चाहूंगा कि 1974 में यह छोटा-सा संशोधन विधेयक लाने में सरकार को क्या शर्म महसूस नहीं हुई ?

अब भी सरकार स्वयं यह संशोधन विधेयक नहीं लाई है इस सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति पर यह बात छोड़ी गई थी कि वह यह बताये कि सरकार ने अपनी शक्तियों से अधिक शक्तियां अपने हाथ में लेकर प्रति टेलीफोन आवेदन पत्र पर 10 रुपये शुल्क ले रही है ? उक्त समिति ने प्रतिवेदन 1971 में दे दिया था और सरकार ने यह विधेयक लाने में तीन वर्ष लगा दिये हैं। डा० शंकर दयाल शर्मा ने इस विलम्ब के लिये खेद प्रकट किया है। इस प्रकार के अनावश्यक विलम्ब से यह तर्क प्रमाणित हो जाता है कि सरकार के अधिकारी अपने कर्त्तव्यों की उपेक्षा करते हैं।

---

*तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

केन्द्रीय सरकार ने सभी शक्तियां अपने हाथ में एकत्रित करली हैं और मूल अधिनियम में संशोधन करने में इतना समय लगा दिया है जबकि यह संशोधन बहुत आवश्यक है।

मद्रास से 12 नवम्बर को भेजा गया तार मुझे 17 नवम्बर को मिला ।

इसी प्रकार संसद सदस्यों के टेलीफोन भी विभाग की उपेक्षा से अछूते नहीं हैं।

सभापति महोदय : श्री गौडर, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं । अब आधे घंटे की चर्चा आरंभ करते हैं।

श्री मधु लिमये ।

*मैसर्स कैडबरी फ्राई और मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को तदर्थ लाइसेंस जारी करने के बारे में

Re : Issue of *Ad hoc* Licences to M/s. Cadbury Fry and M/s. Coca Cola Export Corporation

Shri Madhu Limaye (Banka) : This discussion is not only regarding M/s. Cadbury and M/s. Coca Cola but is a wide discussion. I begin with actual users licence. An actual users licence valued at Rs. 16 lakhs was granted to the Coca Cola Export Corporation. I would like to know whether this licence was given to Coca Cola Export Corporation or to 22 bottling plants manufacturing Coca Cola because this actual users licence on *ad hoc* basis was issued to Indian bottlers also ?

The Government had been issuing licences for importing unnecessary articles, like soft drinks, which is objectionable and I strongly oppose it. Is it the policy of the Government to allow the use of foreign exchange even for manufacturing non-essential consumer goods ?

The replenishment licence granted to Coca Cola Export Corporation was reduced from 20 per cent to 4-1/2 per cent by Yunus Committee. Later on, they were again given a licence for Rs. 16 lakhs as *ad hoc* users licence. It is a violation of the assurance given to this House.

Coca Cola Corporation remitted an amount of Rs. 126 lakhs last year and Rs. 950 lakhs within a period of ten years between 1969 to 1973. Is it that the Government feel that the country has become very rich in foreign exchange ? Similarly, Cadbury Fry remitted Rs. 5 crores till June, 1973 while they started with a capital of Rs. 13 lakhs in 1948 and they have still an accumulated reserve amounting to Rs. 2.5 crores to be remitted. May I know the basis on which *ad-hoc* licences were issued ?

I would also like to know whether the conditions necessary for issuing import licences to eligible export houses have been fulfilled ? The Minister should also give clarifications in regard to the four secret documents that were laid by him on the table. There was a case of licences valued at Rs. 315 lakhs under which over-sensitive items such as polyster fibre, stainless steel etc. were imported and a profit of Rs. 12 crores was earned by them. The Government is not coming before the House to clear the allegations of bungling of Rs. 12 crores. In fact, the entire scheme of export houses is the main cause of this bungling.

The question of whisky concentrate was raised by me some days ago and the raids were organised and this case was detected. The same people have now started importing such goods in an illegal manner in the name of brandy concentrate. Therefore, this racket of Import houses should be abolished and Government should state what action they have taken against those firms, officials and Ministers.

*आधे घंटे की चर्चा ।

* Half-an-hour discussion.

What is the formula for determining import licence or entitlement against an export by a particular firm or company. That formula should also take into account the value of the physical goods that were exported. If that is, taken into account, the facilities that are being accorded to Coca-Cola Export Corporation, will have to be stopped.

The former Industries Minister assured that directions would be issued to 22 Coca-Cola Bottling Plants to start manufacturing indigenous drinks. In any case, they should be given an order to produce indigenous drinks so that those plants are not closed down and persons working in them are not rendered unemployed.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औधग्राम) मैं : जानता चाहता हूं कि कोका कोला जैसी विदेशी कम्पनी को तदर्थ आयात लाईलेंस क्यों जारी किये गये जबकि यह कम्पनी विदेशों को लाभ की बड़ी बड़ी राशियां भेज रही है ? मैं चाहता हूं कि कोका कोला के आयात लाईसेन्स जारी करना बंद कर दिया जाये यह कम्पनी विदेशी मुद्रा अधिनियम का भी उल्लंघन कर रही है।

श्री स्वर्णसिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैसर्ज केडबरी फ्राई और कोका कोला के अतिरिक्त, इन वस्तुओं का आयात देश में कोई और कम्पनी करती है ; दूसरे उक्त कम्पनियों को लाइसेंस किस नीति के अनुसार दिये गये, तीसरे, जब ये कम्पनियां वास्तविक प्रयोक्ता हैं तो इन्हें तदर्थ कोटे क्यों दिये गये ; चौथे, वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान इन कम्पनियों को कितने मूल्य के लाईसेन्स जारी किये गये और सरकार कोका कोला के व्यापार में इतनी रुचि क्यों ले रही है?

अतः मैं चाहता हूं कि इन कम्पनियों को कोई अन्य कोटे न दिये जायें।

Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : Some basic questions regarding Coca Cola Corporation have been raised. The concentrate which was used for preparing Coca Cola till 1957 was imported from U.S.A. After 1957, permission was given to manufacture the concentrate in our country. Since the Coca Cola Export Corporation prepared the concentrate in its laboratory, it satisfied the criterian of actual user.

Reference has been made to the replenishment allowed to Coca Cola Export Corporation. It has also been stated that *ad hoc* actual users licences worth Rs. 16 lakhs have been granted. There are 22 local bottling plants which have employed about 1,60,000 persons. Government also get Rs. 10 crores as excise duty. All these factors were kept in view while giving *ad hoc* licences.

I agree with the hon. member that a foreign company is making huge profits and Coca Cola is not an essential item.

In view of sections 28 and 29 of Foreign Exchange Regulation Act, there is no possibility of expansion of these companies.

Shri Madhu Limaye : They have already remitted Rs. 950 crores. They should be either indianised or discontinued.

Shri B. P. Maurya : The request of the Coca Cola Export Corporation for granting *ad hoc* licences for 1973-74 will be considered keeping in view national interest and provisions of the Foreign Exchange Regulation Act.

श्री मधु लिमये : क्या उन्हें अपनी इक्विटी को कम करने के लिये बाध्य किया जायेगा ?

Shri B. P. Maurya : This law has been framed on the basis of this principle.

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 21 नवम्बर, 1974/30 कार्तिक, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, November 21, 1974/Kartika 30, 1896 (Saka).

MGIPRRND—45 LSS/74—Sec. III—N/s—10-2-75—200